डाक पंजीयन क्र. MP/Bhopal/186/2024-2026
लाइसेंस क्र. Tech/23-04/08/2024-2026
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 38506/84

रोज़गार और निर्माण

टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

प्रति रविवार को प्रकाशित, सोमवार 12.02.2024 से 18.02.2024 | वर्ष 41 | अंक 07 | मूल्य ₹ 10.00

मुख्यमंत्री ने दो दिवसीय लीडरशिप समिट को किया संबोधित

प्रधानमंत्री श्री मोदी के कुशल नेतृत्व में सुशासन की दिशा में मिलकर करें कार्य

भोपाल, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सुशासन की दिशा में सभी विभागों को मिलकर कार्य करना चाहिए। सुशासन की दिशा में प्रदेश अपनी नई पहचान बनाए इसके लिए कार्ययोजना बनाकर उपलब्धि प्राप्त करें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह बात अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में संपन्न हुई दो दिवसीय लीडरशिप समिट : मध्यप्रदेश सरकार के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मूल दर्शन की जानकारी इस आयोजन में अच्छी तरह से प्रस्तुत की गई है। उनके सिद्धांतों पर चलकर हम प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए परस्पर सामंजस्य के साथ समन्वय की भूमिका होना जरूरी है। हम गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में दो दिवसीय लीडरशिप समिट : मध्यप्रदेश सरकार के समापन सत्र को संबोधित किया

कार्यप्रणाली को अच्छे से समझें

लीडरशिप समिट में आयोजित विशेष सत्र में विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि मंत्रीगण विधानसभा में दिए आश्वासनों को प्रतिबद्धता के साथ पूरा करें। उन्होंने कहा कि मंत्रीगण को अपने विभाग की कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं को पूरी तरह समझना चाहिए। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था और कार्यप्रणाली को समझाते हुए नीतियों के बनाने, क्रियान्वयन करने और समीक्षा को बेहतर ढंग से करने के लिए अध्ययन करने की सलाह दी। मंत्रीगण अपने-अपने विभाग में नवाचार पर भी ध्यान दें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण संवाद और सहयोग महत्वपूर्ण है। सरकार और प्रशासन एक दूसरे के पूरक हैं।

बजट प्रबंधन के संबंध में बताया

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बजट, मंत्रालयीन कार्य प्रणाली, कार्य आवंटन नियम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना नियमावली पर कहा कि अनुपूरक अनुमान विधानसभा के प्रत्येक सत्र में लाया जा सकता है।

शासन की मर्यादा का रखें ध्यान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से कहा कि व्यवहार में शासन की मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है। समिट से जो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे जीवन में उतारने का प्रयास करें। समिट के सभी सत्रों में विशेषज्ञ वक्ताओं द्वारा रखे गए मूल्यवान विचार भविष्य में जीवनोपयोगी सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि जीवन में बदलाव लायें, अपने विभाग में प्रबोधन और नवाचार के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर उसे क्रियान्वित करें।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की भेंट

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संसद भवन में सौजन्य भेंट कर प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। भेंट के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आश्वासन दिया है कि प्रदेश सरकार के विकास और जनकल्याण के कार्यक्रमों में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त होता रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संसद भवन में ही राज्यसभा सांसद श्री जेपी नड्डा से भी सौजन्य भेंट और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

स्वास्थ्य विभाग में 139 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति

भोपाल, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनवरी में 147 अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों को निराकृत कर 139 को नियुक्ति दी है। अनुकंपा नियुक्ति में 15 को सहायक ग्रेड-3, संगणक के पद पर 4, लैब सहायक के 2, डार्क रूम सहायक के 16, चतुर्थ श्रेणी के 16, कार्यभारित और आकस्मिकता निधि के कंटिजेंसी के चतुर्थ श्रेणी के 5, एमपीडब्ल्यू के 63 पद शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल द्वारा विभाग की बैठक में अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए।

संक्षिप्त खबर

मुख्यमंत्री ने कलाकारों को ग्रैमी अवॉर्ड प्राप्त करने पर दी बधाई

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व के प्रतिष्ठित संगीत पुरस्कार ग्रैमी-2024 से सम्मानित होने पर प्रसिद्ध गायक श्री शंकर महादेवन, तबला वादक श्री जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक श्री राकेश चौरसिया, संगीत निर्देशक श्री सेल्वागणेश और वायलिन वादक श्री गणेश राजगोपालन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। प्रतिष्ठित संगीत पुरस्कार दिए जाने पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय संगीत को विश्व में यह सम्मान दिलाकर हमारे देश के महान कलाकारों ने 140 करोड़ भारतीयों का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विश्वभर में भारतीय संगीत का स्वर गूँज रहा है। देश के कलाकारों ने विश्व के संगीत प्रेमियों के मन में अमिट छाप छोड़ी है।

भीतर के पृष्ठों पर

- **पिछला सप्ताह** - देश-विदेश की साप्ताहिक खबरों का संक्षिप्त विवरण
- **चर्चा में** - चर्चित व्यक्तियों और ध्यान आकर्षित करने वाली खबरों की चर्चा
- **सामयिकी** - देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए निकाय पिंक बसों का करें संचालन

भोपाल, प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सचिव नगरीय विकास श्री नीरज मंडलोई ने पत्र जारी कर नगरीय निकायों को व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि यह व्यवस्था नगरीय निकाय में जल्द शुरू की जाये। इंदौर नगर निगम में प्रायोगिक तौर पर 2 पिंक बसों का संचालन शुरू कर दिया है।

प्रदेश में 16 नगर पालिक निगम भिण्ड, गुना, शिवपुरी और विदिशा में नगर पालिका परिषद में पिंक बसों की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। प्रदेश में अमृत योजना एवं जेएनएनयूआरएम के तहत करीब 13 हजार नगरीय बसों का संचालन किया जा रहा है।

पिंक बसों में रहेगी यह व्यवस्था

पिंक बसों में बस संचालक एवं परिचालक (कंडक्टर) महिला ही होगी। पिंक बसों में केवल महिला यात्री ही यात्रा कर सकेंगी। महिला चालक एवं परिचालक के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य होगा। महिला चालक के लिए लायसेंस और ट्रेनिंग की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। स्मार्ट सिटी शहरों में पिंक बसों की निगरानी कमाण्ड सेंटर के माध्यम से की जाने के लिए भी कहा गया है। नगरीय निकायों के उन क्षेत्रों में पिंक बस की व्यवस्था करने को कहा गया है, जहां शैक्षणिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में महिलाओं का आवागमन अधिक होता है। इसके साथ ही पिंक बसों में महिला यात्री को टिकिट की सुविधा के साथ डिजिटल रूप में पेमेंट करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

श्री आडवाणी का भारत रत्न से सम्मान, गौरव का विषय

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर शुभकामनाएं और बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि जनसंघ के समय से आज तक सार्वजनिक जीवन में जिस प्रकार से श्री आडवाणी ने अपना स्थान बनाया, वह नि:संदेह प्रशंसनीय है। उन्हें संसदीय जीवन का लंबा अनुभव है। श्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आभारी हैं। यह हमारे लिए गौरव का विषय है।

ग्राम बगवाड़ा में होगा दूसरा सैनिक स्कूल

विद्यार्थियों को सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन की प्रेरणा मिलेगी

भोपाल, सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर बनने वाले प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्राट विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, दानशीलता, पुरुषार्थ, पराक्रम और सुशासन की शिक्षा और प्रेरणा मिलेगी। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीहोर जिले की बुधनी तहसील के ग्राम बगवाड़ा में सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल के शिलान्यास समारोह में कही।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विद्या भारती संस्थान द्वारा इस सैनिक स्कूल के माध्यम से विद्यार्थियों में संस्कार और राष्ट्र निर्माण की भावना को विकसित करने का काम किया जायेगा। नई शिक्षा नीति के निर्माण में विद्या भारती संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रदेश में जहां भी सैनिक स्कूल शुरू किए जाएंगे वहां प्रदेश सरकार पूरी मदद करेगी।

40 एकड़ का होगा परिसर

सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल परिसर लगभग 40 एकड़ का होगा। विद्यालय परिसर में छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग आवासीय परिसर बनेंगे। विद्यालय में डे-बोर्डिंग की सुविधा भी रहेगी। विद्यालय का मुख्य भवन 24500 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा। इसके साथ ही स्पोर्ट्स ग्राउंड, एथलेटिक्स ट्रैक, हॉकी मैदान, घुड़सवारी का मैदान, स्विमिंग पूल एवं शूटिंग रेंज भी बनाई जाएगी।

3 फरवरी

इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ी

● फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (एफएडीए) के अनुसार वर्ष

2023 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 49.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही पहलों का नतीजा है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जरों और चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी-चालित वाहनों को हरी लाइसेंस प्लेट देने और परमिट जरूरतों से छूट देने की घोषणा की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों से इलेक्ट्रिक वाहनों को पथ-कर से छूट देने की सलाह भी दी है।

● केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म 2, 3 और 5 को अधिसूचित किया है। आईटीआर-1 (सहज) उन व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया जा सकता है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है। यह आय वेतन, घर की संपत्ति एवं अन्य स्रोतों से हो। जिन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) को व्यवसाय या पेशे से आय नहीं है और आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) दाखिल करने के पात्र नहीं हैं, वे आईटीआर-2 दाखिल कर सकते हैं। जबकि व्यवसाय या पेशे से आय वाले लोग आईटीआर फॉर्म-3 दाखिल कर सकते हैं।

4 फरवरी

सीएलईए-कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस आयोजित

● राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा संघ

(सीएलईए)-राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस (सीएएसजीसी) 2024 के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर उन्होंने कहा कि जो सही और उचित है वह तार्किक रूप से भी सही है। ये तीन गुण मिलकर किसी समाज की नैतिक व्यवस्था को परिभाषित करते हैं। इसलिए क़ानूनी व्यवसाय और न्यायपालिका के प्रतिनिधि ही व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करते हैं। यदि उस आदेश को चुनौती दी जाती है, तो वे ही वकील या न्यायाधीश, कानून के विद्यार्थी या शिक्षक के रूप में इसे फिर से सही करने के लिए सबसे अधिक प्रयास करते हैं। राष्ट्रपति ने जब हम 'न्याय वितरण' की बात करते हैं, तो हमें सामाजिक न्याय सहित इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए।

● भारतीय रेलवे ने 2014-15 से ब्रॉड गेज (बीजी) नेटवर्क पर लगभग 40,000 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। 2004-14 के दौरान लगभग 1.42 किलोमीटर प्रति दिन विद्युतीकरण होता था, जो 2022-23 में लगभग 18 किलोमीटर प्रति दिन तक पहुंच गया है। अभी बड़ी लाइन नेटवर्क पर 61,813 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है, जो भारतीय रेलवे के कुल ब्रॉड गेज (बीजी) नेटवर्क का लगभग 94 प्रतिशत है। शेष बीजी नेटवर्क का विद्युतीकरण शुरू कर दिया गया है। 2014-23 के दौरान विद्युतीकरण पर 43,346 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। 2023-24 के दौरान विद्युतीकरण के लिए 8,070 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

5 फरवरी

भारत से आलू आयात करेगा बांग्लादेश

● आलू की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बांग्लादेश ने भारत से 34

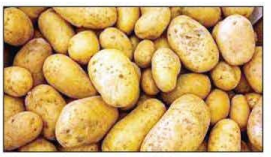

हजार टन आलू के आयात को मंजूरी दी है। भारत के दिनाजपुर के हिली लैंडपोर्ट से बांग्लादेश में 25 टन आलू पहुंचा। इससे बांग्लादेश में खुदरा बाजारों में आलू की कीमत प्रति किलोग्राम 40-45 टका से गिर कर 25-30 टका हो गई है। बांग्लादेश के बाजार में आपूर्ति की कमी के कारण आलू का मूल्य अनियंत्रित हो गया था। बांग्लादेश सरकार ने पिछले वर्ष 30 अक्टूबर को स्थिति को सामान्य रखने और आपूर्ति बनाए रखने के लिए भारत से आलू के आयात की अनुमति दी। वहीं बाजार की स्थिरता को बनाए रखने के लिए बांग्लादेश ने पिछले वर्ष 15 दिसम्बर को हिली लैंडपोर्ट से आलू के आयात को रोक दिया था।

● सूरीनाम की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष श्री मारिनस बी के नेतृत्व में सूरीनाम के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2023 दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय आदान-प्रदान के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण रहा। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी की प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर जनवरी 2023 में भारत यात्रा से हुई थी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और सूरीनाम के बीच स्वास्थ्य, आयुर्वेद, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन जैसे क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग की काफी संभावनाएं हैं।

6 फरवरी

चुनाव आयोग ने प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी

● चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को सलाह दी है कि वे पोस्टर, प्रचार सामग्री,

रैलियों और चुनावी बैठकों सहित किसी भी प्रकार के चुनाव अभियान में बच्चों को शामिल न करें। पार्टियों को भेजी गई एडवाइजरी में पार्टियों और उम्मीदवारों से चुनावी प्रक्रिया के दौरान बच्चों से पोस्टर और पर्चे बांटने, नारेबाजी करने को लेकर जीरो टॉलरेंस जाहिर किया है। आयोग ने कहा कि राजनीतिक नेता और उम्मीदवार प्रचार के दौरान बच्चों को गोद में न लें, गाड़ियों में न बैठाएं और न ही उन्हें रैली में शामिल करें। सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।

● लोकसभा में संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित हो गया है। इस ऐतिहासिक विधेयक का उद्देश्य (i) पहाड़ी जातीय समूह (ii) पदारी जनजाति (iii) कोली और (iv) गड्डा ब्राह्मण को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना है। इन समुदायों के लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों की सूची में इन समुदायों को शामिल करने से गुज्जर और बकरवाल जैसे मौजूदा अनुसूचित जनजाति समुदायों को उपलब्ध आरक्षण के वर्तमान स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनको जैसा आरक्षण मिल रहा था, वैसा ही मिलता रहेगा। नई सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण इस प्रकार प्रदान किया जाएगा कि इसका उन समुदायों पर कोई प्रभाव न पड़े जो पहले से ही अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध हैं।

7 फरवरी

सरकार ने 'भारत' ब्रांड के तहत शुरू की चावल की बिक्री

● केंद्र सरकार ने 'भारत' ब्रांड के तहत चावल की बिक्री शुरू कर दी है। 'भारत'

चावल की खुदरा बिक्री शुरू होने से बाजार में सस्ती दरों पर आपूर्ति बढ़ेगी। इससे चावल की कीमतों में कमी लाने में मदद मिलेगी। 'भारत' चावल केंद्रीय भंडार, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) के सभी भौतिक और मोबाइल आउटलेट्स पर उपलब्ध होगा। इसे अन्य खुदरा दुकानों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक विस्तारित किया जाएगा। 'भारत' ब्रांड चावल परिवार के अनुकूल 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम बैग में बेचा जाएगा, जिसकी कीमत 29 रुपये प्रति किलोग्राम होगी।

● भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों को सरल और कारगर बनाने के लिए विभिन्न संशोधनों को मंजूरी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन संशोधनों को मंजूरी दी गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार संशोधनों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद खाद्य व्यवसायों के लिए सिर्फ एफएसएसएआई प्रमाणीकरण अनिवार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शहद से बनी शराब और अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों, दुग्ध वसा संबंधी उत्पादों और हलीम के लिए मानकों के पुनरीक्षण को भी स्वीकृति दी गई। खाद्य प्राधिकरण ने पहली बार विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विश्लेषण की विधियों से जुड़ी अपनी तरह की विशिष्ट व्यापक नियमावली को भी मंजूरी दी है।

8 फरवरी

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम जारी

● केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीकी राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 'राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

2024' की थीम जारी की। इस वर्ष इसकी थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक रखी गई है। यह थीम न केवल एक नए युग का प्रतीक है, बल्कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक और वैज्ञानिक बिरादरी के लिए सहयोग करने, एक साथ काम करने और समग्र रूप से भारत और मानवता की भलाई में योगदान करने का अवसर भी प्रस्तुत करती है। भारतीय वैज्ञानिक डॉ. सी.वी. रमन द्वारा 'रमन प्रभाव' की खोज के उपलक्ष्य में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया था।

● विदेश मंत्रालय की साझेदारी में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) द्वारा बांग्लादेश के सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) का उद्घाटन एनसीजीजी परिसर, मसूरी में किया गया। 1,500 सिविल सेवकों के लिए सीबीपी के पहले चरण के पूरा होने के बाद, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) ने 2025 तक अतिरिक्त 1,800 सिविल सेवकों की क्षमता बढ़ाने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ समझौता किया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि क्षमता निर्माण कार्यक्रम बांग्लादेश सरकार और भारतीय उच्चायोग, ढाका के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर सिविल सेवकों द्वारा भूमि प्रबंधन प्रथाओं, भूमि अधिग्रहण, भूमि अभिलेखों (रिकॉर्ड) के डिजिटलीकरण, भूमि उपयोग योजना और आवश्यक विशेषज्ञता के अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है।

9 फरवरी

तेलंगाना राज्य विमानन अकादमी और इसरो के बीच समझौता

● तेलंगाना राज्य विमानन अकादमी ने इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) के साथ एक समझौता किया है। यह समझौता ड्रोन पायलटों के लिए उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए किया गया है। ड्रोन का उपयोग सभी क्षेत्रों में बढ़ गया है खासकर खेती में, क्योंकि किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए ड्रोन का उपयोग करते हैं। इसरो के चेयरमैन श्री सोमनाथ ने देश में पहली बार नई पहल के लिए तेलंगाना सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि एनआरएससी ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए विमानन अकादमी के साथ प्रौद्योगिकी साझा करने में सक्रिय रूप से हिस्सा लेगा।

● गुजरात विधानसभा में कक्षा छठी से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में भगवद् गीता के मूल्यों को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव पेश करते हुए गुजरात के शिक्षा मंत्री श्री प्रफुल्ल पंशेरिया ने कहा कि सरकार कम उम्र से ही बच्चों में सच्चाई, सद्भाव और सहनशीलता के गुण विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। गीता के दर्शन के माध्यम से छात्र अधिक प्रबुद्ध होंगे।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित
फोटो : गूगल से साभार)

'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने में संस्कृत की होगी महत्वपूर्ण भूमिका

भोपाल, संस्कृत, भारत की प्राचीनतम भाषा है, संस्कृत के उत्थान से देश का उत्थान होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'वर्ष 2047 के विकसित भारत' संकल्पना को साकार करने में संस्कृत भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका एवं योगदान होगा। संस्कृत के माध्यम से देश, पुनः भारतीय ज्ञान परम्परा से जुड़कर विश्व के समक्ष स्वत्व की पहचान पुनर्स्थापित करेगा। ये बातें उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने भोपाल के 'राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान' के सभागार में महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान एवं संस्कृत भारती मध्यभारत के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 'जनपद संस्कृत सम्मेलन' के शुभारंभ अवसर पर कहीं।

उच्च शिक्षा मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने कहा कि सभ्य एवं संवेदनशील समाज निर्माण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसरण में शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। अपनी भाषा के उत्थान के संकल्प, तथ्यों एवं सही इतिहास के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप क्रियान्वयन किया जा रहा है। श्री परमार ने कहा कि सैकड़ों वर्षों के कठिन संघर्ष और दृढ़ संकल्प से श्री राम मंदिर की पुनर्स्थापना हुई है। भारत को विश्व मंच पर 'विश्वगुरु' बनकर परम वैभव की प्राप्ति और देश में आदर्श राम राज्य स्थापित करने के संकल्प में सभी को नींव का पत्थर बनने की आवश्यकता है।

वर्ष 41, अंक 07 12.02.2024 से 18.02.2024

रोज़गार और निर्माण

www rojgaraurnirman.in

- प्रबंध संचालक - संदीप यादव
- सम्पादक - रंजना चितले
- प्रबंधक - वंदना चतुर्वेदी (विज्ञापन एवं प्रसार)
- प्रबंधक - सुभाष चन्द्र जोशी (मुद्रण)
- आकल्पन - अरविन्द टोप्पो
- वेबसाइट - आत्माराम शर्मा

वार्षिक सदस्य बनने के लिये रुपये 500/- (पाँच सौ) का डी.डी., मनीऑर्डर अथवा पोस्टल ऑर्डर रोज़गार और निर्माण, भोपाल के नाम बनवाकर नीचे लिखे पते पर भेजें :-
रोज़गार और निर्माण, मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन-462011
फोन- 2760006, 2551330, 4281330, फैक्स - 4228409, **e-mail : madhyam.rojgar@gmail.com**
रोज़गार और निर्माण कार्यालय में नगद राशि जमा कर भी इसकी वार्षिक सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। रोज़गार और निर्माण में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। इनसे सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र भोपाल रहेगा। रोज़गार और निर्माण में निजी संस्थाओं के विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं, इन विज्ञापनों में किए गए दावे और तथ्य निजी संस्थाओं के अपने होते हैं। इसका समाचार पत्र के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है।

सम्पादकीय

टंट्या भील विश्वविद्यालय : जनजातीय वर्ग के सम्मान में लिया गया महत्वपूर्ण फैसला

मध्यप्रदेश को यह गौरव प्राप्त है कि यह देश का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या बहुल प्रदेश है। प्रदेश का इन्द्रधनुषीय जनजातीय परिदृश्य अपनी विशिष्टताओं की वजह से मानव-शास्त्रियों, सांस्कृतिक अध्येताओं, नेतृत्व शास्त्रियों और शोधार्थियों के विशेष आकर्षण का केन्द्र रहा है। यहां की जनजातियां सदैव से अपनी बहुवर्णी संस्कृति, भाषाओं, रीति-रिवाज और देशज तथा जातीय परम्पराओं के साथ प्रदेश के गौरव का अविभाज्य अंग रही हैं। मध्यप्रदेश सरकार जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित है। सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का ही परिणाम है कि जनजातीय वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति में व्यापक बदलाव आया है। वे अब अपनी गौरवशाली परम्पराओं के साथ संवैधानिक अधिकारों की मुख्य धारा में हैं। प्रदेश के ऐसे अंचल जो जनजातीय महानायकों की कर्म स्थली रहे हैं, वहाँ बड़े शासकीय संस्थानों का नाम जनजातीय महानायकों के नाम पर रखकर उनके गौरव को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। यह जनजातीय वर्ग के संघर्ष और जनजातीय चेतना के प्रति प्रदेश सरकार के सम्मान भाव का प्रमाण है कि खरगोन में नवीन क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय शुरू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन ने आदेश जारी कर विश्वविद्यालय की स्थापना एवं सत्र 2024-25 से ही इसके परिचालन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। मंत्रिपरिषद की 13 फरवरी को होने वाली बैठक में अनुमोदन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा। अनुमोदन के बाद चालू विधानसभा सत्र में इसे पारित कर अधिनियम के रूप में अधिसूचित करते हुए विश्वविद्यालय की स्थापना विधिक रूप से मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अंतर्गत की जाएगी। शासन ने शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन के अर्थशास्त्र के प्राध्यापक डॉ. जी.एस. चौहान को वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ विश्वविद्यालय खरगोन के कुलसचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपने संबंधी आदेश भी जारी कर दिये हैं। क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन के क्षेत्राधिकार में 5 जिले रहेंगे। इसमें खरगोन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर तथा अलीराजपुर जिले के 83 महाविद्यालय सम्बद्ध होंगे। इससे 25 हजार 500 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। उपरोक्त जिलों के उक्त महाविद्यालय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की संबद्धता से मुक्त होंगे। विश्वविद्यालय की स्थापना शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन का उन्नयन कर की जा रही है। सत्र 2024-25 से इस विश्वविद्यालय का परिचालन उक्त महाविद्यालय के भवन एवं परिसर का उपयोग कर प्रारंभ कर दिया जाएगा।

विश्वविद्यालय के भवन निर्माण में लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदण्ड अनुसार इन विश्वविद्यालयों के लिए शैक्षणिक पद सृजित किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अपेक्षानुसार विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के नवीनतम क्षेत्रों के लिए पाठ्यक्रम प्रारंभ हो, शिक्षण में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए। यह दृष्टिगत करते हुए कि यह विश्वविद्यालय जनजातीय क्षेत्र में है, विद्यार्थियों के कौशल उन्नयन के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए नये कदम और पूर्व में उनके हित में किये गये कार्यों से मध्यप्रदेश का जनजातीय समाज आत्म-गौरव और आत्म-विश्वास के साथ आत्म-निर्भरता के पथ पर अग्रसर हो सकेगा।

सोलर सिस्टम के पास आने से ग्रहों, उपग्रहों को प्रभावित कर सकते हैं ब्लैक होल

अंतरिक्ष में काम करने वाले नासा के वैज्ञानिकों के समूह को हाल ही में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। वैज्ञानिकों द्वारा किये गये शोध के अनुसार अंतरिक्ष में मौजूद कुछ छोटे ब्लैक होल जो ब्रह्मांड की शुरुआत से बनते आ रहे हैं वे पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य ग्रहों की कक्षा को डगमगा सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर यह अनुमान सही साबित होता है और ब्लैक होल सौरमंडल के आसपास से होकर गुजरते हैं तो इसका बड़ा असर ग्रहों और उनके उपग्रहों की कक्षा पर पड़ेगा। वे अपने निर्धारित ऑर्बिट से डगमगा सकते हैं। शोध के अनुसार यह ब्लैक होल हर दस साल बाद सौरमंडल के पास होकर गुजरने वाले हैं।

वैज्ञानिकों के अनुसार अगर यह रहस्यमयी कॉस्मिक बॉडी सच में मौजूद है और अगर यह सोलर सिस्टम के करीब आती हैं तो सभी ग्रहों, उपग्रहों को प्रभावित कर सकती हैं। वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट क्लोज एनकाउंटर ऑफ द प्रीमॉर्डियल काइंड: ए न्यू ऑब्जर्वेबल फॉर प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल एज डार्क मैटर नाम के रिसर्च पेपर में प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्लैक होल के मौजूद होने और खुद को ब्रह्मांड की विशालता में छुपाए रखने की बात ही मन में बेचैनी पैदा करने के लिए काफी है। इनके होने से जो प्रभाव पैदा हो सकता है उसके संभावित परिणाम और भी ज्यादा चिंता पैदा करते हैं। ब्लैक होल हमेशा से ही अंतरिक्ष में रहस्य की तरह मौजूद रहे हैं। खगोलविदों के इस समूह ने अब तक के सबसे दूर और पुराने ब्लैक होल का पता लगाया है। इस ब्लैक होल को बहुत पुरानी आकाशगंगा जीएन-जेड11 में देखा गया है, जो 13.4 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। यह ब्लैक होल सूर्य से लगभग 60 लाख गुना बड़ा है और ऐसा लगता है कि यह अपनी आसपास की आकाशगंगा में मौजूद पदार्थों को 5 गुना ज्यादा तेजी से खा रहा है।

वैज्ञानिकों की इस खोज का फायदा भविष्य में यह होगा कि ब्रह्मांड के शुरुआती युगों में सुपरमैसिव ब्लैक होल सूर्य के लाखों अरब गुना द्रव्यमान तक कैसे पहुंचें, यह जानकारी प्राप्त हो सकेगी। ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड में ऐसी जगह हैं, जहां भौतिकी का कोई नियम काम नहीं करता। वहां सिर्फ गुरुत्वाकर्षण और घना अंधेरा है। ब्लैक होल्स का गुरुत्वाकर्षण इतना पावरफुल होता है कि उसके असर से रोशनी भी नहीं बचती।

- विकास तिवारी

(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विषयों पर लेखन करते हैं)

महिला कल्याण की योजनाएं

कल्याणकारी योजनाओं से परिवार और समाज का केन्द्र नारी को सशक्त करने के प्रयास

भारत को आत्मनिर्भर और विश्व के विकसित राष्ट्रों में अग्रणी बनाने के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जो 'ज्ञान (Gyan) का सम्मान' सूत्र दिया है, उसमें गरीब, युवा, अन्नदाता अर्थात किसान और नारी हैं। मोदीजी का मानना है कि यदि ये चार समूह सशक्त होंगे तो परिवार और समाज ही नहीं राष्ट्र भी सशक्त होगा। इसीलिये मोदीजी की विशिष्ट योजनाओं में इन चारों समूहों को सशक्त बनाने के लिये अलग-अलग योजनाएं आरंभ की गई हैं। इसमें नारी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिये सबसे अधिक योजनाएं आरंभ की गई हैं।

भारतीय चिंतन में नारी को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। यदि विदेशी आक्रमणों और उनकी सत्ताओं के काल-खंड को छोड़ दें तो भारत में नारी सदैव सशक्त और अग्रणी रही है। यह माना जाता है कि नारी ही परिवार, समाज और राष्ट्र की धुरी होती है। खुशहाली के लिये नारी को प्रसन्न और सशक्त होना आवश्यक है। यह सशक्तिकरण बहुआयामी होना चाहिए। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक सब प्रकार से। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी सरकार के दस वर्षीय कार्यकाल में महिलाओं को सशक्त बनाने की योजनाएं तो आरंभ की ही हैं। इसके साथ ही वे अपने संबोधन में भी महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हैं। उन्हीं के प्रयासों से दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल पास हो सका। श्री मोदी की सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये इन सभी दिशाओं में काम किया है जैसे नारी को अपने दायित्व निभाने में असुविधा न हो, नारी स्वस्थ रहे, आर्थिक और मानसिक रूप से आत्मनिर्भर हो और समाज में सम्मानित हो तभी वह प्रसन्न रहेगी। इन सभी प्राथमिकताओं पर योजनाएं आरंभ हुई हैं। इससे परिवार और समाज के सशक्तिकरण की दिशा तेज हुई है और राष्ट्र की समृद्ध भी बढ़ी है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

समाज और परिवार की आधारभूत आवश्यकता भोजन है। भोजन बनाने का काम महिलाएं करती हैं। ग्रामीण क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र या वनग्रामों में रहने वाली महिलाएं लकड़ी बीनकर, कंडे आदि जुटाकर भोजन बनाती थीं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने पद पर आने से पहले पूरे भारत की यात्रा की है और ग्रामीण जीवन की यह समस्या अपनी आंखों से देखी है। इसलिए सत्ता संभालने के साथ ही उन्होंने इस दिशा में सर्वेक्षण कराया और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आरंभ की। यह योजना 1 मई, 2016 को आरंभ हुई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आरंभ इस योजना का उद्देश्य भोजन बनाने में जलाऊ लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि के धुंए से महिलाओं को मुक्ति दिलाना है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाता है। सरकार 14.2 किलो वाले सिलेंडर के गैस कनेक्शन के लिए 1600 रुपये नगद सहायता एवं 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए 1150 रुपये प्रदान करती है। इसके साथ ही सिलेंडर सुरक्षा के लिए 1250 एवं 800, प्रेशर रेगुलेटर के लिए 150, एलपीजी होज के लिए 100 रुपये, घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड के लिए 25 रुपये तथा निरीक्षण, स्थापना प्रदर्शन के लिये 75 रुपये दिये जाते हैं। इसके साथ ही तेल विपणन कंपनियों द्वारा हितग्राहियों को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इस ऋण में एलपीजी सिंगल बर्नर स्टोव के लिए 565 रुपये, 2 बर्नर स्टोव के लिए 990 रुपये तथा कनेक्शन के समय प्राप्त पहले सिलेंडर की रिफिल लागत भी शामिल है।

इस योजना के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की हितग्राही, अति पिछड़ा वर्ग, अंत्योदय अन्न योजना, चाय बागानों में काम करने वाली जनजातियां या पूर्व में काम कर चुके जनजातीय परिवारों की सदस्य, वनवासी, द्वीप समूह और नदी द्वीप समूह में रहने वाले परिवार, एसईसीसी परिवार और अन्य योजनाओं के अंतर्गत घोषित गरीब परिवारों की महिलाएं पात्र मानी गई हैं। जो महिलाएं 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हैं इसके लिये आवेदन कर सकती हैं। एक परिवार में एक ही उज्ज्वला कनेक्शन दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवार में कोई और गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए।

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभिक तीन वर्ष के लिए कुल 8,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया था। जो बाद में बढ़ाकर 12,800 करोड़ रुपये कर दिया गया।

उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अब तक 10 करोड़ से भी अधिक महिलाएं लाभार्थी बनाई जा चुकी हैं। जबकि उज्ज्वला योजना 2.0 के अंतर्गत अब तक 21,616,718 से भी अधिक महिलाओं को लाभार्थी बनाया जा चुका है।

प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना

यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2017 में आरंभ की है। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना का उद्देश्य महिलाओं का संरक्षण और सशक्तिकरण करना है। इस योजना के तहत गांव-गांव की महिलाओं को सामाजिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने और उनकी क्षमता का अनुभव कराने का काम किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य, जिला एवं जनपद चारों स्तरों पर 'महिला शक्ति केंद्र' स्थापित किए गए हैं। इन शक्ति केंद्रों के माध्यम से महाविद्यालयीन विद्यार्थियों एवं सामुदायिक स्वयंसेवकों का सहयोग लेते हुए महिला केंद्रित सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कराया जाता है। ये केंद्र बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं। इस योजना में केंद्र और राज्य के बीच 60:40 अनुपात की वित्तीय भागीदारी होती है। उत्तर-पूर्व तथा विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के लिए ये अनुपात 90:10 है।, जबकि संघ शासित प्रदेशों के लिए पूरा वित्तीय पोषण केंद्र सरकार ही करती है।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना विशेषकर उन महिलाओं के लिये हैं जो या तो गर्भवती हैं अथवा प्रसूति समयावधि में हैं। यह योजना 2017 में प्रारंभ हुई। इस योजना का उद्देश्य प्रसूति अवकाश के दौरान कामकाजी महिलाओं को वेतन या मजदूरी के नुकसान की भरपाई करके उचित आराम व पोषण की व्यवस्था करना है। साथ ही गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और उनके उचित पोषण को प्रोत्साहित करने के लिए नकद सहायता भी प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान लाभ दिया जा रहा है। योजना की लाभ राशि DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाती है। इसके लिये सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग की 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष की आयु के बीच की गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं पात्र होती हैं। इन्हें पहली किश्त के 1000 रुपये दूसरी किश्त 2000 रुपये तथा छह महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच रिपोर्ट के बाद और तीसरी किश्त 2000 बच्चे का जन्म पंजीकरण होने के बाद दिये जाते हैं। इसके बाद बच्चे का BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस-B सहित टीकाकरण का चक्र शुरू होता है।

महिला का दूसरा शिशु लड़की है तो उसे इस योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ के रूप में 6000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। आर्थिक सहायता के अतिरिक्त गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा भी इस योजना के अंतर्गत दी जाती है।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया मोबाइल एप और पोर्टल की सहायता से पूर्णतया डिजिटाइज़ (पेपरलेस) हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सुसंगत और सरल है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) लाभार्थियों के आवेदन कराती हैं। लाभार्थी सक्षम हों तो खुद भी पोर्टल पर पंजीकरण कर सकती हैं।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं दिया जा सकता जिनकी केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित तौर पर नियुक्त की गई है अथवा किसी अन्य योजना या कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं।

योजना के अंतर्गत अब तक 3.60 करोड़ से अधिक महिलाओं का पंजीकरण हुआ है। जबकि 3.21 करोड़ से अधिक हितग्राही महिलाओं को 14,428.35 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मातृत्व लाभ के रूप में वितरित की जा चुकी है।

प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी, 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत दस वर्ष से कम उम्र की बच्चियों की उच्च शिक्षा देने से लेकर विवाह में भी सहयोग का प्रावधान है। यह एक प्रकार से बच्चियों के भविष्य की एक बचत योजना है। इस योजना का लाभ लेने के लिये किसी भी बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में जाकर अपनी 10 साल से कम आयु की बेटी के लिए अकांउट खुलवाना होता है। योजना पूरी हो जाने पर सारा पैसा उसे मिलेगा, जिसके नाम पर यह अकांउट होगा।

रमेश शर्मा

(लेखक- वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार हैं।)

न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड

रावतभाटा राजस्थान साइट

पोस्ट – अणुशक्ति, वाया – कोटा(राज.) पिन-323303

(भारत सरकार का उद्यम)

विज्ञापन सं. आर आर साइट/मा.सं.प्र./01/2024

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तारीख:24.01.2024 **को** 10:00 hrs. **बजे से**

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख: 14.02.2024 **को** 16:00 hrs. **बजे तक**

एनपीसीआईएल, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक अग्रणी उद्यम है, जो कि भारत में एक ही स्थान पर नाभिकीय प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं यथा नाभिकीय रिएक्टरों के लिए स्थल चयन, अभिकल्पन, निर्माण, कमिशनिंग, प्रचालन, अनुरक्षण, पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण तथा अपग्रेडेशन, संयंत्र आयु विस्तार, अपशिष्ट प्रबंधन एवं डीकमिशनिंग की व्यापक क्षमता रखता है, अपनी इकाई "रावतभाटा राजस्थान साइट" पर विभिन्न चुनौतीपूर्ण उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है:-

1. **पदवार रिक्तियों का विवरण**

क्रम सं.	पदों के नाम	वर्तमान रिक्तियां						बैकलॉग रिक्तियां					कुल (A+B)
		कुल	अजा	अज जा	अपेव (एनसी एल)	ईडब्ल्यू एस	अना	कुल	अजा	अज जा	अपेव (एनसी एल)	बेनिज	
1	श्रेणी-I वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु/ वैज्ञानिक सहायक (एसटी/एसए)- अभियांत्रिकी में डिप्लोमाधारी												
1(अ)	यांत्रिकी अभियांत्रिकी	23	3	1	7	2	10	02	-	-	-	02	25
1(ब)	विद्युत अभियांत्रिकी	12	2	1	3	2	4	-	-	-	-	-	12
1(स)	इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी	11	1	1	3	1	5	01	-	01	-		12
2	श्रेणी-I वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु/ वैज्ञानिक सहायक (एसटी/एसए)- विज्ञान स्नातक बी. एससी. (भौतिक शास्त्र)	4	1	0	1	0	2	-	-	-	-	-	4
	कुल	50	7	3	14	5	21	3	-	1	-	2	53

नोट : ग्रुप-बी पदों की वर्तमान 50 रिक्तियों में कुल 02 रिक्तियां क्षैतिज रूप से बेनिज अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं ,02 बैकलॉग रिक्तियां बेनिज हेतु आरक्षित है तथापि बेनिज के निर्धारित श्रेणीं में इंटर चेंजअबल हैं

संक्षिप्ति: अजा- अनुसूचित जाति, अजजा-अनुसूचित जनजाति, अपिव (एन सी एल)-अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर), बेनिज-बेंचमार्क निःशक्त जन ईडब्ल्यूएस – इकॉनोमिकली वीकर सेक्शन, अना- अनारक्षित |

2. **अनिवार्य अर्हता, आयु सीमा, वेतन लेवल**

क्रम सं.	पदों के नाम	अनिवार्य अर्हता	आयु सीमा 14.02.2024	वेतन लेवल (As per 7th CPC Revised Pay)
1	श्रेणी-I वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु/ वैज्ञानिक सहायक (एसटी/एसए)- अभियांत्रिकी में डिप्लोमाधारी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिकी/ विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% अंकों के साथ डिप्लोमा । इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, एस.एस.सी./एच.एस.सी. के पश्चात तीन वर्षीय अवधि का होना चाहिए । या एचएससी के पश्चात द्वितीय वर्ष में पार्श्विक प्रवेश के जरिए यांत्रिकी / इलेक्ट्रीकल/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में दो (02) वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम (ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित) 60% अथवा उससे अधिक अंकों के साथ	कम से कम एसएससी या एचएससी स्तरीय परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए। **नोट**: दसवीं (एसएससी) + आई.टी.आई. के बाद डिप्लोमा के द्वितीय वर्ष में पार्श्विक प्रवेश के जरिए डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं है ।	18 to 25 वर्ष	₹ 35,400/- (वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल 06)
2	श्रेणी-I वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु/ वैज्ञानिक सहायक (एसटी/एसए)- विज्ञान स्नातक बी. एससी. (भौतिक शास्त्र)	न्यूनतम 60% अंकों के साथ बी.एससी| बी.एससी में भौतिकी मुख्य विषय के रूप में एवं रसायन विज्ञान/गणित/सांख्यिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूटर विज्ञान सब्सिडरी (सहायक) के रूप में अथवा बी.एससी में भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं गणित विषय समान भारांक के रूप में	एच.एस.सी. (10+2) स्तर पर गणित विषय होना अनिवार्य है| एसएससी अथवा एचएससी स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना अनिवार्य है| अभ्यर्थी जिनके पास बी.एससी. में गणित मुख्य विषय के रूप में है, वे पात्र नहीं हैं|		

3. एनपीसीआईएल में बेंचमार्क निःशक्तजन हेतु चिन्हित रिक्तियां है: निःशक्तता 40% या इससे अधिक होनी चाहिए | विस्तृत विज्ञापन एनपीसीआईएल की वेबसाइट https://www.npcilcareers.co.in पर दिनांक 24.01.2024, 10:00 बजे से उपलब्ध है| इस भर्ती से संबंधित कोई अन्य सूचना/शुद्धिपत्र/अनुशेष आदि https://www.npcilcareers.co.in पर अपलोड किए जाएंगे।

उप प्रबंधक (मा.सं.प्र.)

एनपीसीआईएल, महिला -पुरुष समानता वाला कार्यबल तैयार करने के लिए प्रयत्नशील है और महिला आवेदकों को आवेदन हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

न्यूक्लियर विद्युत- एक स्वच्छ टिकाऊ भविष्य

''स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो''
एनपीसीआईएल, भारत सरकार द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत मिशन को प्रोत्साहित करता है।
न्यूक्लियर विद्युत – एक अपरिहार्य विकल्प

महानिदेशालय
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
(गृह मंत्रालय)

सीआरपीएफ में खेल कोटा-2024 के तहत कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) पद के लिए मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में नीचे पैरा 2 की तालिका के अनुसार खेल कोटा के तहत अस्थायी आधार पर (स्थायी किए जाने की संभावना) समूह 'सी' में **कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी)** के अराजपत्रित और अलिपिकीय पदों के लिए **169 रिक्तियों** को भरने के लिए पात्र भारतीय नागरिकों (पुरुष और महिला) से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. इन पदों पर अखिल भारतीय दायित्व है और चयनित उम्मीदवारों को भारत में कहीं भी और यहां तक कि विदेश में भी पदस्थापित किया जा सकता है. नियुक्ति के पश्चात, उम्मीदवार सीआरपीएफ अधिनियम 1949 और सीआरपीएफ नियम 1955 द्वारा नियंत्रित होंगे. उम्मीदवारों से आवेदन केवल **ऑनलाइन मोड** के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. आवेदन जमा करने के लिए किसी अन्य माध्यम की अनुमति नहीं है. ऑनलाइन आवेदन मोड **16.01.2024 को सुबह 09:00 बजे से खोला जाएगा और 15.02.2024 को दोपहर 12:00 बजे बंद कर दिया जाएगा.** आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता की जांच कर लें ताकि बाद में निराशा से बचा जा सके.

2. रिक्तियों का विवरण इस प्रकार हैं:

क्षेत्र	आयोजन	रिक्तियां		
		पुरुष	महिला	कुल
जिम्नास्टिक	ऑल राउंडर (फ्लोर एक्सरसाइज, पॉमेल हॉर्स, रिंग्स, वॉल्टिंग टेबल, पैरेलल बार, हॉरिजॉन्टल बार)	6	0	6
जूडो	-52 किलोग्राम	-	1	1
	-57 किलोग्राम	-	1	1
	-60 किलोग्राम	1	-	1
	-63 किलोग्राम	-	1	1
	-66 किलोग्राम	1	-	1
	-73 किलोग्राम	1	-	1
वुशु	सांडा 45 किलोग्राम	-	1	1
	सांडा 48 किलोग्राम	1	-	1
	सांडा 52 किलोग्राम	1	-	1
	सांडा 56 किलोग्राम	1	1	2
	सांडा 60 किलोग्राम	1	-	1
	सांडा 65 किलोग्राम	-	-	-
	सांडा 40 किलोग्राम	1	-	1
	चानक्वान /दाओशु /गनशु /(चान ग्रुप)	-	1	1
	तैजीकुआन /तैजीजिआन	-	1	1
शूटिंग	10 मीटर एयर पिस्टल	-	1	1
	25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल	1	-	1
	50 मीटर फ्री पिस्टल	1	1	2
	300 मी बिग बोर प्रोन	1	-	1
	स्किट और ट्रैप	2	2	4
बॉक्सिंग	50 किलोग्राम	-	1	1
	52 किलोग्राम	-	1	1
	54 किलोग्राम	1	-	1
	57 किलोग्राम	1	-	1
	66 किलोग्राम	-	1	1
एथलेटिक्स	100 मीटर	-	1	1
	200 मीटर	-	1	1
	400 मीटर	-	1	1
	800 मीटर	-	1	1
	1500 मीटर	-	1	1
	10000 मीटर	1	-	1
	100 मीटर (हर्डल)	-	1	1
	400 मीटर (हर्डल)	-	1	1
	3000 मीटर एस/सी	1	1	2
	ट्रिपल जंप	1	1	2
	डिस्कस थ्रो	1	1	2
	जैवलिन थ्रो	-	1	1
	हैमर थ्रो	1	1	2
	शॉट पुट	-	1	1
	हेप्टाथलोन	-	1	1
	10 किलोमीटर वॉक	-	1	1
	20 किलोमीटर वॉक	1	-	1
	क्रॉस कंट्री	1	-	1
तीरंदाजी	रिकर्व	1	1	2
	कंपाउंड	1	2	3
	इंडियन राउंड	-	1	1
कुश्ती फ्री स्टाइल	50 किलोग्राम	-	1	1
	53 किलोग्राम	-	1	1
	55 किलोग्राम	-	1	1
	57 किलोग्राम	-	1	1
	62 किलोग्राम	-	2	2
	65 किलोग्राम	1	2	3
	70 किलोग्राम	1	-	1
ग्रीको रोमन	63 किलोग्राम	1	-	1
ताइक्वांडो	46 किलोग्राम से कम	-	1	1
	49 किलोग्राम से कम	-	1	1
	63 किलोग्राम से कम	1	-	1
	68 किलोग्राम से कम	1	-	1
	पुमसाय फ्री स्टाइल	-	1	1
वॉटर स्पोर्ट्स	कायक	-	1	1
कायक	कायक स्लालोम	1	2	3
कैनोय	कैनोय	-	2	2
	कैनोय स्लालोम	1	1	2
रोइंग	स्वीप	-	2	2
बॉडी बिल्डिंग	60 किलोग्राम	1	-	1
	65 किलोग्राम	1	-	1
वेटलिफ्टिंग	45 किलोग्राम	-	2	2
	55 किलोग्राम	-	1	1
	61 किलोग्राम	1	-	1
	64 किलोग्राम	-	1	1
	67 किलोग्राम	1	-	1
	73 किलोग्राम	1	-	1
तैराकी	1500 मीटर फ्री स्टाइल	1	-	1
	400 मीटर फ्री स्टाइल	1	-	1
	200 मीटर फ्री स्टाइल	-	1	1
	50 मीटर फ्री स्टाइल	-	1	1
	200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक	1	1	2
	200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक	-	1	1
	100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक	-	1	1
	50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक	-	1	1
	200 मीटर बटर फ्लाई	1	1	2
तैराकी	100 मीटर बटर फ्लाई	-	1	1
	50 मीटर बटर फ्लाई	-	1	1
	400 मी इंडिविजुअल मेडले	1	-	1
डाइविंग	हाई बोर्ड	1	1	2
	3 मी स्प्रिंग बोर्ड	-	1	1
	1 मी स्प्रिंग बोर्ड	1	1	2
ट्राईएथलोन	ट्राईएथलोन	1	-	1
कराटे	कुमिटे- 55 किलोग्राम	-	2	2
	कुमिटे- 61 किलोग्राम	1	1	2
	कुमिटे- + 68 किलोग्राम	-	1	1
	इंडिविजुअल काटा/टीम काटा	-	1	1
योग	योगासन (पारंपरिक, आर्टिस्टिक सिंगल, आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक पेयर, ग्रुप इवेंट)	-	5	5
इक्वेस्ट्रियन	-	7	3	10
याचिंग	-	5	5	10
आइस हॉकी	-	8	-	8
आइस स्केटिंग	-	8	-	8
आइस स्कीइंग	-	4	-	4
	कुल	83	86	169

टिप्पणी :

ए) भर्ती केवल मेधावी खिलाड़ियों के लिए है, जो नीचे पैरा-4(डी) के अनुसार या तो पदक विजेता/पद धारक और/या प्रतिभागी हैं.

बी) रिक्तियां संभावित हैं और बिना किसी सूचना के बढ़ या घट सकती हैं. रिक्तियों की संख्या में किसी भी बदलाव की सूचना सीआरपीएफ भर्ती वेबसाइट यानी **https://recruitment.crpf.gov.in/** के माध्यम से दी जाएगी.

सी) सीआरपीएफ के पास इस विज्ञापन के प्रकाशन के बाद भर्ती प्रक्रिया के क्रम में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित है. सीआरपीएफ के पास प्रशासनिक कारणों से किसी भी स्तर पर भर्ती को रद्द करने या स्थगित करने का अधिकार भी सुरक्षित है.

3. **वेतनमान एवं अन्य भत्ते :**

ए) **7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स के अनुसार संशोधित वेतनमान:-**

पद	संशोधित पे मैट्रिक्स में मूल वेतन (7वें सीपीसी के अनुसार)
कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी (स्पोर्ट्समैन)	लेवल-3 (21,700 -69,100 रुपए)

बी) **अन्य भत्ते-** सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू अन्य सभी भत्ते. नियुक्ति पर, उम्मीदवार भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(7)(2)/2003/टीए दिनांक 07/01/2004 द्वारा लागू नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अनुसार पेंशन लाभ के हकदार होंगे.

4. **(ए) पद के लिए पात्रता निम्नानुसार है :-**

पद का नाम	आयु	अनिवार्य शैक्षिक योग्यता	खेल योग्यता
सीटी (जीडी) स्पोर्ट्स पर्सन	18 से 27 वर्ष (संबंधित भर्ती नियमावली के अनुसार उम्र में छूट)	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष	ऐसे योग्यताधारी खिलाड़ी, जिन्होंने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त संबंधित फेडरेशन/ एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित या भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान 01/01/2021 से 31/12/2023 तक किसी भी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय ख्याति वाले खेलों/राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (जूनियर और सीनियर दोनों) या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति चैम्पियनशिप में किसी राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया हो. ऐसे योग्यताधारी खिलाड़ी, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान 01/01/2021 से 31/12/2023 तक भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में अपने विश्व-विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है. ऐसे योग्यताधारी खिलाड़ी, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान 01/01/2021 से 31/12/2023 तक स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफडी) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्कूल खेलों में राज्य स्कूल टीम का प्रतिनिधित्व किया हो.

टिप्पणी :

(i) उम्मीदवारों की आयु स्थापित करने के लिए केवल मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र ही प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा.

(ii) उम्मीदवारों को सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा और भर्ती की तिथि पर उनके पास सभी प्रमाणपत्र होने चाहिए. भर्ती की तिथि पर जिन अभ्यर्थियों के पास शिक्षा/खेल प्रमाणपत्र नहीं है, वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे.

(iii) केंद्रीय बोर्ड/राज्य बोर्ड के अलावा अन्य सभी शैक्षिक प्रमाणपत्रों के साथ केंद्र सरकार के अधीन सेवा के लिए ऐसी योग्यता की समकक्षता की घोषणा करने वाली सरकारी अधिसूचनाएं संलग्न होनी चाहिए.

(बी) आयु और छूट: आयु 18 से 23 वर्ष. आयु निर्धारित करने की अंतिम तिथि 15/02/2024 अर्थात ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी.

(i) अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष (अजा/अजजा के मामले में अतिरिक्त 05 वर्ष अर्थात 5+5= 10 वर्ष और अपिव नॉन-क्रीमी लेयर (एनसीएल) के मामले में तीन (3) वर्ष अर्थात 5+ 3 वर्ष) की छूट है.

(ii) तीन साल की निरंतर सेवा वाले विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल तक की छूट है और इसके अलावा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 5 साल की छूट और अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) के लिए 3 साल की छूट है, जो खुली भर्ती वाले उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं.

(iii) उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आवेदन जमा करने की तारीख पर उपलब्ध मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि ही आयु निर्धारित करने के लिए स्वीकार की जाएगी और इसके परिवर्तन के लिए किसी भी बाद के अनुरोध पर विचार या अनुमति नहीं दी जाएगी.

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) के दर्जे के आधार पर आयु में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवार ध्यान दें कि गैर-क्रीमी लेयर स्थिति पर प्रमाणपत्र आवेदन की अंतिम तिथि यानी 15/02/2024 से पहले तीन साल के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए.

(v) जो अभ्यर्थी आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें भर्ती बोर्ड के समक्ष निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाणपत्र जमा करना होगा, अन्यथा, अजा/अजजा/अपिव (एनसीएल) दर्जे के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और आयु में कोई छूट नहीं दी जाएगी. ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जाएगा.

(vi) प्रमाणपत्रों का प्रारूप अनुलग्नक-**II** से अनुलग्नक-**VI** के रूप में संलग्न है. किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे.

(सी) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस): उन उम्मीदवारों के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की योजना के तहत कवर नहीं हैं, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36039/1/2019-ईएसटीटी (आरईएस दिनांक 31.01.2019 और समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी इसका संशोधन के अनुसार स्वीकार्य होगा.

(डी) खेल योग्यता:

(i) केवल वे खिलाड़ी, जिन्होंने 01/01/2021 से 31/12/2023 की अवधि के दौरान नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित प्रतियोगिता के स्तरों में भाग लिया है या पदक जीते है, आवेदन करने के पात्र हैं.

(ii) उम्मीदवार को 01/01/2021 से 31/12/2023 के दौरान उसके द्वारा प्राप्त किसी एक सर्वोच्च पदक के लिए अंक दिए जाएंगे. यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी विशेष प्रतियोगिता में 01 से अधिक पदक प्राप्त किए हैं, तो उस स्थिति में उसे प्रतियोगिता में प्राप्त केवल सर्वोच्च पदक/स्थान के लिए अंक दिए जाएंगे और अलग-अलग प्रतियोगिताओं के लिए दिए गए अंक समग्र खेल उपलब्धियों में शामिल नहीं किए जाएंगे.

(iii) अंकन नीचे दी गई तालिका के अनुसार किया जाएगा:

क्र. सं.	प्रतिस्पर्धा	स्वर्ण पदक का अंकन	रजत पदक का अंकन	कांस्य पदक का अंकन	भागीदारी हेतु अंकन
1.	ओलंपिक गेम/ समर/ विंटर	100	96	92	80
2.	विश्व चैंपियनशिप/ विश्व कप	90	86	82	70
3.	एशियाई खेल/ कॉमनवेल्थ गेम	80	76	72	60
4.	एशियाई चैंपियनशिप/कप/ कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप	70	66	62	50
5.	यूथ ओलंपिक गेम	60	56	52	40
6.	यूथ/ जूनियर एशियाई चैंपियनशिप एवं यूथ/जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप	50	46	42	30
7.	एसएफएफ गेम्स और भारत सरकार (युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय) द्वारा देशों की न्यूनतम भागीदारी के साथ मान्यताप्राप्त कोई भी इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक द्वारा समर्थित.	40	36	32	26
8.	नेशनल गेम्स और सीनियर नेशनल चैंपियनशिप (i) व्यक्तिगत पदक (ii) विशेष खेल में टीम पदक	 30 26	 26 22	 22 18	 -
9.	यूथ/जूनियर नेशनल चैंपियनशिप (i) व्यक्तिगत पदक (ii) विशेष खेल में टीम पदक	 20 16	 16 12	 12 08	 -

(ई) वरीयता क्रम : -

(i) पहली वरीयता	वे अभ्यर्थी, जिन्होंने युवा कार्यक्रम और खेल विभाग (भारत सरकार) की मंजूरी के साथ सीनियर, जूनियर या युवा श्रेणियों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया है और अपनी प्राथमिकता के क्रम में स्वर्ण/रजत/कांस्य पदक जीते हैं.
(i) दूसरी वरीयता	उम्मीदवार, जिसने मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ या भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में सीनियर या जूनियर नेशनल चैंपियनशिप/गेम्स में प्रतिनिधित्व किया हो और पदक या तीसरे स्थान तक का स्थान जीता हो.

(एफ) शारीरिक मानदंड :-

क्र. सं.	विवरण	लंबाई		सीना की माप केवल पुरुषों के लिए (न्यूनतम 05 सेंटीमीटर का फैलाव अनिवार्य)
		पुरुषों के लिए	महिलाओं के लिए	
(1)	सामान्य उम्मीदवार	170 सेमी	157 सेमी	80 सेमी
(2)	(2) गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और असम, हिमाचल प्रदेश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के कश्मीर क्षेत्र और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख से संबंधित उम्मीदवार.	165 सेमी	155 सेमी	78 सेमी
(3)	(3) उत्तर-पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले उम्मीदवार और गोरखा प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) से आने वाले उम्मीदवार, जिसमें दार्जिलिंग जिले के तीन उप-मंडल अर्थात् दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कर्सियांग शामिल हैं और इन जिलों के निम्नलिखित 'मौज़ा' उप प्रभाग शामिल हैं : (1) लोहागढ़ चाय बागान (2) लोहागढ़ वन (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पानीघाटा (6) छोटा अदलपुर (7) पहरू (8) सुकना वन (9) सुकना भाग-1 (10) पंतपति वन-1 (11) महानदी वन (12) चंपासारी वन (13) सफबारी छत भाग-2 (14) सिटोंग वन (15) सिवोक हिल वन (16) सिवोक वन (17) छोटा चेंगा (18) निपानिया	162.5 सेमी	152.5 सेमी	77 सेमी
(4)	अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित सभी उम्मीदवार	162.5 सेमी	150 सेमी	76 सेमी
(5)	पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा और वामपंथी उग्रवाद वाले जिलों से आने वाले अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवार.	157 सेमी	147.5 सेमी	76 सेमी

वजन-पुरुष और महिला उम्मीदवार के लिए मेडिकल मानकों के अनुसार ऊंचाई और उम्र के अनुपात में.

(i) मेडिकल मानक: उम्मीदवारों की मेडिकल परीक्षा सीएपीएफ और एआर में जीओ और एनजीओ के लिए भर्ती मेडिकल परीक्षा के लिए एमएचए यू.ओ. क्रमांक ए.VI-1/2014-रिक्रूटमेंट (एसएसबी) दिनांक 20.05.2015 और सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएगी.

(ii) आंखों की दृष्टि - दोनों आंखों के लिए न्यूनतम दूरी की दृष्टि बिना किसी सुधार के यानी चश्मा या लेंस पहने बिना 6/6 और 6/9 होनी चाहिए.

दृष्टि तीक्ष्णता सहायता रहित (निकट दृष्टि)		बिना सुधार दृष्टि तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)		रिफ्रैक्शन	रंग दृष्टि	टिप्पणी
बेहतर आंख	खराब आंख	बेहतर आंख	खराब आंख			
एन 6	एन 9	6/6	6/9	किसी भी प्रकार के दृश्य सुधार की अनुमति चश्मे से भी नहीं है.	इशिहारा द्वारा सीपी III	-दाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति में, दाहिनी आंख बेहतर आंख होती है और इसके विपरीत भी. -बायनोक्युलर दृष्टि आवश्यक है

(iii) कलर ब्लाइंड व्यक्ति भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा. यदि कोई व्यक्ति सेवा कैरियर के किसी भी चरण में कलर ब्लाइंड पाया जाता है, तो उसे प्रचलित शेप नीति के अनुसार बाहर कर दिया जाएगा.

(iv) उम्मीदवार के घुटने मुड़े हुए, सपाट पैर, वैरिकाज नसें या आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए.

(v) गृह मंत्रालय द्वारा जारी मई, 2075 के संशोधित मेडिकल दिशानिर्देशों के अनुसार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में होना चाहिए और कर्तव्यों के कुशल प्रदर्शन में बाधा डालने या अस्वीकृति का कारण बनने वाली किसी भी मेडिकल स्थिति या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए.

(vi) **टैटू :-**

(ए) **सामग्री:** एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते, हमारे देशवासियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और इस प्रकार, भारतीय सेना में अपनाए जाने वाले धार्मिक प्रतीकों या आकृतियों और नाम को दर्शाने वाले टैटू की अनुमति दी जानी चाहिए.

(बी) **स्थान:** शरीर के पारंपरिक स्थानों जैसे अग्रबाहु के आंतरिक भाग पर टैटू बनवाना, लेकिन केवल बायीं भुजा पर, सलामी देने वाले अंग या हाथों के पृष्ठ भाग पर टैटू की अनुमति नहीं है.

(सी) **आकार:** आकार शरीर के विशेष भाग (कोहनी या हाथ) के एक-चौथाई से कम होना चाहिए.

5. **आवेदन कैसे करें**

(ए) **ऑनलाइन आवेदन मोड सीआरपीएफ भर्ती वेबसाइट https://recruitment.crpf.gov.in पर 16.01.2024 से सुबह 09:00 बजे खोला जाएगा और 15.02.2024 को दोपहर 12:00 बजे बंद कर दिया जाएगा.**

(बी) योग्य और इच्छुक उम्मीदवार केवल सीआरपीएफ भर्ती वेबसाइट **https://recruitment.crpf.gov.in/** के माध्यम से आवेदन करें. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्देशों को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आवेदनपत्र भरें. आवेदन केवल ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए. कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा. ऑफलाइन आवेदन जमा करने वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएगी.

(सी) उम्मीदवार को सीआरपीएफ पर पैरा 4(डी) में उल्लिखित खेल उपलब्धि में अपने उच्चतम पदक/स्थान या भागीदारी के उच्चतम स्तर के समर्थन में उपरोक्त पैरा-2 में उल्लिखित खेल अनुशासन के लिए प्रमाणपत्र या कागजात की प्रति अपलोड करनी होगी. पद के लिए आवेदन करने से पहले भर्ती वेबसाइट **https://recruitment.crpf.gov.in/** पर अपनी प्रोफाइल बनाएं, अन्यथा उनका ऑनलाइन आवेदन जांच के दौरान खारिज कर दिया जाएगा.

(डी) **आवेदन शुल्क और भुगतान का तरीका** - खेल कोटा के तहत कांस्टेबल (जीडी) के पद पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अनारक्षित (अना), अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी से संबंधित पुरुष उम्मीदवार आवेदन शुल्क के रूप में सीआरपीएफ भर्ती वेबसाइट **https://recruitment.crpf.gov.in/** के माध्यम से 100 रुपये (एक सौ रुपये मात्र) का भुगतान करें. शुल्क भुगतान के किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा. महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क में छूट दी गई है.

टिप्पणी : -

(i) एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा.

(ii) उपरोक्त के अलावा अन्य तरीकों से भुगतान किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और उम्मीदवारों को सीधे खारिज कर दिया जाएगा और किया गया भुगतान जब्त कर लिया जाएगा.

6. **चयन प्रक्रिया :-**

जिन खिलाड़ियों ने 01/01/2021 से 31/12/2023 की अवधि के दौरान उपरोक्त पैरा-4 (डीएफ) में दी गई प्रतियोगिताओं में भाग लिया है या पदक जीते हैं, वे सीआरपीएफ में कांस्टेबल/जीडी (खिलाड़ी) के पद पर भर्ती के लिए पात्र होंगे. जिन उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन पाए गए हैं, उन्हें भर्ती प्रक्रिया यानी दस्तावेज़ीकरण, शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन प्रवेशपत्र जारी किए जाएंगे. उम्मीदवारों को भर्ती की निम्नलिखित प्रक्रिया से गुजरना होगा :-

(ए) दस्तावेज़ीकरण शुरू होने से पहले सभी उम्मीदवारों को बायोमेट्रिक कैप्चर सहित पहचान के सत्यापन से गुजरना होगा. भर्ती के किसी भी चरण में उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक पहचान भी ली जा सकती है.

(बी) **दस्तावेज़ीकरण:** भर्ती के लिए रिपोर्ट करने वाले सभी उम्मीदवारों को दस्तावेज़ीकरण से गुजरना होगा, जिसमें उम्मीदवारों को पैरा-4 (डी) के अनुसार आयु, शिक्षा, जाति, खेल उपलब्धि से संबंधित सभी मूल कागजात/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे. सीआरपीएफ भर्ती वेबसाइट पर पहले से ही अपलोड किए गए दस्तावेज़ सहित भर्ती बोर्ड के समक्ष निर्धारित प्रारूप में आयु और ऊंचाई में छूट आदि का लाभ उठाने के लिए. भर्ती बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों (शैक्षणिक, खेल, निवास और जाति प्रमाण पत्र आदि) की जांच की जाएगी.

(सी) भर्ती बोर्ड की संतुष्टि के लिए मूल दस्तावेजों और खेल प्रमाणपत्र की जांच के बाद, जिन उम्मीदवारों के दस्तावेज सही पाए जाएंगे, उन्हें मौके पर ही भर्ती बोर्ड को दस्तावेजों/ खेल प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां जमा करने के लिए कहा जाएगा. सत्यापन के बाद मूल दस्तावेज मौके पर ही वापस कर दिए जाएंगे और प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी आवेदन के साथ रखी जाएगी.

(डी) सीआरपीएफ अपने विवेक से भर्ती के दौरान उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज/प्रमाणपत्र की वास्तविकता की जांच या सत्यापन कर सकता है और ऐसे सत्यापन/जांच के बाद सीआरपीएफ का निर्णय अंतिम होगा. सत्यापन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रति की आवश्यकता होगी:

(i) शैक्षिक, खेल, निवास और जाति प्रमाणपत्र आदि।

(ii) जन्मतिथि के सत्यापन के लिए मैट्रिक या 10वीं कक्षा का प्रमाणपत्र.

(iii) **अनुलग्नक-III** के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) प्रमाणपत्र, अनुलग्नक-'एफवी' के अनुसार अनुसूचित जाति (अजा)/अनुसूचित जनजाति (अजजा) प्रमाणपत्र और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) प्रमाणपत्र (वर्ष 2023 के लिए वैध) 2024) **अनुलग्नक-V** के अनुसार (यदि इनमें से किसी भी श्रेणी से संबंधित है). किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे. अन्य पिछड़ा वर्ग के दर्जे का दावा करने वाले उम्मीदवार ध्यान दें कि **अनुलग्नक-III** के अनुसार गैर क्रीमी लेयर स्थिति पर प्रमाणपत्र ऑफलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यानी 15.02.2024 से पहले तीन साल के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए.

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएलआई) के रूप में आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को अनुलग्नक-III (ए) के रूप में एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी.

(v) पद के लिए आवेदन करने वाले सरकारी सेवाओं में सेवारत व्यक्तियों को दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के समय अपने नियोक्ता द्वारा जारी **अनुलग्नक-II** के अनुसार अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) प्रस्तुत करना आवश्यक है. जो उम्मीदवार दस्तावेज़ीकरण के समय अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) प्रस्तुत करने में विफल रहेंगे, उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा.

(vi) ऊंचाई और छाती में छूट का दावा करने के लिए **अनुलग्नक 'VI'** के अनुसार प्रमाणपत्र (यदि लागू हो).

(vii) नागरिकता के सत्यापन के लिए पैन कार्ड या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट के स्थानीय राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र. केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में बसे पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों के मामले में, उन्हें उम्मीदवार के गांव के सरपंच/नंबरदार द्वारा जारी **अनुलग्नक-'VI'** के रूप में संलग्न प्रारूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है. संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए मतदाता सूची में उम्मीदवार का नाम दिखाने वाली मतदाता सूची की एक प्रति के साथ पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी श्रेणी से संबंधित थे.

(viii) ऑनलाइन आवेदनपत्र के साथ जमा की गई चार नवीनतम पासपोर्ट आकार की तस्वीरें.

(ई) उम्मीदवारों को केवल उपरोक्त समय अवधि के दौरान जीते गए पदक या भागीदारी के स्तर के लिए अंक दिए जाएंगे.

(एफ) केवल उस एक उच्च पदक/पद या भागीदारी के स्तर के अंकों पर विचार किया जाएगा, जिसमें एक उम्मीदवार को पैरा-4(डी) में दी गई तालिका के अनुसार अधिकतम अंक मिल रहे हैं.

(जी) यदि किसी उम्मीदवार ने किसी विशेष प्रतियोगिता में 1 (एक) से अधिक पदक प्राप्त किया है, तो उस स्थिति में उसे प्रतियोगिता में प्राप्त केवल एक सर्वोच्च पदक/स्थान के लिए अंक दिए जाएंगे.

(एच) जो उम्मीदवार निर्धारित प्रमाणपत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, उन्हें इस चरण में हटा दिया जाएगा. दस्तावेज़ीकरण चरण में योग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों को शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) के लिए भेजा जाएगा.

(आई) शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी):

(i) जो उम्मीदवार दस्तावेज़ीकरण में अर्हता प्राप्त करेंगे, उन्हें ऊपर **पैरा-4(एफ)** में उल्लिखित मानकों के अनुसार पीएसटी से गुजरना होगा.

(ii) ऊंचाई और छाती में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों को संबंधित जिला अधिकारियों से अपने समुदाय के संबंध में **अनुलग्नक-VI** के अनुसार प्रमाणपत्र जमा करना होगा. प्रमाणपत्र संलग्न न करने की स्थिति में ऊंचाई और छाती में छूट के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा.

(iii) उन उम्मीदवारों के लिए शारीरिक मानक में छूट का मामला, जो विज्ञापन के अनुसार शारीरिक मानकों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन अन्यथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) में पात्र और चिकित्सकीय रूप से फिट हैं, को सक्षम प्राधिकारी के साथ बैठाया जाएगा और उस समय तक रिक्तियां आरक्षित रखी जाएंगी. यदि सक्षम प्राधिकारी शारीरिक मानकों में छूट की अनुमति नहीं देता है, तो ऐसे उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उन्हें उचित समय पर सूचित किया जाएगा. यदि सक्षम प्राधिकारी विज्ञापन के अनुसार शारीरिक मानकों में छूट को मंजूरी देता है तो ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया जाएगा.

(iv) शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) के लिए महिला उम्मीदवारों की रिपोर्टिंग पर, उनकी गर्भावस्था की स्थिति के बारे में संकेत देने वाला एक स्व-घोषणा प्रस्तुत किया जाएगा. यदि वह घोषणा करती है कि वह गर्भवती नहीं हैए तो उसे पीएसटी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी. झूठी घोषणा के मामले में, पीएसटी से गुजरने का सारा जोखिम उसका स्वयं का होगा.

(v) यदि महिला उम्मीदवार घोषणा करती है कि वह पीएसटी से पहले गर्भवती है, तो एक पुष्टिकरण गर्भावस्था परीक्षण किया जाना है और यदि वह गर्भवती पाई जाती है, तो गर्भावस्था की अवधि के बावजूद, उसे अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसकी नियुक्ति कर दी जाएगी. वह रिक्ति, जिसके लिए एक महिला अभ्यर्थी थी, कन्फाइनमेंट समाप्त होने तक स्थगित रखा जाएगा. चयनित को उसके लिए आरक्षित रखा जाएगा. कन्फाइनमेंट की तारीख के छह सप्ताह बाद पीएसटी के लिए उसकी फिर से जांच की जाएगी, जो पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी से फिटनेस के मेडिकल प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने के अधीन होगी. यदि वह फिट पाई जाती है, तो उसे आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त किया जाएगा और समय-समय पर संशोधित सरकार के निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता का लाभ दिया जाएगा. यदि महिला उम्मीदवार गर्भावस्था के लिए नेगेटिव पाई जाती हैं, तो उन्हें पीएसटी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित की गई महिला उम्मीदवारों को पीएसटी और डीएमई/आरएमई में शामिल होना होगा और अर्हता प्राप्त करनी होगी और संबंधित क्षेत्र/आयोजन की अंतिम चयन सूची में जगह सुरक्षित करनी होगी.

(जे) **मेरिट सूची:** राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता के दौरान अर्जित पदकों/प्रतिभागियों के प्रमाणपत्रों के आधार पर उम्मीदवारों को अंक प्रदान किए जाएंगे. पदक/प्रतिभागी प्रमाणपत्रों के आधार पर उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी. पीएसटी में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. टाई के मामलों का समाधान इस प्रकार किया जाएगा:-

- उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेरिट सूची में ऊपर रखा जाएगा.
- यदि भर्ती के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में समान उपलब्धियां हैं, तो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उपलब्धि को टाई तोड़ने के लिए माना जाएगा (राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उच्च उपलब्धि वाले उम्मीदवार को योग्यता में ऊपर रखा जाएगा).
- यदि बराबरी कायम रहती है तो कम उम्र के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी.
- यदि टाई अभी भी बनी रहती है, तो उम्मीदवार के नाम को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में प्राथमिकता दी जाएगी.

टिप्पणी :-

खेल योग्यता के लिए योग्यता प्रमाणपत्र भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 14015/1/76-स्था(डी) दिनांक 04/08/1980 अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए. विवरण इस प्रकार हैं:-

क्र. सं.	प्रतियोगिता	प्रमाणपत्र प्रदान करने वाला प्राधिकरण	अनुलग्नक और प्रपत्र का विवरण
1.	अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता	संबंधित खेल के राष्ट्रीय महासंघ के सचिव	अनुलग्नक VIII (फॉर्म-1)
2.	राष्ट्रीय प्रतियोगिता	राष्ट्रीय महासंघ के सचिव या संबंधित खेल के राज्य संघ के सचिव	अनुलग्नक-IX (फॉर्म-2)

(के) विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई): दस्तावेज़ीकरण, पीएसटी और योग्यता के परिणाम के आधार पर, उम्मीदवारों को अपनी फिटनेस का आकलन करने के लिए विस्तृत चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा. उम्मीदवारों की विस्तृत मेडिकल परीक्षा सीएपीएफ और एआर में जीओ और एनजीओ के लिए भर्ती मेडिकल परीक्षा के लिए एमएचए यू.ओ. क्रमांक ए.VI-112014-रिक्रूटमेंट(एसएसबी) दिनांक 20.05.2015 और सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित द्वारा जारी संशोधित समान दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएगी.

(एल) समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) :

(i) विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के दौरान अयोग्य घोषित किए गए सभी उम्मीदवारों को समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) से गुजरने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि वे **अनुलग्नक-'VII'** के अनुसार अयोग्य होने के कारणों को दर्शाते हुए सूचना पर अपने हस्ताक्षर करके अपना लिखित परामर्श दें.

(ii) उम्मीदवारों की आरएमई डीएमई की निरंतरता में प्रमुखता पूर्वक डीएमई के अगले दिन आयोजित की जाएगी. **अनुलग्नक-'VII'** के अनुसार आरएमई के लिए उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सहमति डीएमई में उसकी अयोग्यता की सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए.

(iii) जिन उम्मीदवारों को डीएमई में अयोग्य घोषित किया गया है, उन्हें कार्यक्रम स्थल पर आरएमई के लिए अपनी सहमति प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी.

(iv) किसी उम्मीदवार को आरएमई में फिट या अनफिट घोषित करने के लिए आरएमई के लिए विस्तृत मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा.

7. सामान्य निर्देश:

1)	यदि उम्मीदवार भर्ती के संचालन के दौरान या उसके बाद किसी भी स्तर पर नीचे सूचीबद्ध कदाचार में लिप्त पाए जाते हैं, तो इस भर्ती के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी :- **(ए)** भर्ती के दौरान भर्ती स्थल को बिना बताए छोड़ देना. **(बी)** भर्ती पदाधिकारियों यानी पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक, सुरक्षा गार्ड या सीआरपीएफ प्रतिनिधियों आदि के साथ किसी भी तरीके से हमला, बल प्रयोग, शारीरिक क्षति पहुंचाना, दुर्व्यवहार करना, डराना या धमकाना. **(सी)** भर्ती के संचालन में बाधा डालना/अन्य उम्मीदवारों को भर्ती में शामिल न होने के लिए उकसाना. **(डी)** गलत या गलत बयान देना, महत्वपूर्ण जानकारी को छिपानाए मनगढ़ंत दस्तावेज जमा करना आदि. **(ई)** अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित तरीके से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन/प्रभाव प्राप्त करना. **(एफ)** भर्ती संबंधी उपकरणों को नुकसान पहुंचाना. **(छ)** जाली प्रवेश पत्र, पहचान प्रमाण आदि के साथ भर्ती में उपस्थित होना. **(ज)** भर्ती प्रक्रिया के दौरान आग्नेयास्त्रों/हथियारों का कब्ज़ा. **(य)** परीक्षा पदाधिकारियों को हथियारों/आग्नेयास्त्रों आदि से डराना/धमकाना. **(जे)** किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करना/प्राप्त करना. **(के)** भर्ती से पहले, उसके दौरान या बाद में किसी भी समय भर्ती डेटा और सिस्टम में हेरफेर करने के लिए हैक करने का प्रयास. **ध्यान दें:** सीआरपीएफआगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मामले की रिपोर्ट पुलिस/जांच एजेंसियों आदि को भी कर सकती है, जो उचित समझे.
2)	सभी उम्मीदवार, जिन्हें दस्तावेज़ीकरण, पीएसटी और डीएमई के लिए बुलाया गया है, वे पहचान आदि के उद्देश्य से उनके द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदनपत्र का एक स्पष्ट और सुपाठ्य प्रिंट आउट लाएंगे अन्यथा उन्हें कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. कार्यालय उपयोग के लिए प्रिंट आउट सीआरपीएफ कर्मियों द्वारा रखा जाएगा.
3)	उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा, कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उनके द्वारा उपयोग किए गए समान पासपोर्ट आकार के फोटो पर्याप्त संख्या में रखें और भर्ती के सभी चरणों में ऑनलाइन आवेदनपत्र के साथ जमा किए गए समान पासपोर्ट आकार के फोटो ही लाएं.
4)	विभागीय उम्मीदवारों को मूल दस्तावेजों के सत्यापन के समय अपने नियोक्ता से प्राप्त **'अनापत्ति प्रमाणपत्र'** की मूल प्रति जमा करनी होगी, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी.
5)	दस्तावेज़ीकरण चरण के समय मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बाद के चरण में किसी भी निराशा से बचने के लिए सभी प्रकार से अपनी पात्रता की पुष्टि करें.
6)	पात्र उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिनांक और स्थान का उल्लेख करते हुए ऑनलाइन जारी किया जाएगा. उम्मीदवारों को सीआरपीएफ भर्ती वेबसाइट **https://recruitment.crpf.gov.in/** से ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा. इसलिए, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय वास्तविक और सक्रिय ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रदान करना चाहिए. तकनीकी एवं अन्य कारणों से प्रवेश पत्र न मिलने की स्थिति में सीआरपीएफ जिम्मेदार नहीं होगी. यदि उम्मीदवार अपना लॉग-इन विवरण भूल जाता है, तो सीआरपीएफ जिम्मेदार नहीं होगा.
7)	उम्मीदवारों को न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि के लिए बल में सेवा करना आवश्यक होगा. यदि कोई व्यक्ति सेवा में शामिल होने के बाद 10 वर्ष की समाप्ति से पहले सेवा से इस्तीफा देना चाहता है, तो उससे पद से जुड़े तीन महीने के वेतन और भत्ते या उसे दिए गए प्रशिक्षण की लागत के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, बल द्वारा वसूल की जाएगी.
8)	चयनित उम्मीदवारों को बुनियादी प्रशिक्षण और समय-समय पर बल में निर्धारित ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों से गुजरना होगा.
9)	**ये रिक्तियां शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों या पूर्व-सैनिकों के लिए नहीं हैं.**
10)	भर्ती स्थल तक और वापसी की यात्रा के लिए कोई यात्रा भत्ता (टीए)/दैनिक भत्ता (डीए) स्वीकार्य नहीं होगा.
11)	उम्मीदवारों को भर्ती केंद्र पर अपनी व्यवस्था के तहत एक दिन से अधिक प्रवास के लिए विधिवत तैयारी करके आना चाहिए.
12)	उन अयोग्य उम्मीदवारों से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा, जिनके आवेदन खारिज कर दिए गए हैं.
13)	भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को हुई किसी भी क्षति/चोट के लिए सीआरपीएफ जिम्मेदार नहीं होगा.
14)	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे दलालों से सावधान रहें या बेईमान तत्वों के शिकार न बनें. सीआरपीएफ में भर्ती पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और पूरी तरह से उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर होती है. सीआरपीएफ में भर्ती के लिए किसी भी उम्मीदवार को नकद या अन्यथा कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है. यदि कोई उनसे संपर्क करता है या पैसे या कोई अन्य सहायता मांगता है तो वे भर्ती बोर्ड या स्थानीय पुलिस को मामले की रिपोर्ट कर सकते हैं.
15)	ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवारों के सामने आने वाली किसी भी बिजली की विफलता, इंटरनेट संबंधी समस्याओं आदि के लिए सीआरपीएफ जिम्मेदार नहीं होगा.
16)	भर्ती के संबंध में कोई भी अतिरिक्त जानकारी/नोटिस केवल **https://recruitment.crpf.gov.in/** पर प्रकाशित की जाएगी. इसलिए, सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर उपरोक्त लिंक पर लॉग -इन करें.
17)	अधूरे आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा.
18)	बाद के चरण में श्रेणी में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.
19)	ऊपर उल्लिखित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
20)	सभी विवाद और मतभेद, यदि कोई हों, दिल्ली की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे.
21)	किसी भी पूछताछ, शिकायत या स्पष्टीकरण के लिए उम्मीदवार हेल्पलाइन नंबर 011-26160255 पर कॉल कर सकते हैं.
22)	आईपीसी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य अधिनियम के तहत किसी भी आपराधिक मामले में शामिल/दोषी/गिरफ्तार किए गए उम्मीदवारों पर भर्ती के लिए विचार नहीं किया जाएगा.
23)	खिलाड़ियों के प्रदर्शन की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और यदि कोई खिलाड़ी खेल के संबंधित अनुशासन में वांछित परिणाम देने में विफल रहता है, तो उसे लड़ाकू जीडी कैडर में विलय करने या नियमों के अनुसार सेवा से बर्खास्त करने का विकल्प दिया जाएगा.

अस्वीकरण :

इस विज्ञापन और सीआरपीएफ भर्ती वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल दिशानिर्देश हैं. किसी भी अस्पष्टता के मामले में, सीआरपीएफ/सरकार के मौजूदा नियम और कानून अंतिम होंगे.

उप महानिरीक्षक (भर्ती)

अनुलग्नक-I

विभिन्न आयु समूहों और कद के अनुसार किलोग्राम में औसत शारीरिक वजन

(क) महिला उम्मीदवार

कद से.मी. में	आयु वर्ष में			
	18-22	23-27	29-32	33-37
148	34.5-42.5	37-45	38.5-47	39.5-48.5
150	36.5-44.5	37.5-45.5	39-48	40.5-49.5
153	38-46	39-48	41-50	42-51
155	38.5-47.5	40-49	41.5-50.5	43-52.5
158	40.5-49.5	42-51	43-53	44.5-53.5
160	41.5-50.5	43-52.5	44-54	45.5-54.5
163	43-52.5	44-54	46-56	47-57
165	44-54	45.5-55.5	47-58	48.5-59.5
168	45-55	47-57	48.5-59.5	49.5-60.5

(ख) पुरुष उम्मीदवार

कद से.मी. में	आयु वर्ष में			
	18-22	23-27	28-32	33-37
156	44-54	46-56	47-58	48-59
158	45-55	47-57	48.5-59.5	49.5-60.5
160	46-56	47.5-58.5	49.5-60.5	50.5-61.5
162	47-58	49-60	50.5-61.5	52-63
164	48-59	50-61	52-63.5	53-65
166	59.5-60.5	51.5-62.5	53-65	54.5-66.5
168	51-62	52.5 to 64.5	54.5-66.5	56-68
170	52-64	54-66	56-68	57.7-70.5
172	54-66	55.5-67.5	57-70	59-72
174	55-67	57-70	59-72	61-74.5
176	56.5-69	58.5-71.5	60.5-73.5	62-76
178	57.5-70.5	60-73	61.5-75.5	63.5-77.5
180	59-72	61-75	63.5-77.5	65.5-80
182	61-74.5	62.5-76.5	65-79	66.5-81.5
184	63-77	64.5-78.5	66.5-81.5	68.5-83.5
186	63.5-77.5	65.5-80.5	68-83	70-86
188	65-79	67.5 - 82.5	70-85.5	71.5-87.5
190	66-81	68.5-83.5	70.5-86.5	72.5-88.5

अनुलग्नक-II

कांस्टेबल/जीडी (खिलाड़ी).2023

केवल केंद/राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में अनापत्ति प्रमाण पत्र

नोट: पहले से सेवारत सरकारी कर्मचारियों को अपने आवेदन उचित माध्यम से भेजने होंगे और उनके साथ नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित निम्नांकित प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा, कि सीआरपीएफ में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के पद के लिए अंतिम चयन होने की स्थिति में उम्मीदवार को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा.

(i) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ..... केंद्र/राज्य सरकार के अंतर्गत स्थायी/अस्थायी पद धारण किए हुए हैं.

(ii) यह भी प्रमाणित किया जाता है, कि उन्होंने इस विभाग/कार्यालय में दिनांक .....को अपना आवेदन जमा करा दिया है.

(iii) यह भी प्रमाणित किया जाता है, कि सीआरपीएफ में खेल कोटा के अंतर्गत कांस्टेबल (जीडी) के पद के लिए अंतिम चयन होने की स्थिति में श्री/सुश्री ..... को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा.

स्थान.....
तारीख.....

कार्यालय प्रमुख हस्ताक्षर
मुहर सहित

अनुलग्नक III

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....पुत्र.....श्रीनवासी ग्राम.....जिला/डिविजन.....राज्य.....में .....उपजाति के अंतर्गत आते हैं. यह जाति भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या* ..... दिनांक ..... के अनुसार पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती है.

श्री/श्रीमती/कुमारी.....और/या उनका परिवार सामान्यतः.....जिला/डिविजन.....राज्य.....में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ओ एम संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) दिनांक-08.09.1993** के कॉलम-3 की अनुसूची में वर्णित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) के अंतर्गत नहीं आते हैं.

तारीख.....

जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त आदि
(कार्यालय की मुहर सहित)

*प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प का उल्लेख करना चाहिए, जिसमें उम्मीदवार की जाति अपिव के रूप में उल्लिखित है.

** समय-समय पर यथासंशोधित

***जाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी इस प्रकार हैं :

क. जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप-कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त

(जो प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट के रैंक से कम न हो).
ख. चीफ मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त चीफ प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट.
ग. राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के रैंक से कम न हो.
4. उस क्षेत्र का सब -डिविजनल अधिकारी, जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से अधिवासित है.
टिप्पणी : यहां सामान्यतः रहने का उसी अर्थ में प्रयोग हुआ है, जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के भाग-20 में किया गया है.

अनुलग्नक -'III (क)'

अपिव उम्मीदवार द्वारा जमा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप

मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... निवासी ग्राम/कस्बा/शहर ..... जिला ..... राज्य ..... एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मैं ..... जाति से संबद्ध हूं, जिसे भारत सरकार द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) दिनांक-08.09.1993 के अंतर्गत सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन से पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गयी है. यह भी घोषणा की जाती है कि मैं ऊपर वर्णित दिनांक-08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन, जिसे कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004 स्थापना (आरईएस) दिनांक 09.03.2004 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 360133/3/2004-स्था./(आरक्षण) दिनांक 14.10.2008 द्वारा संशोधित किया गया, की अनुसूची के कॉलम-3 में वर्णित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) से सम्बद्ध नहीं हूं.

उम्मीदवार के हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
पता.....

अनुलग्नक IV

भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* ..... पुत्र/पुत्री* ..... गांव/कस्बा*..... जिला/संभाग* ..... राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश*..... के निवासी हैं, जो ..... जाति/जनजाति से संबंधित हैं. यह जाति अनु. जाति/अ.ज.जाति के रूप में निम्न प्रकार से मान्यताप्राप्त हैः
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
संविधान (अनुसूचित जाति) (केन्द्र शासित प्रदेश) आदेश, 1951*
संविधान (अनुसूचित जनजाति) (केन्द्र शासित प्रदेश) आदेश, 1951*
(जैसा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूचियां (परिवर्तित आदेश) 1956, मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 में संशोधन किया गया है).
संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, जिसे अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976* द्वारा संशोधित किया गया.
संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@
संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@
संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967@
संविधान (गोआ, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@
संविधान (गोआ, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@
संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991@
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1991@
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996
2. उन अजा/अजजा व्यक्तियों के संदर्भ में लागू, जो किसी राज्य/संघ शासित प्रदेश से अन्य प्रदेश में जाकर बसे हों.
यह प्रमाणपत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ..... के पिता/माता*श्री/श्रीमती* ..... जो गांव/कस्बा* .....जिला/संभाग* ..... राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश* ..... के निवासी हैं, और ..... जाति/जनजाति* से संबंधित हैं, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, को जारी अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर ..... द्वारा दिनांक ..... को जारी किया गया है.
3. श्री/श्रीमती/कुमारी* ..... तथा/*या उसका परिवार सामान्यतः ..... गांव/शहर* ..... जिला/संभाग*.....राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश ..... में निवास करता है.

स्थान..... **हस्ताक्षर.....**
तारीख..... **पदनाम.....**
(कार्यालय मुहर के साथ)

***जो शब्द- लागू नहीं हैं, उसे काट दें. @कृपया राष्ट्रपति के निर्दिष्ट. आदेश का उल्लेख करें.**
जो पैराग्राफ लागू न हों, उसे काट दें.
टिप्पणी: यहां सामान्यतः रहने का उसी अर्थ में प्रयोग हुआ है, जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के भाग-20 में किया गया है.
****जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारियों की सूची :**
(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप-कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त
(ii) चीफ मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त चीफ प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट.
(iii) राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के रैंक से कम न हो.
(iv) उस क्षेत्र का सब-डिविजनल अधिकारी, जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से अधिवासित है.
नोटः तमिलनाडु राज्य से संबद्ध अजजा उम्मीदवारों को केवल अपने राजस्व डिविजनल अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.

अनुलग्नक V

..... सरकार
(प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र संख्या..... **दिनांक.....**
वर्ष.....2023-24 ..... के लिए वैध

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ..... में गांव/स्ट्रीट डाकघर ..... तहसील/जिले..... पिन कोड.....के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे प्रमाणित है. वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है, क्योंकि उसके परिवार की सकल वार्षिक आय* वित्तीय वर्ष ..... के लिए 8 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है. उसके परिवार** के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है या उसका स्वामित्व नहीं हैः

i 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि.
ii 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट.
iii अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड.
iv अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्र में 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड.
2. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... जाति से संबंधित हैं, जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है.

आवेदक का पासपोर्ट आकार का नवीनतम साक्ष्यांकित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर, कार्यालय की मुहर सहित.....
नाम.....
पदनाम.....

***नोट 1:** आय में सभी स्रोत जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं.
****नोट 2:** इस उद्देश्य के लिए 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन और उसके पति या पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं.
*****नोट 3:** ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय अलग-अलग स्थानों या अलग-अलग जगहों/शहरों में परिवार की संपत्ति को क्लब किया गया है.

अनुलग्नक 'VI'

कद और सीने संबंधी पात्रता मानदंड में छूट प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... सुपुत्र श्री ..... ग्राम ..... तहसील/तालुक..... जिला.....राज्य.....के स्थायी निवासी हैं.

2. यह और भी प्रमाणित किया जाता है कि:

- ऊपर वर्णित समूचे क्षेत्र के निवासियों को .....(गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, सिक्किम) के रूप में भारत संघ के अर्द्ध-सैनिक बलों में भर्ती के लिए कद में छूट का पात्र समझा जाता है.
- वह हिमाचल प्रदेश/लेह एवं लद्दाख/कश्मीर घाटी/पूर्वोत्तर राज्यों से सम्बद्ध है, जिन्हें भारत संघ के अर्ध-सैनिक बलों में भर्ती के लिए कद में छूट का पात्र समझा जाता है.
- वह .....जनजाति/आदिवासी समुदाय से सम्बद्ध है, जिन्हें भारत संघ के अर्द्ध-सैनिक बलों में भर्ती के लिए कद में छूट का पात्र समझा जाता है.

तारीख..... **हस्ताक्षर.....**
स्थान .....
जिला मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

- जो लागू न हो, उसे काट दें.

अनुलग्नक VII

डीएमई में अयोग्य पाए गए उम्मीदवारों की समीक्षा मेडिकल जांच (आरएमई) सीआरपीएफ में कांस्टेबल/जीडी (खिलाड़ी) पद-2023 के लिए

श्रीमान/सुश्री ..... रोल नंबर ..... को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सीआरपीएफ में कांस्टेबल/जीडी (खिलाड़ी)-2023 के पद पर भर्ती के लिए उनकी जो चिकित्सीय जांच ..... में की गई थी, उसमें उन्हें नीचे उल्लिखित कारणों से अयोग्य पाया गयाः

(i) .....
(ii) .....
(iii) .....
(iv) .....

2. आपको सूचित किया जाता है कि आप नीचे दिए गए सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करके समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) के लिए आवेदन कर सकते हैं. आरएमई ..... को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए आपको ..... बजे रिपोर्ट करना होगा.

चिकित्सा अधिकारियों के हस्ताक्षर
दिनांक **नाम.....**
केंद्र **मुहर सहित**
पीठासीन अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर
मेडिकल जांच का परिणाम प्राप्त हुआ
उम्मीदवार का नाम और हस्ताक्षर

केवल अभ्यर्थी के उपयोग के लिए

सेवा में
भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी
.....

विषय - समीक्षा चिकित्सा परीक्षा हेतु आवेदन

महोदय,

मैं एतद्द्वारा समीक्षा चिकित्सा परीक्षण कराने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करता हूं

स्थान..... **हस्ताक्षर.....**
दिनांक..... **नाम.....**
रोल नम्बर .....

(.....)
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, मुहर सहित

(अनुलग्नक VIII)

(फॉर्म 1)

(मान्यताप्राप्त खेलों में से किसी एक में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

राष्ट्रीय..... (खेल का नाम) परिसंघ/राष्ट्रीय..... (खेल का नाम) एसोसिएशन

केंद्र सरकार के अधीन समूह 'ग' सेवा में रोज़गार के लिए मेधावी खिलाड़ियों को दिया जाने वाला प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पत्नी/पुत्री (पूरा पता) श्री .....निवासी (पूरा पता) ने ..... के खेल/..... में दिनांक ..... से दिनांक.....तक आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया.

उपरोक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम द्वारा प्राप्त स्थान ..... था.

यह प्रमाणपत्र राष्ट्रीय ..... (खेल का नाम) परिसंघ/राष्ट्रीय ..... (खेल का नाम) एसोसिएशन के कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर दिया जा रहा है.

स्थान..... **हस्ताक्षर.....**
तारीख..... **नाम.....**
पदनाम.....
राष्ट्रीय परिसंघ/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम.....

नोटः यह प्रमाणपत्र सचिव, राष्ट्रीय महासंघ/राष्ट्रीय संघ द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित होने पर ही मान्य होगा.

(अनुलग्नक-IX)

(फार्म-2)

(मान्यताप्राप्त खेलों/क्रीड़ाओं में से किसी एक में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

..... राज्य (खेल का नाम) ..... परिसंघ

केंद्र सरकार के अधीन समूह 'ग' सेवा में रोजगार के लिए मेधावी खिलाड़ियों को दिया जाने वाला प्रमाण पत्र

(शेष अगले पृष्ठ पर)

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय
चित्रकूट जिला-सतना (म.प्र.) 485334

लोकपाल पद पर नियुक्ति हेतु पुनः विज्ञापन

क्रमांक : 2/2023 **दिनांक : 06.02.2024**

राज्य शासन/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना म.प्र. में लोकपाल पद पर नियुक्ति हेतु वांछित योग्यतानुसार लोकपाल सेवानिवृत्त कुलपति/सेवानिवृत्त प्रोफेसर, जिन्होंने अधिष्ठाता (डीन/विभागाध्यक्ष) के रूप में अपनी सेवायें दी हों और उनके पास राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों/सम विश्वविद्यालयों या पूर्व जिले में न्यायाधीश के रूप में 10 वर्षों का कार्यानुभव रहा हो।

उक्त योग्यता रखने वाले आवेदक निर्धारित प्रपत्र में **दिनांक 29.02.2024 तक** आवेदन पत्र कुलसचिव कार्यालय में भेज सकते हैं। विस्तृत विवरण, आवेदन पत्र प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाइट **https://gramodayachitrakoot.ac.in** से प्राप्त किया जा सकता है। दूरभाष नम्बर - 07670-265411

आर-49454/2024 **कुलसचिव**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड सागर (म.प्र.)

दूरभाष : 07582-224269, E-mail - eephe_sagar@yahoo.co.in

क्र. 281/निविदा प्रकोष्ठ/का.यं./लो.स्वा.यां./खण्ड, सागर **दिनांक : 02.02.2024**

संक्षिप्त निविदा सूचना

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से सागर जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड सागर क्षेत्रांतर्गत ग्रामों में शतप्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदाय हेतु नल जल योजना कार्य की ऑनलाइन निविदा **http://www.mptenders.gov.in दिनांक 13.02.2024** सायं 5.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

स. क्र.	निविदा क्रमांक एवं दिनांक	ई-टेण्डर क्रमांक	ग्राम एवं विकास खण्ड का नाम	कार्य की अनु. लागत रुपये	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये में
1.	क्र. 13/ 01.02.2024	2024_ PHED_ 330102_1	1. BADARCHUAA 2. GOPALPURA 3. GUDAKHURD 4. GUGRIKHED 5. KUDPURA 6. MAHENDRA 7. SALAIYA 8. CHHEWALA 9. DIKUAA 10. DOBHI 11. JHINPINI 12. MAARPAN 13. MADALA 14. RAMGADA 15. SARRAKALA 16. MADHIYA BUJURG 17. PADARIYA 18. SANDAI Block - Rehli	413.58	413580/-	15000/-

निविदा में संशोधन ऑनलाइन ही देखे जा सकेंगे।

कार्यपालन यंत्री

जी-23900/49451/2024 **लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड सागर**

(पिछले पृष्ठ का शेष)

प्रमाणित किया जाता है कि

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री (पूरा पता) श्री ..... निवासी (पूरा पता) ने ..... के खेल/..... में दिनांक.....से दिनांक.....तक आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में राज्य का प्रतिनिधित्व किया.

उपरोक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम द्वारा प्राप्त स्थान ..... था. प्रमाणपत्र राज्य एसोसिएशन के कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर दिया जा रहा है.....

स्थान..... **हस्ताक्षर**.....

तारीख..... **नाम**.....

पदनाम.....

राज्य संघ का नाम .....

पता.....

मुहर.....

नोटः यह प्रमाणपत्र राज्य एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित होने पर ही मान्य होगा.

चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाणपत्र

(पुनः चिकित्सा जांच की अपील के साथ उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाये)

मै, डॉक्टर ..... प्रमाणित करता हूं कि श्री..... सुपुत्र श्री ..... आयु .....वर्ष, जो ..... पद के लिए एक उम्मीदवार है, की चिकित्सा जांच मेरे द्वारा दिनांक ..... को ..... अस्पताल में की गई. मुझे इस बात की जानकारी है कि उम्मीकदवार को ..... के आधार पर सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल/जीडी या सीटी/जीडी के पद के लिए चिकित्सा की दृष्टि से अनुपयुक्त घोषित किया जा चुका है. मेरी राय है कि श्री ..... सुपुत्र श्री..... उक्त.....बीमारी से पीड़ित नहीं हैं.

2. यह प्रमाणपत्र इस तथ्य की पूर्ण जानकारी के बाद दिया गया है कि उम्मीदवार को चिकित्सा, अधिकारी द्वारा पहले ही नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जा चुका है.

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर रोल नम्बर और नाम सहित)

चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर

(नाम और मुहर सहित)

पंजीकरण संख्या .....

(एमसीआई/राज्य चिकित्सा परिषद्)

पता : .....

.....

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल

सूचना

राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भर्ती वर्ष 2023 में प्रयोगशाला तकनीशियन एवं प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भर्ती हेतु द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा दिनांक एवं स्थान निम्नानुसार है :-

स.क्र.	पद का नाम	परीक्षा दिनांक व स्थान	रिपोर्टिंग समय	परीक्षा का समय
1.	प्रयोगशाला तकनीशियन	दिनांक 22.02.2024 ''स्टेट कमाण्ड सेन्टर, भारत माता चौराहा, भदभदा रोड, भोपाल पिन कोड 462003''	09.00 बजे	11.00 से 13.00 बजे तक
2.	प्रयोगशाला सहायक	दिनांक 22.02.2024 ''स्टेट कमाण्ड सेन्टर, भारत माता चौराहा, भदभदा रोड, भोपाल पिन कोड 462003''	14.00 बजे	16.00 से 18.00 बजे तक

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पात्र उम्मीदवारों की सूची एवं आवश्यक निर्देश मध्यप्रदेश पुलिस की वेबसाइट **www.mppolice.gov.in** पर दिनांक 06.02.2024 को अपलोड किये गये हैं। पात्र उम्मीदवार अपना प्रवेश-पत्र एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से **दिनांक 14.02.2024** से डाउनलोड कर सकते हैं।

दिनांक 06.02.2024 **पुलिस महानिरीक्षक (चयन/भर्ती)**

जी-23918/49452/2024 **पुलिस मुख्यालय, भोपाल**

राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95, फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/स्था./2024/500 **भोपाल, दिनांक : 06.02.2024**

विज्ञापन

मध्यप्रदेश सर्व शिक्षा अभियान मिशन अंतर्गत जिला शिक्षा केन्द्रों में सहायक परियोजना समन्वयक (अकादमिक/कम्यूनिटी मोबिलाईजेशन/ईआर/बालिका शिक्षा) एवं जनपद शिक्षा केन्द्रों में विकासखण्ड स्रोत समन्वयक के पदों हेतु स्कूल शिक्षा विभाग/आदिवासी विकास विभाग में कार्यरत व्याख्याता/प्रधानाध्यापक (माध्यमिक शाला)/वरिष्ठ अध्यापक जिनकी आयु प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की 01 जुलाई की स्थिति में 56 वर्ष से अधिक न हो, को प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने से पूर्व पात्रता परीक्षा आयोजित की जाना है। प्रतिनियुक्ति पर आने के इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र पदस्थापना वाले जिले के जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय में **दिनांक 15.02.2024 तक** जमा कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा जिले के शास. उ.मा. उत्कृष्ट विद्यालय में दिनांक 21.02.2024 को आयोजित की जावेगी।

कार्यालयीन पत्र क्रमांक राशिके/स्था./2023/6931 भोपाल, दिनांक 15.09.2023 एवं 7079, दिनांक 25.09.2023 द्वारा जिलों में सहायक परियोजना समन्वयक (अकादमिक/कम्यूनिटी मोबिलाईजेशन/ईआर/बालिका शिक्षा) एवं जनपद शिक्षा केन्द्रों में विकासखण्ड स्रोत समन्वयक के रिक्त पदों की प्रतिनियुक्ति से पदपूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अपरिहार्य कारणों से उक्त प्रक्रिया को स्थगित किया गया था। उक्त संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में जिन लोक सेवकों द्वारा आवेदन पूर्व में ही जमा कर दिए हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

यह पात्रता परीक्षा वर्तमान में सहायक परियोजना समन्वयक (अकादमिक कम्यूनिटी मोबिलाईजेशन/ईआर/बालिका शिक्षा) एवं जनपद शिक्षा केन्द्रों में विकासखण्ड स्रोत समन्वयक के रिक्त पदों एवं भविष्य में किन्हीं कारणों से रिक्त होने वाले पदों की पूर्ति हेतु आयोजित की जा रही है।

जी-23970/49455/2024 **संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (वि./यां.) संभाग क्र.1
शेड नं. 11-ए बारह दफ्तर जवाहर चौक भोपाल पिन-कोड 462003

website : www.mppwd.gov.in, email : eepwdelecbpl@mp.nic.in

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्रमांक 151/2023-24 **भोपाल, दिनांक : 05.02.2024**

निम्नलिखित कार्यों के लिये ई-टेण्डरिंग द्वारा ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य का विवरण **http://www.mptenders.gov.in** पर भी देखी जा सकती है।

क्र. एवं कार्य का नाम :- 1. भोपाल जिले में भोपाल - विदिशा मार्ग पर (बीना रेलवे क्रॉसिंग, चौपड़ के पास-कलां गांव, भोपाल में) बाधित मौजूदा 11 केवी/33 केवी लाइन, डीटीआर और एलटी लाइन को स्थानांतरित करने एवं भोपाल में आरओबी (255) के निर्माण और नवनिर्मित पुल पर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य।

पोर्टल टेण्डर नं.	जिला	कार्य का प्रकार	आमंत्रण क्र.	ठेके की अनु. राशि (रु. लाख में)
2024_PWDRB_330758_1	भोपाल	बजट कार्य	प्रथम	326.776

उपरोक्त वेबसाइट से ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से दिनांक 19.02.2024 सायं 5.30 बजे तक प्राप्त हो सकेगा। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकती है। निविदा में भविष्य में किये जाने वाले समस्त संशोधनों को समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा। यह संशोधन केवल विभागीय वेबसाइट **http://www.mptenders.gov.in** पर ही प्रकाशित किया जावेगा।

जी-23971/49456/2024 **कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (वि./यां.) संभाग क्र.1, भोपाल**

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति सनावद
जिला खरगोन म.प्र.

क्रमांक/मंडी/निर्माण/2023-24/1451 **सनावद, दिनांक 07.02.2024**

निविदा आमंत्रण

कृषि उपज मंडी समिति सनावद ई-टेण्डरिंग के माध्यम से मिर्च मंडी प्रांगण सनावद में निर्मित 100 मे. टन कोल्ड स्टोरेज के संचालन हेतु वार्षिक अनुज्ञप्ति के आधार पर आवंटित करने के लिये दिनांक 04.03.2024 सायं 5:30 बजे तक ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी ऑनलाइन पोर्टल **www.mptenders.gov.in** पर प्राप्त की जा सकती है।

टेण्डर सिस्टम नंबर	संरचना का नाम एवं स्थान	न्यूनतम वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (राशि रु. में)	प्रतिभूति की राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य राशि रु.	किराया अवधि
2024_ MPSAM_ 325381	100 मे. टन कोल्ड स्टोरेज (अनार रायपनिंग एवं कोल्ड स्टोरेज) का संचालन कार्य, मिर्च मंडी प्रांगण सनावद जिला-खरगोन	5898000/- प्रतिवर्ष	58980/-	10000/-	तीन वर्ष

शर्तें :-

1. पैक हाउस वर्तमान में जिस हालत में है उसी हालत में किराये पर दिया जावेगा।
2. निविदा के सभी संशोधन ऑनलाइन पोर्टल **www.mptenders.gov.in** पर जारी किये गये हैं।
3. ऑनलाइन निविदा प्रपत्र क्रय करने के **अंतिम तिथि 04.03.2024** है।

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति सनावद
जिला- खरगोन

भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति सनावद
जिला- खरगोन

म.प्र. माध्यम/113702/2024

R-49466/2024

प्रशिक्षु दल और प्रशिक्षण कार्यक्रम में विविधता में एकता के दर्शन - राज्यपाल

भोपाल, राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल से राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राजभवन में सौजन्य भेंट की। राज्यपाल ने कहा कि प्रशिक्षु दल और प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत की विविधता में एकता का दर्शन कराता है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु दल अपने प्रशिक्षण की अवधि में प्रदेश की संस्कृति को देखें, समझें और सीखें। राज्यपाल ने कहा कि भ्रमण कार्यक्रम के बीच प्रदेश के गौरव और देश के सर्वाधिक स्वच्छ शहर इंदौर की स्वच्छता संस्कृति को करीब से जरूर देखें। श्री पटेल ने स्वच्छता के महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि जहां स्वच्छता होती है, वहां प्रभु का वास होता है।

राज्यपाल ने अलग-अलग सेवाओं और क्षेत्रों के प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। राज्यपाल का राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय और प्रशासनिक अकादमी की ओर से स्मृति चिह्न भेंट कर अभिनंदन भी किया गया। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के संकाय सदस्य और दल के प्रतिनिधि श्री संजय सचदेवा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। आभार संचालक प्रशासनिक अकादमी श्री मुजीबुर्रहमान ने व्यक्त किया। भारतीय जल, थल, वायु सेना, तटरक्षक बल, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और विदेशी मित्र राष्ट्रों के सैन्य अधिकारी भी इसमें शामिल रहे।

एनसीसी भाग्य को सौभाग्य में बदलने का मार्ग प्रशस्त करती है - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राष्ट्रीय कैडेट्स कोर के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

भोपाल, मानव जीवन भाग्य से मिलता है और भाग्य को सौभाग्य में बदलने का रास्ता एनसीसी से प्राप्त होता है। भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है। इसमें जल, वायु, थल सेना की संख्या साढ़े तेरह लाख है और इन साढ़े तेरह लाख जवानों पर पूरा देश अपनी सुरक्षा का विश्वास करता है। हमारी सेना हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। सेना की इस गौरवशाली परम्परा से जुड़ने का मार्ग एनसीसी से निकलता है। ये बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के अवसर पर लगे कैम्प में शामिल हुए राष्ट्रीय कैडेट्स कोर के मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ निदेशालय के प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री निवास परिसर में संबोधित करते हुए कहीं। डॉ. यादव ने कहा कि घुड़सवारी में 6 पदक जीतना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के कैडेट्स द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियां सराहनीय हैं। सभी कैडेट्स बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री ने उपलब्धियां प्राप्त करने वाले कैडेट्स को सम्मानित भी किया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को डॉ. यादव द्वारा 6 लाख 25 हजार रुपये के पुरस्कार के रूप में चैक भी प्रदान किए गए।

- **मुख्यमंत्री की पहल पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एनसीसी कैडेट्स को दिये गये 6 लाख 25 हजार रुपये के पुरस्कार।**

मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीसी के कार्यक्रम में भाग लेना अपने परिवार में आने के समान है। मैं स्वयं शाला स्तर पर एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा हूं। कैडेट्स की उपलब्धियां उनकी प्रतिबद्धता की परिचायक हैं। मुझे विश्वास है कि कैडेट्स अगले वर्ष प्रथम स्थान का लक्ष्य रखकर परिश्रम के साथ निरंतर प्रयास करेंगे। एनसीसी का ध्येय वाक्य एकता, अनुशासन और संगठन के प्रति समर्पण है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इन उद्देश्यों के साथ कार्य करना हम सबको गौरव और आत्म-सम्मान प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को दीं शुभकामनाएं

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं एवं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया है। डॉ. यादव ने सोशल मीडिया पर कहा है कि सभी विद्यार्थी तनाव रहित होकर एकाग्रता एवं आनन्द के साथ परीक्षा में भाग लें। विद्यार्थी परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। निश्चय ही आपके परिश्रम का सुखद फल मिलेगा।

अंग्रेजी भाषा के कौशल सुधार के लिए तैयार किये जा रहे हैं मास्टर ट्रेनर्स

भोपाल, प्रदेश में सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी भाषा पढ़ाने वाले शिक्षकों को नवीन शिक्षण पद्धतियों के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में संप्रेषण कौशल को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को खेल-खेल के माध्यम से नवीन शिक्षण पद्धतियों द्वारा अंग्रेजी भाषा सिखाई जा रही है।

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ब्रिटिश काउंसिल प्रोजेक्ट के अंतर्गत मास्टर्स ट्रेनर को 6-6 दिवसीय आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है।

मध्यप्रदेश के 53 सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम

भोपाल, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। राज्य ओपन स्कूल बोर्ड ने प्रदेश में 53 चयनित सरकारी स्कूलों में इसकी शुरुआत की है। यह पाठ्यक्रम जून-2022 से पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। उक्त पाठ्यक्रम से चयनित स्कूलों के विद्यार्थियों को नवीनतम तकनीक सिखाने में सहायता मिल रही है। इससे विद्यार्थियों को भविष्य में रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यह पाठ्यक्रम एक विषय के रूप में कक्षा-8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिये प्रारंभ किया गया है। इस कोर्स की अवधि 220 से 240 घंटे निर्धारित की गई है।

मध्यप्रदेश में 275 सीएम राइज़ स्कूल संचालित

भोपाल, प्रदेश में सरकारी स्कूलों में सर्व-सुविधायुक्त वातावरण के साथ विद्यार्थियों को रोचक एवं आनंददायक शिक्षा देने के लिये सीएम राइज़ स्कूल की स्थापना की गई है। पहले चरण में 275 सीएम राइज़ स्कूल प्रारंभ किये जा चुके हैं। आने वाले 10 वर्षों में प्रदेश में 9,200 सीएम राइज़ स्कूल शुरू करने का कार्यक्रम तय किया गया है।

सीएम राइज़ स्कूल में के.जी. से कक्षा 12वीं तक के संचालन की व्यवस्था के साथ अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्य में 269 सीएम राइज़ स्कूलों के नवीन भवन निर्माण के लिये स्कूल शिक्षा विभाग ने 9 हजार 500 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी भी दी है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिये डिजिटल कक्षा, पूर्ण रूप से सुसज्जित प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय, कला, नृत्य, संगीत एवं योग शिक्षण की व्यवस्था भी की गई है।

सीएम राइज़ स्कूलों में दूर से आने वाले विद्यार्थियों को सुविधा देने के मकसद से परिवहन की व्यवस्था की जा रही है। इससे स्कूल के आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। सीएम राइज़ स्कूल में बेहतर नेतृत्व प्रदान करने की दृष्टि से इन स्कूलों के प्राचार्यों को भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर में प्रशिक्षण दिलाया गया है। साथ ही प्राचार्यों को राष्ट्रीय स्तर के ख्याति-प्राप्त विद्यालयों में एक्सपोजर विजिट कराया गया है।

सीएम राइज़ योजना के दूसरे चरण में 5,986 स्कूलों का चयन किया गया है। इनमें से 258 स्कूलों को दूसरे चरण में संचालित करने की स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वीकृति जारी की है।

हैण्ड-बुक तैयार की गई

प्रदेश में सीएम राइज़ स्कूलों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को विश्व-मानकों के अनुरूप पूरा करने की दृष्टि से प्राचार्य और शिक्षकों के लिये अलग-अलग हैण्ड-बुक तैयार की गई हैं। विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति के लिये सीएम राइज़ स्कूलों के लिये छात्र डायरी तैयार की गई है। छात्रों के चिंतन एवं प्रभावी शिक्षण के लिये आवश्यक टूल्स को डायरी के पृष्ठों में शामिल किया गया है।

सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करें

भोपाल, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने मंत्रालय में संकल्प 2023 से संबंधित परियोजना की समीक्षा करते हुए कहा है कि विभागीय सिंचाई परियोजनाओं को समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। संकल्प 2023 के अंतर्गत जल संसाधन विभाग की पन्ना जिले में रूंज एवं मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना, ग्वालियर एवं चंबल में माधवराव सिंचाई परियोजना, छिंदवाड़ा जिले की पेंच डायवर्सन परियोजना, शिवपुरी जिले की चेंटीखेड़ा सिंचाई परियोजना तथा सतना एवं रीवा जिले की बहोती नहर परियोजना सम्मिलित की गई हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश में 438777 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा विकसित होगी।

शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें

भोपाल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने सीधी जिले में जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रगतिरत कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। समूह नल जल योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्रीमती उइके ने निर्देश दिए कि हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना शासन की प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की उदासीनता या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

श्रीमती उइके ने कहा कि जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत सभी कार्यों में प्रगति लाएं। सभी कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करायें। जल जीवन मिशन के द्वारा सभी घरों तक नल से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करनी है। कोई भी बसाहट या मजरा-टोला योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे।

मुख्यमंत्री से वायु सेना के अधिकारियों ने की भेंट

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वायु सेना के अधिकारियों से चर्चा करते हुए

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में डिफेंस कॉलेज दिल्ली से प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्रशिक्षण के लिए आए वायु सेना के अधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। इस 15 सदस्यीय दल में मंगोलिया, ब्राजील, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका के अधिकारी भी शामिल हैं। अधिकारी दल ने मुख्यमंत्री को प्रदेश में उज्जैन, धार सहित विभिन्न स्थलों के भ्रमण और योजनाओं से संबंधित गतिविधियों की जानकारी भी दी। इस मौके पर आरसीव्हीपी प्रशासन अकादमी के संचालक श्री मुजीबुर रहमान खान, रीडर डॉ. अनादी मिश्रा आदि उपस्थित रहे।

अवैध शराब बिक्री और नियम विरुद्ध मांस विक्रय पर नियंत्रण के लिए सजग रहे प्रशासनिक अमला

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में फटाका निर्माण इकाइयों के नियम विरुद्ध संचालन पर रोक के अलावा शराब के अवैध कारोबार को रोकने, कोलाहल नियंत्रण संबंधी कानूनों के उल्लंघन को रोकने और खुले स्थान में नियम विरुद्ध तरीके से मांस के विक्रय पर नियंत्रण के लिए प्रशासनिक अमला सक्रिय और सजग होकर कार्यवाही करे।

मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस द्वारा कलेक्टरों को निर्देशित करते हुए कहा कि कुछ स्थानों से शराब के अवैध विक्रय और व्यापार की खबरें जानने को मिलती हैं। इसके लिए जिम्मेदार तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही होना चाहिए। इसके साथ ही नाबालिग बच्चों को भी नशे की लत लगाने के दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण के जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए। निर्धारित मापदण्ड से अधिक आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित है। विद्यार्थियों की परीक्षाओं का समय है। इस नाते हम सभी को संवेदनशील होकर इस संबंध में दायित्व निर्वहन करना है।

डॉ. यादव ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि परीक्षाओं में नकल की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए भी प्रभावी व्यवस्था लागू करें। शहरों और ग्रामों में मांस विक्रय का व्यवसाय करने वाले नियमों के विरुद्ध कार्य न करें। इसके लिए पूर्व में भी निर्देश दिए गए हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि नियमपूर्वक व्यवसाय का संचालन होता रहे। जन स्वास्थ्य की दृष्टि से समय-समय पर ऐसी दुकानों का निरीक्षण किया जाए।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

मुख्यमंत्री ने किया आरडी गार्डी अस्पताल में उज्जैन कैंसर सेंटर का लोकार्पण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन कैंसर सेंटर के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए

उज्जैन, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन के आरडी गार्डी अस्पताल में स्थापित उज्जैन कैंसर सेंटर का लोकार्पण किया। उज्जैन कैंसर सेंटर में कैंसर का अत्याधुनिक तकनीक एवं मशीनों से इलाज किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने उज्जैन कैंसर सेंटर का भ्रमण कर विशेषज्ञ चिकित्सकों से चर्चा की।

कैंसर सेंटर में डिजिटल रेडियो थैरेपी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एवं अत्याधुनिक पैथोलॉजी की सुविधा मिलेगी। स्तन कैंसर, गर्भाशय का कैंसर का बेक्री थैरेपी से इलाज किया जायेगा। अस्पताल में मेडिकल ऑन्कोलॉजी रेडिएशन, गाइनी, न्यूरो, पेड्रियाटिक, ऑन्कोलॉजी की विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन संभाग का पहला प्रायवेट आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन में स्थित है। स्व. बाबूलाल जैन एवं डॉ. विजय कुमार महाडिग के अथक प्रयासों से यह अस्पताल बना है। यह पूरे क्षेत्र एवं प्रदेश का गौरव है। पूरे देश में आरडी गार्डी अस्पताल ने एक साख बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों को एक कर दिया गया है। शिक्षा एवं उच्च शिक्षा को भी एक किया गया है। यह तय किया गया है कि नर्सिंग एवं पैरामेडिकल का कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को नजदीक के कॉलेज में ही परीक्षा देनी पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता के फूड एवं सेफ्टी के नियमों का पूरा ध्यान रखते हुए खुले में मांस एवं मछली की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश आज विश्व में प्रथम स्थान पर है। सब मिलकर प्रदेश को देश में नम्बर वन बनायेंगे।

इस अवसर पर डॉ. सत्यनारायण जटिया ने कहा कि उज्जैन में चिकित्सा सुविधा का विस्तार हो रहा है। उज्जैन कैंसर सेंटर से कैंसर के मरीजों को उपचार में राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के क्रूर समय में भी आरडी गार्डी अस्पताल ने सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सुशासन और जनकल्याण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता - मुख्यमंत्री

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुशासन की आदर्श अवधारणा को पूर्ण रूप से मध्यप्रदेश में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य सरकार महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय भारत सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करती रहेगी और सुशासन के पथ पर चलते हुए प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की बेहतरी के लिए हमेशा काम करेगी। यह बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली के आईटीसी मौर्य में आयोजित एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कहीं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रशासनिक गुणवत्ता सुधारने की दृष्टि से हाल ही में प्रदेश के मंत्रिमंडल का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इससे शासन की कार्यप्रणाली में जवाबदेहिता और पारदर्शिता बढ़ेगी। सुशासन व्यवस्था में कानून का सही तरह से पालन करवाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। इसी अनुक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में प्रदेश में लाउडस्पीकर के उपयोग को नियंत्रित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा कानून के अनुसार खुले में खाद्य पदार्थ विक्रय की मनाही है। इसी कानून के पालन में प्रदेश में खुले में मांस, मछली इत्यादि का विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन के संबंध में मिलने वाले सभी निर्देशों का राज्य सरकार अक्षरशः पालन करेगी। राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा बताई गई चार जातियों- गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के विकास और कल्याण के लिए कृतसंकल्पित है।

प्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं हैं। मध्यप्रदेश नई शिक्षा व्यवस्था को लागू करने, सकल पंजीयन दर बढ़ाने और खनिज क्षेत्र में देश में अव्वल रहा है। राज्य सरकार रोज़गार, शिक्षा, खनिज, वनांचल जैसे क्षेत्रों में जनता की बेहतरी के लिए आगामी वर्षों में भी प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य करेगी।

किसान हमारे भगवान हैं, इनकी सेवा करना ईश्वर भक्ति के बराबर है

भोपाल, किसान हमारे अन्नदाता हैं, भगवान हैं। हमारी किसानों, आमजन के प्रति जवाबदेही है। इनकी सेवा करना ईश्वर की भक्ति के बराबर है। इन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना न पड़े। इसी उद्देश्य से प्रदेश में राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। सभी राजस्व अधिकारी सकारात्मक सोच एवं सेवाभाव के साथ राजस्व संबंधी प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण करें, जिससे आमजन का विभाग के प्रति, विश्वास और सम्मान बढ़े। यह बातें राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने रायसेन में राजस्व महाअभियान की समीक्षा बैठक में कहीं।

राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि सीमांकन प्रकरणों का निराकरण सभी पक्षों की उपस्थिति में किया जाए, जिससे कि आगे विवाद की स्थिति निर्मित ना हो।

स्कूल शिक्षण संस्थानों में प्रहरी क्लब गठित

भोपाल, प्रदेश में स्कूल शिक्षण संस्थानों में बच्चों में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के लिये प्रहरी क्लब गठित किये गये हैं। इन प्रहरी क्लबों के गठन और काम-काज के विश्लेषण के लिये प्रहरी पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है। यह पोर्टल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा तैयार किया जा रहा है।

पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने के लिये राज्य शिक्षा केन्द्र ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। प्रहरी क्लब से संबंधित नोडल शिक्षकों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दी गई लिंक https://prahariclub.ncpcrweb.in पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिये कहा गया है।

मंत्रिपरिषद के निर्णय

किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर मिलता रहेगा अल्पावधि फसल ऋण

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023-24 में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना को निरन्तर रखने की स्वीकृति दी गई है। सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को फसल ऋण प्रदान किया जायेगा। योजना में खरीफ 2023 सीजन की ड्यू डेट 28 मार्च, 2024 तथा रबी 2023-24 सीजन की ड्यू डेट 15 जून, 2024 रखी गयी है। राज्य शासन ने योजना के अन्तर्गत फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों को 1.5 प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान तथा खरीफ एवं रबी सीजन की निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप (अतिरिक्त ब्याज अनुदान) दिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश संकल्प पत्र 2023 में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण प्रदाय करने का राज्य सरकार का संकल्प है। मंत्रिपरिषद के अन्य निर्णय इस प्रकार हैं :-

- मंत्रिपरिषद द्वारा मिशन वात्सल्य में चाइल्ड हेल्पलाइन के सुचारु और कुशल संचालन के लिए विभागीय आदेश में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
- संशोधन के अनुसार जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा एक हेल्पलाइन यूनिट का संचालन किया जायेगा। इस कार्य के लिए मानव संसाधन का चयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता अनुसार विज्ञापन जारी कर पारदर्शी प्रक्रिया से किया जायेगा। चाइल्ड हेल्पलाइन के सभी स्टाफ संविदा पर रखे जाएंगे।
- मंत्रिपरिषद द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 के माध्यम से मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में पुन:स्थापित और पारित कराने संबंधी कार्यवाही के लिए उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया।
- विधेयक में संशोधन अनुसार विश्वविद्यालयों में कुलपति पदनाम को कुलगुरु किये जाने पर अनुमोदन दिया गया है।
- मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश की मदिरा दुकानों के निष्पादन, देशी एवं विदेशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था, भांग, भांगघोटा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन एवं अन्य के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी नीति का अनुमोदन किया गया। मदिरा दुकानों के वर्ष 2023-24 के वार्षिक मूल्य में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री ने दिए विक्रमोत्सव कार्यक्रम को भव्य बनाने के निर्देश

उज्जैन, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक मार्च को उज्जैन में विक्रमोत्सव, महाशिवरात्रि एवं नगर गौरव दिवस भव्य रूप में मनाये जाने के निर्देश दिये हैं। इस मौके पर व्यापार मेला और इन्वेस्टर्स समिट भी आयोजित होगी। उज्जयिनी विक्रम व्यापार मेले का समापन 9 अप्रैल 2024 को शिवज्योति अर्पण कार्यक्रम के साथ किया जाएगा। इन आयोजनों से उज्जैन में पर्यटन के साथ रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। सांस्कृतिक आयोजनों में प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं नृत्यांगना हेमामालिनी और पार्श्व गायक जुबिन नौटियाल और अमित त्रिवेदी के कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं। इस मौके पर 'पौराणिक फिल्म फेस्टिवल' होगा। साथ ही विक्रम कैलेण्डर और वैदिक घड़ी का लोकार्पण भी होगा।

उज्जैन में उज्जयिनी विक्रय व्यापार मेले की तैयारियां भी की जा रही हैं। व्यापार मेले का आयोजन नगर निगम उज्जैन द्वारा किया जा रहा है। व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की दुकानें प्रमुख रूप से लगाई जायेंगी। इनमें उज्जैन के स्थानीय व्यापारियों को वरीयता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर उज्जैन के साथ संभाग के अन्य जिलों में उद्योगों को आकर्षित करने के लिये इन्वेस्टर्स समिट भी आयोजित की जा रही है। समिट में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों के निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। समिट में गारमेंट्स, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग यूनिट के जरिये स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसर बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

घायलों को मदद

संकट की घड़ी में सरकार प्रभावितों के साथ, पूरी मदद दी जाएगी

हरदा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिला अस्पताल हरदा पहुंचकर पटाखा दुर्घटना में हुए घायल व्यक्तियों से मुलाकात कर उनका हाल-चाल जाना। डॉ. यादव ने अस्पताल प्रबंधन को दुर्घटना में घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। उन्होंने घायलों को आश्वस्त किया कि संकट की घड़ी में सरकार प्रभावितों के साथ है। पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी।

घायल व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि हादसे में उनके घर पूरी तरह टूट गए हैं। मवेशी भी मारे गए हैं। मुख्यमंत्री ने हरदा कलेक्टर को क्षतिग्रस्त आवासों की लिस्टिंग कर पीड़ित परिवारों को आवास के लिये राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। घायल मवेशियों का बेहतर उपचार किया जाएगा। मृत हुए मवेशियों का मुआवजा भी प्रभावित व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जायेगा। मुख्यमंत्री ने हादसे में गंभीर रूप से घायल 5 व्यक्तियों गोविंद मूलचंद चंदेल, हेमंत दिनेश, असगर सज्जाद हुसैन, यूसुफ अख्तर और घनश्याम नर्मदा प्रसाद को 1-1 लाख रुपये राशि की आर्थिक सहायता का चेक वितरित किया। उन्होंने अन्य घायलों को 25-25 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की मदद दी गई।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली

डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों से कहा कि इसके अतिरिक्त भी हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से मिले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

दिल्ली, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संसद भवन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से सौजन्य भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री श्री शाह को स्वामित्व योजना की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने गृह मंत्री को साइबर तहसील व्यवस्था के बारे में भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अमूल इंडिया द्वारा उज्जैन में लगाए जा रहे दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के बारे में भी केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी।

विश्व रिकॉर्ड का लक्ष्य

50वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन 20 फरवरी से

भोपाल, संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि देश की समृद्ध संस्कृति और विरासत के उत्सव का उजास 20 फरवरी से खजुराहो नृत्य महोत्सव के रूप में होने जा रहा है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो की धरती एक बार फिर शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुतियों से गुंजायमान होगी। बुंदेलों की धरती पर देशभर से पधारने वाले प्रतिष्ठित लोक नर्तक अपनी घुंघरुओं की झंकार और कदमताल से छटा बिखेरेंगे। खजुराहो नृत्य महोत्सव 1975 में शुरू हुआ और इस वर्ष यह अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। इस उपलब्धि को खास एवं यादगार बनाने के लिये संस्कृति विभाग द्वारा कथक-कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम दिवस 20 फरवरी, 2024 को कथक नृत्य के 1500 से 2000 कलाकारों द्वारा सामूहिक नृत्य 'कथक-कुंभ' प्रस्तुत कर 'विश्व रिकॉर्ड' स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

मध्यप्रदेश रूपंकर कला पुरस्कार, प्रदर्शनी एवं अलंकरण

शुभारम्भ अवसर पर मध्यप्रदेश रूपंकर कला पुरस्कार, प्रदर्शनी एवं अलंकरण होगा। इसमें राज्य शासन द्वारा प्रदेश के विख्यात रूपंकर कलाकारों के नाम से स्थापित 10 राज्य स्तरीय पुरस्कार चयनित कलाकारों को प्रदान किये जाएंगे।

महोत्सव के दौरान होंगी विभिन्न गतिविधियां

नेपथ्य-भारतीय नृत्य शैलियों का सांस्कृतिक परिदृश्य एवं कलायात्रा। प्रदर्शनी के अन्तर्गत शास्त्रीय, लोक और जनजातीय नृत्य रूपाकारों के परिधान, आभूषण, अलंकरण, साहित्य और संगीत वाद्यों के साथ-साथ चित्र शैलियां एवं पर्व-त्योहार अर्थात समग्रता में कला और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है।

संस्कृति विभाग द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी, मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद्, भोपाल के माध्यम से खजुराहो में प्रतिवर्ष खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग एवं पुरातत्व विभाग की सहभागिता से किया जाता है। पश्चिमी मंदिर समूह परिसर के अंदर चंदेलकालीन कंदारिया महादेव मंदिर तथा देवी जगदंबा मंदिर के मध्य विशाल मुक्ताकाश मंच पर यह उत्सव 26 फरवरी तक आयोजित होगा।

खजुराहो नृत्य समारोह में अब तक भारत की सभी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों जैसे भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली, यक्षगान, मणिपुरी आदि के युवा और वरिष्ठ कलाकार अपनी कला की आभा बिखेर चुके हैं।

इंदौर-उज्जैन हाईवे सिक्स लेन बनेगा

भोपाल, सिंहस्थ-2028 के आयोजन एवं इंदौर उज्जैन हाइवे पर बढ़ते हुए ट्रैफिक दबाव को देखते हुए इंदौर-उज्जैन हाईवे को सिक्स लेन मार्ग बनाने की लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह के समक्ष मंत्रालय में प्रस्तुत किया गया। श्री राकेश सिंह ने इंदौर-उज्जैन हाईवे को सिक्स लेन करने के संबंध में समस्त तैयारी पूर्ण करने के निर्देश दिये। श्री सिंह ने कहा की कार्ययोजना की वित्तीय स्वीकृति के पश्चात कैबिनेट में रखने की सभी तैयारी सुनिश्चित की जाये।

प्रस्तावित कार्ययोजना अंतर्गत लोक निर्माण विभाग स्टेट हाईवे 59 इंदौर-उज्जैन को सिक्स लेन किया जायेगा। यह इंदौर के अरबिंदो मेडिकल कॉलेज गेट से उज्जैन के हरिफाटक चौराहे तक लगभग 48 किलोमीटर लंबाई का रहेगा। इसमें सर्विस रोड, दो बड़े पुल सहित उज्जैन शहर में फ्लाइओवर भी बनाये जायेंगे।

प्रारंभिक आकलन के अनुसार इस कार्य में 988 करोड़ रुपये की लागत आएगी। बैठक में बताया गया कि वित्तीय स्वीकृति के पश्चात कार्य योजना स्वीकृति के लिये कैबिनेट में रखी जायेगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक

भोपाल, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ निर्वाचन सदन भोपाल में बैठक की। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 अंतर्गत मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के संबंध में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को जानकारी देकर फोटो निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन की सीडी उपलब्ध कराई गई।

श्री राजन ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 अंतर्गत प्रदेश के सभी 64 हजार 523 मतदान केंद्रों एवं 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। श्री राजन ने बताया कि अंतिम प्रकाशन सूची को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

फोटो निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के दौरान प्रदेश में कुल सामान्य मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 63 लाख 40 हजार 64 है, जिसमें पुरुष मतदाता 2 करोड़ 89 लाख 51 हजार 705 हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 73 लाख 87 हजार 122 है, जबकि थर्ड जेंडर मतदाता 1237 हैं।

सेवा मतदाताओं की कुल संख्या 75 हजार 246 है, जिसमें 72 हजार 949 पुरुष एवं 2 हजार 297 महिला मतदाता हैं। इस प्रकार प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 64 लाख 15 हजार 310 है।

श्री राजन ने कहा कि ऐसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन की सुविधा प्रदान की गई है। इसके लिए नागरिक Voter Helpline App और voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और ऑफलाइन के लिए बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं।

कोषालय से राशि आहरण कर सकेंगे निकाय

भोपाल, नगरीय विकास विभाग के 407 निकायों को पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अंतर्गत 99 करोड़ 79 लाख रुपये की राशि कोषालय से आहरण करने की अनुमति मिल गई है। यह अनुमति वित्त विभाग ने प्रदान की है। पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अंतर्गत 197 करोड़ 90 लाख रुपये निकायों के लिए आवंटित किए गए हैं।

नवीन निर्माण कार्यों को प्रस्ताव में शामिल करें

भोपाल, उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने वल्लभ भवन मंत्रालय में स्थित सभाकक्ष में रीवा जिले में सिरमौर चौराहा, बोदा रोड स्थित लोक निर्माण विभाग की 1.22 हेक्टेयर भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत नवीन निर्माण कार्यों की वृहद् समीक्षा की।

उप मुख्यमंत्री ने निवर्तन और शासकीय निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि तथा निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने योजनांतर्गत प्रस्तावित 26 करोड़ 69 लाख रुपये लागत के शासकीय निर्माण कार्यों के साथ 54 करोड़ 28 लाख रुपये लागत के नवीन कार्यों को प्रस्ताव में शामिल करने के निर्देश दिये।

गौशालाओं को स्वावलंबी बनाया जाएगा

भोपाल, गौशालाओं को स्वावलंबी बनाया जाएगा, जिससे वे स्वयं का खर्च उठा सकें। इसके लिए जन जागृति अभियान चलाया जाएगा और शासन की ओर से उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। यह बातें पशुपालन मंत्री श्री लखन पटेल ने पशुपालन एवं डेयरी संचालनालय में मध्यप्रदेश राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल की बैठक में कहीं।

श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में गौशाला में उत्पादित होने वाले उत्पादों के विक्रय के लिए प्रत्येक जिले में विक्रय केंद्र स्थापित किए जाएं। साथ ही गोबर एवं गोमूत्र से बनने वाले जैविक खाद, बायोगैस, कंडे, गोनाइल तथा अन्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जन जागृति की जाए। गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए अनुदान पर बेलर मशीन, स्ट्रॉ रीपर, चेफ कटर उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। गौशालाओं में बिजली के बिल की राशि कम करने के लिए प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना अंतर्गत गौशालाओं में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएं।

बैठक में मार्गों एवं राजमार्गों पर विचरने वाले निराश्रित गौवंश की समस्या के समाधान के लिए सुझाव दिया गया कि निराश्रित घूमने वाले गौवंश को पकड़कर गौशालाओं में रखा जाए और उनके पालकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर दंड अधिरोपित किया जाए।

निरीक्षण

मुख्यमंत्री बैरागढ़ में घटना स्थल पहुंचे

हरदा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हरदा के बैरागढ़ में स्थित पटाखा फैक्ट्री के दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। संभाग आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग श्री पवन कुमार शर्मा ने दुर्घटना के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घटना की विस्तृत जांच कर शीघ्र रिपोर्ट देने के लिये कहा ताकि दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा सके।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दुर्घटना में मृतक प्रियांशु प्रजापति के घर पहुंचकर उनके परिजनों से भेंट कर शोक संवेदनाएं प्रकट कीं तथा उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

पूर्व मंत्री श्री कमल पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती राजू कमेड़िया, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय दुबे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री जयदीप प्रसाद, संभागायुक्त नर्मदापुरम् डॉ. पवन कुमार शर्मा, आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्री सुदाम पी. खाड़े सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पटाखा फैक्ट्री के दुर्घटना स्थल का जायजा लिया

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

एजेंसी देना है

मध्यप्रदेश का सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला साप्ताहिक समाचार पत्र

रोज़गार और निर्माण

प्रदेश के शहडोल, गुना, झाबुआ, खंडवा, कटनी, छतरपुर, पिपरिया, बैतूल, सागर, विदिशा एवं इटारसी में एजेंसी नियुक्त करना है।

एजेंसी संबंधित कार्य के लिए कार्यालीन समय में संपर्क करें

0755-2760006,
0755-2551330

प्रमुख आकर्षण

- कॅरियर की ख़बरें
- सम-सामयिक विषयों पर विशेषज्ञों की टिप्पणियां
- खेल जगत की उल्लेखनीय ख़बरें
- सप्ताह की प्रमुख घटनाएं
- मध्यप्रदेश सरकार के निर्णयों और योजनाओं की जानकारियां
- विज्ञान की बातें

मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नंबर : 0755-2551330, 0755-2760006
www.mpmadhyam.in
madhyam.rojgar@gmail.com

आज ही खरीदें
प्रमुख बुक-स्टॉलों पर उपलब्ध

श्री लालकृष्ण आडवाणी

भारत रत्न से सम्मानित होने वाले 50वें व्यक्ति बने

भारत सरकार ने पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। श्री आडवाणी 50वें व्यक्ति होंगे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए श्री आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने की जानकारी दी। श्री आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। वे वर्ष 1970 में राज्यसभा सांसद बने और वर्ष1977 में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने। श्री आडवाणी ने जून 2002 से मई 2004 के बीच उप प्रधानमंत्री का पद भी संभाला है।

इसरो

अंतरिक्ष में भेजेगा महिला रोबोट

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) वर्ष 2025 में प्रस्तावित मिशन गगनयान से पहले महिला रोबोट व्योममित्रा को अंतरिक्ष में भेजेगा। यह जानकारी केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दी। डॉ. सिंह ने बताया कि मानवरहित व्योममित्रा मिशन इस वर्ष जुलाई के बाद निर्धारित किया गया है। व्योममित्रा की सफलता के बाद ही अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन गगनयान के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।

वरुण घोष

ऑस्ट्रेलियाई सीनेट में हुए नियुक्त

ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के बैरिस्टर वरुण घोष को ऑस्ट्रेलिया की सीनेट में नियुक्त किया गया है। लेबर पार्टी ने आधिकारिक रूप से वरुण को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई संसद की संयुक्त बैठक में वरुण का चयन किया गया। वरुण वर्तमान सीनेटर पैट्रिक डॉडसन का स्थान लेंगे। 38 वर्षीय वरुण 17 वर्ष की उम्र में लेबर पार्टी में शामिल हुए थे। वर्ष 2019 के संघीय चुनाव में वरुण लेबर पार्टी के सीनेट टिकट पर पांचवें स्थान पर रहे थे। वरुण ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय से कला और कानून की डिग्री प्राप्त की है।

श्री चंपाई सोरेन

झारखंड के सातवें मुख्यमंत्री बने

झारखंड में श्रीचंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे झारखंड के सातवें मुख्यमंत्री बन गए हैं। श्री सोरेन का जन्म एक नवंबर 1956 को जिलिंगगौड़ा में हुआ था। उन्होंने मैट्रिक तक शिक्षा अर्जित की है। श्री चंपाई सोरेन अब तक सात बार विधायक बन चुके है। वे वर्ष 1991 में पहली बार सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। श्री सोरेन इससे पहले मंत्री के रूप में परिवहन विभाग सहित कई अहम विभाग संभाल चुके हैं।

जस्टिस अरुण भंसाली

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने

राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस अरुण भंसाली को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने जस्टिस भंसाली सहित छह मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डी.वाय. चंद्रचड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले दिनों केंद्र सरकार से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस भंसाली के नाम की सिफारिश की थी।

मुकेश अंबानी

ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में दूसरे पावरफुल सीईओ बने

भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में लगातार दूसरी बार विश्व के दूसरे सबसे पावरफुल सीईओ बने है। इस इंडेक्स में मुकेश अंबानी ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, एप्पल के टिम कुक और टेस्ला के एलन मस्क को पछाड़ा है।

पी. टी. ऊषा

लाइफ टाइम अवॉर्ड से हुईं सम्मानित

भारतीय ओलिंपिक संघ की अध्यक्ष और पूर्व एथलीट पी. टी. ऊषा को भारतीय खेल पत्रकार महासंघ और दिल्ली खेल पत्रकार संघ की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। विजय अमृतराज, प्रकाश पादुकोण, सुनील गावस्कर और मिल्खा सिंह (मरणोपरांत) के बाद पी. टी. ऊषा यह अवॉर्ड हासिल करने वाली पांचवीं खिलाड़ी है। ऊषा ने वर्ष 1977 से 2000 के बीच भारत के लिए 103 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं।

आईएनएस संधायक

सर्विलांस शिप नौसेना में हुआ शामिल

सर्विलांस जहाज आईएनएस संधायक आंध्रप्रदेश के विशाखापट्टम में भारतीय नौसेना में कमीशन हुआ। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और नौसेना प्रमुख चीफ एडमिरल आर. हरि कुमार की उपस्थिति में इस पोत को नौसेना में शामिल किया गया। इस जहाज के कमीशन होने से नौसेना का समुद्री नेवीगेशन और भी मजबूत होगा। यह जहाज 11 हजार किलोमीटर तक बंदरगाहों और समुद्री तटों की निगरानी कर सकता है।

लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी

नए वाइस चीफ ऑफ ऑर्मी स्टाफ होंगे

भारतीय सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी देश के नये वाइस चीफ ऑफ ऑर्मी स्टाफ (उप सेना प्रमुख) होंगे। मध्यप्रदेश के रीवा जिले में जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 15 फरवरी को पद संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने उत्तरी कमान की जिम्मेदारी ऐसे समय में संभाली थी, जब भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में टकराव हुआ था। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित

पंजाब के राज्यपाल पद से दिया इस्तीफा

पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री बनवारी लाल पुरोहित ने व्यक्तिगत कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। श्री पुरोहित ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री पुरोहित ने अपने इस्तीफे में लिखा कि व्यक्तिगत कारणों और कुछ अन्य प्रतिबद्धताओं की वजह से मैं पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। श्री पुरोहित को अगस्त 2021 में पंजाब का राज्यपाल और चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया था।

किंग चार्ल्स तृतीय

कैंसर से हुए पीड़ित

ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय कैंसर से पीड़ित हो गए है। बकिंघम पैलेस की ओर से जारी एक बयान के अनुसार किंग चार्ल्स तृतीय एक प्रकार के कैंसर से पीड़ित है। प्रोस्टेट ग्रंथि की जांच के दौरान उनके कैंसर से पीड़ित होने का पता चला। उन्हें किस तरह का कैंसर है और किस स्टेज का है, इसकी जानकारी नहीं दी गई। बयान के अनुसार 75 वर्षीय किंग चार्ल्स ने अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है।

मिशेल ओ'नील

उत्तरी आयरलैंड की प्रथम मंत्री बनीं

उत्तरी आयरलैंड में सिन फिएन पार्टी की उपाध्यक्ष मिशेल ओ'नील देश की प्रथम मंत्री (प्रधानमंत्री) निर्वाचित हुई है। मिशेल वर्ष 1998 के गुड फ्राइ डे शांति समझौते के तहत उत्तरी आयरलैंड के दो मुख्य समुदायों के बीच सत्ता बंटवारे के नियमों के अनुसार बनी सरकार की प्रथम मंत्री है। मिशेल की पार्टी सिन फिएन वर्ष 2022 में हुए उत्तरी आयरलैंड विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी।

ओलेग कोनेनेंको ने बनाया

अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड

रूस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने का नया रिकॉर्ड बनाया है। कोनेनेंको ने 879 दिन अंतरिक्ष में बिताये हैं, इस मामले में कोनेनेंको ने अपने हमवतन अंतरिक्ष यात्री जेनेडी पडाल्का के 878 दिन 11 घंटे और 30 मिनट तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोनेनेंको 5 जून 2024 को फिर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे और 23 सितंबर 2024 तक अंतरिक्ष में रहेंगे।

अक्षिता ठाकुर

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की प्रतिनिधि बनीं

भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा अक्षिता ठाकुर ने संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस में अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में 17 से 21 जनवरी के बीच जलवायु परिवर्तन पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका ने कक्षा नौवीं से बारहवीं तक पढ़ने वाले 16 विद्यार्थियों का चयन किया, जिनमें अक्षिता भी शामिल है।

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल

भारत के ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री डॉ. जयंतीलाल भंडारी का नाम सर्वाधिक आर्थिक लेखों के प्रकाशन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया हेड डॉ. मनीष विश्नोई एवं आलोक कुमार ने डॉ. भंडारी को वैश्विक रिकॉर्ड की आधिकारिक मान्यता का प्रमाण पत्र सौंपा। डॉ. भंडारी जनवरी 1991 से जनवरी 2024 के दौरान लगातार 33 वर्षों से आर्थिक, वित्तीय और रोज़गार आधारित विषयों पर लेखन कर रहे है।

लियोनल मेसी का

करार साइन वाला नेपकिन होगा नीलाम

विश्व के स्टार फुटबॉलर और अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनल मेसी ने अपने पहले क्लब बार्सिलोना के साथ जिस नेपकिन पर पहला कॉन्ट्रेक्ट साइन किया था, वो नेपकिन अब नीलाम किया जाएगा। लंदन की एक नीलामी करने वाली कंपनी बोनहम्स 18 से 27 मार्च के बीच इस नेपकिन को नीलाम करेगी। इसकी शुरुआती कीमत 3 लाख पाउंड (लगभग 3 करोड़ 15 लाख रुपये) रखी गई है।

हरमनप्रीत कौर

पंजाब पुलिस में बनीं डीएसपी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर पंजाब पुलिस में उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) बन गई है। पंजाब सरकार ने हरमनप्रीत सहित 11 खिलाड़ियों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पंजाब प्रशासनिक सेवा (पीसीएस) और पंजाब पुलिस सेवा (पीपीएस) में नौकरी के लिए नियुक्ति-पत्र सौंपे।

पांच भारतीय कलाकारों को

मिला प्रतिष्ठित ग्रैमी अवॉर्ड

अमेरिका में आयोजित ग्रैमी अवॉर्ड समारोह में भारतीय कलाकारों की धूम रही। समारोह में पांच भारतीय कलाकारों को एक साथ ग्रैमी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इनमें उस्ताद जाकिर हुसैन (तबला), शंकर महादेवन (गायन), गणेश राजगोपालन (वायलिन), सेल्वागणेश विनायकराम (कंजीरा) और राकेश चौरसिया (बांसुरी) शामिल है। समारोह में भारतीय फ्यूजन बैंड शक्ति को उनके लेटेस्ट म्युजिक एल्बम दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्युजिक एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी अवॉर्ड दिया गया।

स्मृति शेष

हॉलीवुड अभिनेता कार्ल वेदर्स का निधन

हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता कार्ल वेदर्स का निधन हो गया है। वे 76 वर्ष के थे। कार्ल के परिवार ने एक बयान जारी कर उनके निधन की घोषणा की। कार्ल एक बेहतरीन अभिनेता थे, उन्होंने अपने कैरियर में 75 से अधिक फिल्मों और टीवी शो में काम किया है। उन्हें फिल्म रॉकी से विश्वभर में पहचान मिली।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

कार्यालय अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
उज्जैन मण्डल, उज्जैन, कोठी महल के पीछे, उज्जैन (म.प्र.)

Telephone : 0734-2510919, Email - seresujjain@mp.gov.in

क्रमांक/115/तक./ग्रायांसे/2024 उज्जैन, दिनांक : 31.01.2024

संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 11/2023-24

उज्जैन मण्डल अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। उल्लेखित कार्यों का विस्तृत विवरण वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है :–

स. क्र.	जिले का नाम	ऑनलाइन टेण्डर आईडी क्रमांक	कार्य का नाम	अनु. लागत (राशि रु. लाख में)
1.	आगर मालवा	2024_RES_ 329272	चारा भंडारण निर्माण स.क्र.01 कामधेनु गौ-अभ्यारण सालरिया एवं चारा भंडारण निर्माण स.क्र.02 कामधेनु गौ-अभ्यारण्य सालरिया	170.94
2.	आगर मालवा	2024_RES_ 329275	चारा भंडारण निर्माण स.क्र.03 कामधेनु गौ-अभ्यारण्य सालरिया एवं चारा भंडारण निर्माण स.क्र.04 कामधेनु गौ-अभ्यारण्य सालरिया	170.94
3.	रतलाम	2024_RES_ 329277	श्री नागनाथ महादेव मंदिर निर्माण कार्य ग्राम पंचेड	23.13

उपरोक्त निविदाओं का निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर ऑनलाइन भुगतान कर क्रय किया जा सकेगा। निविदा प्रपत्र पोर्टल पर दिनांक 07.02.2024 से प्रातः 10.30 से उपलब्ध होगा। प्री-बिड मीटिंग दिनांक 09.02.2024 प्रातः 11.30 बजे इस कार्यालय में रखी गई है। निविदा प्रपत्र क्रय करने एवं ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 20.02.2024** समय 17.30 बजे तक निर्धारित है। विस्तृत निविदा सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है। उक्त निविदा दिनांक 26.02.2024 को कार्यालय, अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उज्जैन मण्डल, उज्जैन में खोली जावेगी।

अधीक्षण यंत्री

जी-23768/49443/2024 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उज्जैन मण्डल, उज्जैन

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (वि./यां.) संभाग क्र. 02
13-ए शेड बारह दफ्तर जवाहर चौक भोपाल (म.प्र.)
निविदा सूचना

सूचना प्रकाश क्रमांक 02/व.ले.लि./2023-24 भोपाल, दिनांक : 25.01.2024

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. रिप्लेसमेंट ऑफ ट्यूब लाइट शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज बिल्डिंग जिला बैतूल

पोर्टल टेंडर क्र.	एन.आई.टी. क्र.	आमंत्रण क्र.	ठेके की अनु. राशि	धरोहर राशि	निविदा राशि
2024_PWDRB_ 328576_1	26/SAC/ 2023-24	प्रथम आमंत्रण	352000/-	7040/-	2000/-

क्र. एवं कार्य का नाम :– 2. रिप्लेसमेंट ऑफ सिलिंग फैन एवं रेगुलेटर शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज बिल्डिंग जिला बैतूल

2024_PWDRB_ 328578_1	27/SAC/ 2023-24	प्रथम आमंत्रण	844450/-	16889/-	2000/-

क्र. एवं कार्य का नाम :– 3. विद्युतीकरण कार्य सप्लाय एवं फिक्सिंग एक्स एल.पी.ई. इन्टालड पावर केबल फार डीजी सेट जवाहर नवोदय विद्यालय पवारखेड़ा जिला नर्मदापुरम

2024_PWDRB_ 328581_1	28/SAC/ 2023-24	प्रथम आमंत्रण	496519/-	9930/-	2000/-

क्र. एवं कार्य का नाम :– 4. वार्षिक विद्युत मरम्मत कार्य शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवन राजगढ़ अंतर्गत जिला राजगढ़

2024_PWDRB_ 328583_1	29/SAC/ 2023-24	प्रथम आमंत्रण	1000000/-	20000/-	2000/-

क्र. एवं कार्य का नाम :– 5. वार्षिक विद्युत मरम्मत कार्य शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवन अनुभाग खिलचीपुरा अंतर्गत राजगढ़ जिला राजगढ़

2024_PWDRB_ 328584_1	30/SAC/ 2023-24	प्रथम आमंत्रण	900000/-	18000/-	2000/-

क्र. एवं कार्य का नाम :– 6. वार्षिक विद्युत मरम्मत कार्य शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवन अनुभाग इटारसी/ सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम

2024_PWDRB_ 328585_1	31/SAC/ 2023-24	प्रथम आमंत्रण	1000000/-	20000/-	2000/-

क्र. एवं कार्य का नाम :– 7. वार्षिक विद्युत मरम्मत कार्य शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवन अनुभाग नर्मदापुरम/ पिपरिया/पचमढ़ी जिला नर्मदापुरम

2024_PWDRB_ 328586_1	32/SAC/ 2023-24	प्रथम आमंत्रण	1294000/-	25880/-	2000/-

क्र. एवं कार्य का नाम :– 8. वार्षिक विद्युत मरम्मत कार्य शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवन ब्लॉक बैतूल/ चिचोली/भीमपुर जिला बैतूल

2024_PWDRB_ 328588_1	33/SAC/ 2023-24	प्रथम आमंत्रण	1500000/-	30000/-	2000/-

क्र. एवं कार्य का नाम :– 9. वार्षिक विद्युत मरम्मत कार्य शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवन सब डिवीजन हरदा जिला हरदा

2024_PWDRB_ 328589_1	34/SAC/ 2023-24	प्रथम आमंत्रण	1900000/-	38000/-	2000/-
		योग :–	9286969/-		

नोट :– निविदा विक्रय दिनांक 30.01.2024 प्रातः 10.30 बजे से निविदा विक्रय **अंतिम दिनांक 17.02.2024** सायं 5.30 बजे तक एवं समस्त दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करना है। निविदा की निर्धारित तिथियों में या अन्य किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर उसे उपरोक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

कार्यपालन यंत्री

जी-23780/49444/2024 लो.नि.वि. (वि./यां.) संभाग क्र.02 भोपाल

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER PWD SAGAR
ZONE SAGAR

PHONE No. 07582-220840, E-mail :- cepwdsagar@mp.nic.in

NIT No. 24/2023-24 SAGAR, DATE : 31.01.2024

Online bids for the following works are invited from registered contractors registration criteria :

S.No. & Name of Work :- 1. Construction of Different Roads Work Under PWD Sub Division Road Damoh. :- 1. Construction of Mohanpur mara Road length 2.00 km. 2. Pipariya Shahpur Road length 4.00 km.

Tender Portal No.	District	Probable Amount Contract (Rs. lakh in)	Eranest Money Deposit (EMD) (in Rs.)	Cost of Bid Document (in Rs.)	Period of completion (in months i/c Rainy Season)
2024_PWDRB_ 329002_1	Damoh	617.59	617590/-	20000/-	10 Months

1. All details relating to the Bid Document (s) can be viewed and downloaded free of cost from the website **http://mptenders.gov.in**
2. Bid Document(s) can be purchased after making online payment of portal fees through Credit/Debit/Cash Card/internet Banking.
3. The Bid Document(s) can be purchased only online from 01.02.2024 (time) 10.30 to **15.02.2024** time 17.30 Other key dates may be seen in Bid Data Sheet.
4. Amendment(s) to NIT, if any shall be published on website only and not in newspaper.

CHIEF ENGINEER

G-23782/49445/2024 PWD SAGAR ZONE SAGAR

कार्यालय मुख्य अभियंता (भवन)
लोक निर्माण विभाग ओल्ड पलासिया इंदौर (म.प्र.)

ईमेल : apdpiuindore@gail.com. फैक्स : 0731-4989768

क्र.एफ-3/सामान्य/नि.प्र. अनुमोदन/मु.अ. (भवन)/2024/एनआईटी-27/396 इंदौर, दिनांक : 2.2.2024

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 27/2024

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से लोक निर्माण विभाग, परिक्षेत्र इंदौर के अंतर्गत निम्नांकित निर्माण कार्यों हेतु केन्द्रीयकृत ई-पंजीयन व्यवस्था अंतर्गत सिविल श्रेणी में पंजीयन ठेकेदार से लोक निर्माण विभाग, म.प्र. द्वारा दिनांक 01.01.2024 से प्रभावशील एस.ओ.आर. एवं निविदा सूचना प्रकाशन तिथि संशोधित, निर्धारित तिथि (Key-Date) अनुसार के आधार पर ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। आमंत्रित निविदा शासन के पोर्टल **http://mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. उन्हेल जिला उज्जैन में विमुक्त घुमक्कड़, अर्द्ध घुमक्कड़ जाति हेतु 50 सीटर कन्या छात्रावास का निर्माण कार्य।

पोर्टल टेंडर क्र.	जिला	ठेके की अनु. राशि (पीएसी) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)
2024_PWPIU_329720_1	उज्जैन	370.49	3,70,490	15,000	18

क्र. एवं कार्य का नाम :– 2. लोक निर्माण विभाग (भवन) उज्जैन के अंतर्गत छूटे हुये, मरम्मत मायनर एवं परफारमेंस ग्यारंटी के तहत विभिन्न भवनों के निर्माण/उन्नयन का कार्य।

2024_PWPIU_329753_1	उज्जैन	100.00	1,00,000	10,000	12

क्र. एवं कार्य का नाम :– 3. अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भवन खालवा जिला खण्डवा का निर्माण कार्य।

2024_PWPIU_329012_1	खण्डवा	92.79	92,790	10,000	6

क्र. एवं कार्य का नाम :– 4. संयुक्त तहसील कार्यालय खण्डवा, उपतहसील कार्यालय भवन सिंगोट एवं छैगांवमाखन भवन में फर्नीचर प्रदान करने का कार्य।

2024_PWPIU_329023_1	खण्डवा	90.65	90,650	10,000	1

क्र. एवं कार्य का नाम :– 5. धार जिला अंतर्गत नालछा जिला धार में नवीन टप्पा तहसील कार्यालय भवन एवं उमरबन जिला धार में नवीन टप्पा तहसील कार्यालय भवन तथा कुक्षी जिला धार में नवीन अनुविभागीय कार्यालय भवन में फर्नीचर प्रदान करने का कार्य।

2024_PWPIU_329043_1	धार	34.00	50,000	5,000	3

निविदा संबंधित तिथियां (key-Date) :–

1. प्रपत्र क्रय करने की प्रारंभिक तिथि	-	01.02.2024
2. बिड प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि	-	02.02.2024
3. बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	-	16.02.2024
4. बिड खोलने की तिथि	-	19.02.2024

मुख्य अभियंता (भवन)

जी-23793/49446/2024 लो.नि.वि. परिक्षेत्र इंदौर

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल

ईमेल - ceproc.encwrd.bpl@nic.in, फोन - 0755-2767635, फैक्स - 0755-2552406

निविदा सूचना क्रमांक - 1051/2023-24/प्रमुख अभियंता/ई-टेंडरिंग/ भोपाल, दिनांक : 01.02.2024

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र दिनांक **26.02.2024** को 17.30 बजे तक क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स.क्र.	निविदा क्र.	कार्य	जिला	लागत (लाख)
1.	2024_WRD_ 329692	**टर्न की पद्धति पर** :– झारा ओगी बियर का निर्माण कार्य विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परंतु उस तक सीमित नहीं।	सिंगरौली	1300.00

जी-23834/49449/2024 मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल

ईमेल - ceproc.encwrd.bpl@nic.in, फोन - 0755-2767635, फैक्स - 0755-2552406

निविदा सूचना क्रमांक - 1049/2023-24/प्रमुख अभियंता/ई-टेंडरिंग/ भोपाल, दिनांक : 31.01.2024

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र दिनांक 01.03.2024 को 17.30 बजे तक क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स.क्र.	निविदा क्र.	कार्य	जिला	लागत (लाख)
1.	2024_WRD_ 329094	ड्रिप II के अंतर्गत भगवंत सागर परियोजना (सुक्ता बांध) विद्युत यांत्रिकी कार्य।	धार	420.53

जी-23835/49450/2024 मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संभाग-भोपाल
माधवराव सप्रे मार्ग, (मुख्य मार्ग क्रमांक-03) भोपाल (म.प्र.) 462003

नि.आं.सू.क्र. 19/एन.एच.एम./2023-24/1718 भोपाल, दिनांक : 01.02.2024

निविदा आमंत्रण सूचना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संभाग-भोपाल की ओर से निम्नलिखित कार्य संपादित करने के लिये निविदा पोर्टल ऑनलाइन (निविदा ई-टेण्डरिंग के माध्यम) से **(www.mptenders.gov.in)** (Department of Directorate of Health Services) स.क्र. 1 से 2 तक तीन लिफाफा एवं स.क्र. 3 एवं 6 दो लिफाफा पद्धति से प्रपत्र ''अ'' फार्म में परसेंटेज बेसिस पर उपयुक्त श्रेणी में पंजीबद्ध ठेकेदारों हेतु प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीआईयू. लोक निर्माण विभाग भोपाल द्वारा जारी भवन एवं विद्युत कार्य हेतु एस.ओ.आर. 15.09.2022 (निविदा सूचना जारी होने तक किये गये समस्त संशोधनों सहित) दरों पर आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :

ई-निविदा सूचना क्रमांक - 19/2023-24 दिनांक 02.02.2024

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. जिला राजगढ़ विकासखण्ड सारंगपुर ग्राम आशारेटा, बालोडी, भूमका एवं विकासखण्ड नरसिंहगढ़ ग्राम जामुनिया गोपचोहान में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन मय सीएचओ आवासगृह का निर्माण कार्य।

टेण्डर नं. 2024_DHS	अनुमानित लागत राशि (लाख में)	जमा धरोहर राशि रु.	टेण्डर दर राशि रु.	समय सीमा वर्षाकाल सहित
2024_DHS_328572	241.24	241240/-	15000/-	18 माह

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 2. जिला होशंगाबाद विकासखण्ड सिवनी मालवा ग्राम भालडीकला एवं बारी में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन मय सीएचओ आवासगृह का निर्माण कार्य।

2024_DHS_328573	120.62	120620/-	12500/-	12 माह

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 3. जिला भोपाल विकासखण्ड बैरसिया ग्राम मंगलगढ़ में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन मय सीएचओ आवासगृह का निर्माण कार्य।

2024_DHS_328574	60.31	60310/-	10000/-	06 माह

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 4. जिला विदिशा विकासखण्ड ग्यारसपुर ग्राम नौलास में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन मय सीएचओ आवासगृह का निर्माण कार्य।

2024_DHS_328575	60.31	60310/-	10000/-	06 माह

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 5. जिला चिकित्सालय विदिशा में Lactation Management Unit की स्थापना का कार्य।

2024_DHS_328580	48.59	50000/-	5000/-	06 माह

1. कार्य से संबंधित एन.आई.टी. वेबसाइट **(http://www.mptenders.gov.in)** पर देखी जा सकती है।
2. निविदा प्रपत्र ऑनलाइन दिनांक 05.02.2024 प्रातः 10.30 से **दिनांक 20.02.2024** सायं 17.30 तक क्रय किये जा सकते हैं।
3. धरोहर राशि स्टेट हेल्थ सोसायटी, एन.एच.एम. भोपाल के पक्ष में देय होगी।
4. एन.आई.टी. में कोई भी संशोधन होने की स्थिति में वेबसाइट **(http://www.mptenders.gov.in)** पर प्रकाशित किया जावेगा एवं समाचार पत्रों में नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
जी-23800/49447/2024 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संभाग-भोपाल

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर
पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रोविजिनल (अनंतिम) प्रवेश हेतु विज्ञापन वर्ष 2023-24

स्वशासी समिति नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत सत्र 2023-24 के लिए विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों स्ववित्तीय (Self finance) में प्रोविजिनल (अनंतिम) प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक को बारहवीं परीक्षा 10+2 बायोलॉजी समूह से किसी मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। बारहवीं प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जावेंगे। आवेदन करने हेत न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अनारक्षित वर्ग के लिए तथा 33 प्रतिशत अंक आरक्षित वर्ग के लिए आवश्यक होंगे। आवेदक की उम्र 31 जनवरी 2024 को 17 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में मध्यप्रदेश सह-चिकित्सय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों एवं उनमें उपलब्ध सीटों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम		डिग्री/डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र	पाठ्यक्रम की अवधि	छात्रों हेतु उपलब्ध सीट
1.	मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी	स्पोर्ट्स	पी.जी. डिग्री कोर्स	दो वर्षीय	05
		आर्थो			05
		कार्डियोलॉजी			05
		न्यूरोलॉजी			05
		आब्स एवं गायनी			05
2.	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (BPT)		डिग्री कोर्स	साढ़े चार वर्षीय	50
3.	बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन (BMLT)		डिग्री कोर्स	तीन वर्षीय	50
4.	एक्स-रे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन (X-RAY)		डिप्लोमा कोर्स	दो वर्षीय	50
5.	ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट (OPTHAL)		डिप्लोमा कोर्स	दो वर्षीय	50
6.	डायलिसिस टेक्नीशियन (DIALYSIS)		डिप्लोमा कोर्स	दो वर्षीय	50
7.	कैथ लैब टेक्नीशियन (CATH LAB)		डिप्लोमा कोर्स	दो वर्षीय	50
8.	एनेस्थीसिया टेक्नीशियन (ANEASTHESIA)		डिप्लोमा कोर्स	दो वर्षीय	50
9.	ओ.टी. टेक्नीशियन (OT)		सर्टिफिकेट कोर्स	एक वर्षीय	50
10.	ई.सी.जी. टेक्नीशियन (ECG)		सर्टिफिकेट कोर्स	एक वर्षीय	50

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विवरण पुस्तिका एवं आवेदन पत्र पैरामेडिकल कार्यालय तृतीय तल पी.एस.एम. विभाग के बाजू में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर से दिनांक 13.02.2024 से समय 10.30 बजे से 5.30 तक के बीच में रु. 500/- का आवेदन शुल्क वाउचर पैरामेडिकल शाखा से प्राप्त कर, बैंक ऑफ बड़ौदा मेडिकल कॉलेज शाखा में जमा कर आवेदन फार्म प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र को भरकर जमा करने एवं आवेदन फार्म प्राप्त करने की **अंतिम तिथि 23.02.2024** है। विलंब शुल्क रु. 200/- सहित कुल रु. 700/- का वाउचर जमा कर आवेदन फार्म दिनांक 01.03.2024 तक प्राप्त एवं जमा किये जा सकते हैं। डाक द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर की वेबसाइट **www.nscbmc.ac.in** पर भी प्राप्त की जा सकती है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित आवेदन पत्र भी उक्त साइट से डाउनलोड करके प्राप्त किया जा सकता है। डाउनलोड किये हुए आवेदन पत्र जमा करते समय आवेदन पत्र का शुल्क उपरोक्त दर्शाये अनुसार देय होगा। इन सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग (आवंटन प्रक्रिया) निम्नानुसार संपन्न होगी। दिनांक 12.03.2024 को आरक्षित वर्ग (एस.सी./एस.टी.) दिनांक 13.03.2024 को आरक्षित वर्ग (ओ.बी.सी./ई.डब्ल्यू.एस.) दिनांक 14.03.2024 को अनारक्षित वर्ग विभागीय कर्मचारी की एवं एम.पी.टी. की समय प्रातः 10.30 बजे मेरिट के आधार पर प्रारंभ की जावेगी। काउंसिलिंग के लिए अलग से कॉल लेटर जारी नहीं किये जावेंगे। काउंसिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय के फार्माकॉलोजी के लेक्चर हॉल में संपन्न कराई जावेगी एवं शासन के नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

प्रथम काउंसिलिंग के पश्चात रिक्त पैरामेडिकल सीटों पर दिनांक 28.03.2024 को द्वितीय काउंसिलिंग एवं दिनांक 05.04.2024 को मॉप-अप राउंड आयोजित की जावेगी।

नोट :– 1. प्रवेश के समय सीटों एवं शैक्षणिक शुल्क में शासकीय नियमानुसार कमी एवं वृद्धि की जा सकती है।
2. ऐसे छात्र जो 12वीं 10+2 अधिष्ठाता की परीक्षा 1. लेब्रोटरी मेडिसिन 2. क्लीनिकल बायोकेमेस्ट्री 3. माइक्रोबायोलॉजी विषय से उत्तीर्ण की है वे छात्र सिर्फ बैचलर ऑफ लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जी-23920/49453/2024 ने.सु.चं.बो. मेडिकल कॉलेज जबलपुर

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल

ईमेल - ceproc.encwrd.bpl@nic.in, फोन - 0755-2767635, फैक्स - 0755-2552406

निविदा सूचना क्रमांक - 1050/2023-24/प्रमुख अभियंता/ई-टेंडरिंग/ भोपाल, दिनांक : 01.02.2024

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र दिनांक 26.02.2024 को 17.30 बजे तक क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स. क्र.	निविदा क्र.	कार्य	जिला	लागत (लाख)
1.	2024_WRD_329640	लालाखेड़ी बैराज के समीप घाट निर्माण एवं डाउनस्ट्रीम प्रोटेक्शन का निर्माण कार्य।	शाजापुर	111.69
2.	2024_WRD_329647	जामनेरी बैराज के समीप घाट निर्माण एवं डाउनस्ट्रीम प्रोटेक्शन का निर्माण कार्य।	शाजापुर	108.48
3.	2024_WRD_329648	पेवची बैराज के समीप घाट निर्माण एवं डाउनस्ट्रीम प्रोटेक्शन का निर्माण कार्य।	शाजापुर	122.68
4.	2024_WRD_329650	कुण्डीघाट बैराज के समीप घाट निर्माण एवं डाउनस्ट्रीम प्रोटेक्शन का निर्माण कार्य।	शाजापुर	86.16
5.	2024_WRD_329651	घाटावाला महाराज बैराज के समीप घाट निर्माण एवं डाउनस्ट्रीम प्रोटेक्शन का निर्माण कार्य।	शाजापुर	197.92
6.	2024_WRD_329652	ढूंटी बांयी तट नहर प्रणाली की जागपुर माइनर के चैन क्र. 0 से 97 दुगलई सब माइनर के चैन क्र. 0 से 54 एवं टिटवा माइनर के चैन क्र. 0 से 50 तक विशेष मरम्मत कार्य।	बालाघाट	75.56
7.	2024_WRD_329653	ढूंटी बांयी तट नहर प्रणाली की चिचगांव माइनर के चैन क्र. 0 से 133 एवं नैतरा सब माइनर के चैन क्र. 0 से 95 तक विशेष मरम्मत कार्य।	बालाघाट	99.02
8.	2024_WRD_329655	बांध सुरक्षा संगठन के कार्यालयीन उपयोग हेतु स्वारा भवन का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नत कार्य।	भोपाल	68.15
9.	2024_WRD_329657	सिपावरा बैराज के डाउन स्ट्रीम एवं अपस्ट्रीम बाडीवाल तथा क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य, एप्रोच आर.डी. 195 मीटर से 210 मीटर तक का कार्य।	रतलाम	27.48
10.	2024_WRD_329658	धुरेरी बैराज का प्रोटेक्शन कार्य।	उज्जैन	40.00
11.	2024_WRD_329659	**टर्न की पद्धति पर** :– देवपुर स्टॉप डेम का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परंतु उस तक सीमित नहीं।	ग्वालियर	233.64
12.	2024_WRD_329662	बाणसागर विजिटर एवं व्ही.आई.पी. रेस्ट हाउस के मरम्मत एवं रखरखाव कार्य।	शहडोल	56.14
13.	2024_WRD_329663	सिंध परियोजना नहर मण्डल के अंतर्गत शिवपुरी, नरवर एवं कैरा स्थानों पर मण्डल संभाग कार्यालयों में निरीक्षण वाहन किराये पर लिये जाने के संबंध में।	शिवपुरी	40.89
14.	2024_WRD_329665	**टर्न की पद्धति पर** :– खेड़ापती तालाब का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परंतु उस तक सीमित नहीं।	बड़वानी	522.72
15.	2024_WRD_329666	बेगडा तालाब योजना का शेष निर्माण कार्य (आर.आर.आर.) मद के अंतर्गत।	अलीराजपुर	100.00
16.	2024_WRD_329667	**टर्न की पद्धति पर** :– उमरिया तालाब का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार उस तक सीमित नहीं।	मंदसौर	274.52
17.	2024_WRD_329668	**टर्न की पद्धति पर** :– देहरीपाल तालाब (नहर रहित) बांध एवं साजौद वियर (गेट सहित) का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परंतु उस तक सीमित नहीं।	शाजापुर	731.39
18.	2024_WRD_329669	**टर्न की पद्धति पर** :– श्यामनगर जलाशय (नहर रहित) बांध का कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परंतु उस तक सीमित नहीं।	सतना	877.96
19.	2024_WRD_329673	**टर्न की पद्धति पर** :– नैनपुर अंतर्गत थांवर आर.बी.सी. की आर.डी. 0 से 15150 मी. खिरसारू माइनर नं. 01, आर.डी. 0 से 600 मी., खिरसारू माइनर नं. 02, आर.डी. 0 से 540 मी. भरवेली माइनर, आर.डी. 0 से 1710 मी. लालपुर माइनर नं. 01, आर.डी. 0 से 840 मी. लालपुर माइनर नं. 02, आर.डी. 0 से 780 मी. लुटमरा माइनर, 0 से 1230 मी. में मिट्टी कार्य, स्ट्रक्चर, एस्केप, सीडी, व्ही.आर.बी. एक्वाडक्ट, नाला साइफन, केनाल फाल 1.8 मी. हेड रेग्युलेटर, आउटलेट एवं लाइनिंग का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परंतु उस तक सीमित नहीं।	मण्डला	993.36
20.	2024_WRD_329675	प्रत्येक संभागों (गुना, राघौगढ़, राजगढ़, अशोकनगर) हेतु 03 बुलेरो वाहन टैक्सी परमिट के मान से 12 वाहन।	गुना	44.60
21.	2024_WRD_329676	**टर्न की पद्धति पर** :– तिघरा बैराज का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परंतु उस तक सीमित नहीं।	पन्ना	385.77
22.	2024_WRD_329680	खेताखेड़ा तालाब के डूब क्षेत्र में आ रही एल.टी. लाइन शिफ्टिंग का कार्य।	मन्दसौर	21.57
23.	2024_WRD_329681	**टर्न की पद्धति पर** :– रूमई स्टॉप डेम का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परंतु उस तक सीमित नहीं।	मुरैना	275.16
24.	2024_WRD_329685	कान्याखेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम केशोपुर के पुनर्वास हेतु मूलभूत सुविधाओं के निर्माण कार्य।	सीहोर	830.57

जी-23833/49448/2024 मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)

RAJMATA VIJAYARAJE SCINDIA KRISHI VISHWA VIDYALAYA (RVSKVV), GWALIOR (M.P.)

Raja Pancham Singh Marg, Behind LNUPE, Gwalior - 474002 (M.P.)

No./IPRO/DI/CT/2023-24/3680 Dated : 08.02.2024

ADVERTISEMENT 2023-24

On approval of competent authority the Contractual/ Retired teacher including Sport teachers (Age of the retired teachers should not be above 70 years) are required on temporary contingency basis (on fixed emoluments Rs. 35,000/- per month) in the subject of **Agronomy, Soil Science & Agril. Chemistry, Agril. Economics, Plant Pathology, Entomology, Genetics & Plant Breeding, Horticulture (Fruit Science), Horticulture (Fruit Science/ Vegetable Science) with specialization in PHM, Horticulture (Vegetable Science), Horticulture (Plantation Spices Medicinal & Aromatic plants), Horticulture (Floriculture & Land Scaping), Agril. Extension & Communication, Statistics, English, Sports/Physical Education, Veterinary Science/A.H. Dairy, Library Science, Plant Biotechnology, Agril. Engineering, Botany & Plant Physiology with specialization in Bio Chemistry and Botany & Plant Physiology** for different colleges at Gwalior/Indore/ Sehore/ Khandwa and CoH, Mandsaur for the academic session 2023-24. The application along with attested photocopies of all documents must be submitted in soft & hard copies so as to reach to Director Instructions, RVSKVV, Gwalior latest by **28/02/2024 at 5:00 PM** by Speed post/Registered post. The format of blank application form, essential qualifications and other relevant information is available on University website **www.rvskvv.net**, which can be downloaded & used for application.

Director Instructions, RVSKVV, Gwalior

R-49457/2024

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, भदभदा रोड, संभाग क्रमांक-02, भोपाल

Mobile No. 9425601534, ई-मेल : bhopaldivision2@gmail.com

क्र.- मप्रपुआअविनि/74/पयं/भोपाल-02/तशा/24 भोपाल, दि. 02.02.24

प्रेस विज्ञप्ति

''जिला नीमच, नरसिंहगढ़, भोपाल, टीकमगढ़, सीहोर, देवास, राजगढ़, खण्डवा एवं शाजापुर में मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर हेतु सेंसर डोर को प्रदाय एवं स्थापित करने के कार्य हेतु निविदा क्रमांक-21/2023-24 ऑनलाइन निविदा क्रमांक-MPPHCL/TENDER No- 2024_MPPHC_330085_1 आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 12.02.2024 समय 5.00 बजे तक ऑनलाइन से खरीदे जा सकते हैं, विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/113603/2024 R-49458/2024 परियोजना यंत्री

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(An Agency of Panchayat & Rural Dev. Deptt. Govt. of M.P.)

5th Floor, Block-II, Paryawas Bhawan, Bhopal–462011 (M.P.)

(GST No. 23AAATM9054A3ZX)

No./2000/22/D-12/MPRRDA/2024 Bhopal, Dated : 07.02.2024

NOTICE INVITING TENDER NO. 1171

Deposit Work (DW)

Online Tenders for Construction of Rural Roads/CDs with 5 years maintenance are invited on the E-Procurement System portal **https://www.mptenders.gov.in** as detailed below :

- **Table 1. : Name of Work : Deposit Work (DW) (MPRRDA SSR : 01.09.2017)**

S.No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
1.	Damoh	1	11926576.00

- **Table 2. : Name of Work : Deposit Work (DW-Part) (MPRRDA SSR : 05.11.2019)**

S.No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
1.	Singrauli	1	65434000.00

1. Tender document can be purchased and submitted only Online from the above website from **09.02.2024 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document for construction & maintenance of rural roads/Bridges Sept. 2017 on the above-mentioned portal and concerned PIU.

M.P. Madhyam/113668/2024 CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)

'मेरी सड़क' एप डाउनलोड कर, फीडबैक देकर राष्ट्र के विकास में सहयोग दें।

R-49464/2024

म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, पुलिस लाइन, रीवा (म.प्र.)

मोबाइल नं. : 9425601556/9340714903

प्रेस-विज्ञप्ति

संभाग रीवा के अंतर्गत नवगठित जिला मैहर में कम्यूनिकेशन सेंटर का निर्माण कार्य एवं नवगठित जिला मऊगंज में कम्यूनिकेशन सेंटर का निर्माण कार्य के कार्य हेतु निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 12/2023-24 (ऑनलाइन निविदा क्रमांक **MPPHCL/TENDER No. 2024_MPPHC_330680_1 & 330706** आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा प्रपत्र दिनांक 17.02.2024 समय 17:00 बजे तक ऑनलाइन खरीदे एवं प्रस्तुत किये जा सकते हैं एवं निविदा सूचना व अन्य विवरण **Portal : http://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/113625/2024 R-49462/2024 परियोजना यंत्री

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, रीवा (म.प्र.)

फोन : 9425601556, 9340714903

प्रेस-विज्ञप्ति

संभाग रीवा के अंतर्गत टीकमगढ़ जिले में बाह्य विद्युतीकरण कार्य 30 बिस्तरीय अस्पताल एवं 2एफ, 2जी, 2एच टाइप आवासगृह खरगापुर जिला टीकमगढ़ के कार्य हेतु निविदा क्रमांक 11/2023-24 (ऑनलाइन निविदा क्रमांक MPPHC/ TENDER NO. 2024_MPPHC_ 330457_1) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 12.02.2024 समय 17:00 बजे तक ऑनलाइन खरीदे एवं प्रस्तुत किये जा सकते हैं एवं निविदा सूचना व अन्य विवरण **Portal : http://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/113607/2024 R-49459/2024 परियोजना यंत्री

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)

5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, Bhopal M.P. – 462011

NOTICE INVITING TENDER No. 277/MTN/2024 (BW)

No./1953/22/D-12/NIT-Maint./2024 Bhopal, Dated : 06.02.2024

Online Tenders for the following works are invited on the E-Procurement System portal **https://mptenders.gov.in** as detailed below.

Name of work : Repair/Maintenance of Rural Roads.

1. Name of Work – Post 10 Years (BW)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1	Jabalpur	1	4618000.00

1. Tender document can be purchased only online from the above website from **07.02.2024 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER

M.P. Madhyam/113624/2024 (TENDER)

''मेरी सड़क'' ऐप डाउनलोड कर फीडबैक देकर राष्ट्र के विकास में सहयोग दें।

R-49461/2024

म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्र. 1, भदभदा रोड, भोपाल

क्र./160/तशा/प.यं./2024 दिनांक : 06.02.2024

विज्ञप्ति

इस कार्यालय द्वारा होमगार्ड परिसर जिला भोपाल में **सिविल डिफेंस कार्यालय एवं एस.डी.ई.आर.एफ. बैरक निर्माण कार्य हेतु** ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा क्रमांक 2024_MPPHC_330947_1, **दिनांक 26.02.2024, समय अपरान्ह 17:00 बजे तक** खरीदे जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/113674/2024 R-49465/2024 परियोजना यंत्री

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री संभाग क्र.-02, डी-16, कचनार सिटी, विजय नगर, जबलपुर (म.प्र.) 482002

Email - mpphcjabalpur2@gmail.com

निविदा प्रेस विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, जबलपुर संभाग क्र.-02 के अंतर्गत निविदा क्रमांक 27/2023-24 सी.एम. राइज़ अंतर्गत निर्माण कार्य शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल कंचनपुर, जिला डिण्डौरी में बाह्य विद्युतीकरण का कार्य। (ऑनलाइन निविदा क्र. - 2024_MPPHC_331574) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 23.02.2024 तक खरीद कर सायं 6:00 बजे तक सब्मिट किये जा सकते हैं जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण Portal : **https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं एवं निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही किए जावेंगे पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

म.प्र. माध्यम/113709/2024 R-49467/2024 परियोजना यंत्री

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्या. परियोजना यंत्री, भदभदा रोड संभाग क्र. 03, भोपाल-462003

मोबा. : 9425601545, ई-मेल : mpphidcbpl3@gmail.com

क्र. मप्रपुआअविनि/136/पयं/भोपाल-03/तशा/2024

भोपाल, दिनांक : 09.02.2024

प्रेस विज्ञप्ति

भोपाल संभाग-3 के अंतर्गत जिला चिकित्सालय, सीहोर का 200 से 300 बिस्तर व 50 बिस्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ तल Critical Care Hospital Block में बाह्य विद्युतीकरण कार्य 33 KV, 33/0.4, 630x2 KVA ट्रांसफार्मर सबस्टेशन शिरोपरी लाइन का कार्य हेतु निविदा क्रमांक-13/2023-24 (ऑनलाइन निविदा क्रमांक - 2024_MPPHC_331875) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 26.02.2024 सायं 5:00 बजे तक** ऑनलाइन खरीदे एवं दस्तावेज अपलोड किये जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/113712/2024 R-49469/2024 परियोजना यंत्री

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री संभाग क्रमांक-01, कार्यालय भवन 1558 गोरखपुर थाने के पीछे, ऋषि काटेज, रतन कालोनी कटंगा, जबलपुर (म.प्र.), पिनकोड-482002, (म.प्र.), फोन नं. : 0761-4927201

E-mail : mpphcjabalpur@gmail.com

निविदा विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, जबलपुर संभाग क्र.-01 के अंतर्गत नवगठित जिला - पाढुर्ना में कम्यूनिकेशन सेन्टर के निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक-29 वर्ष 2023-24 (ऑनलाइन निविदा क्र. 2024_MPPHC_330594_1) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 19.02.2024 तक खरीदकर सायं 17:00 बजे तक** सबमिट किये जा सकते हैं जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं एवं निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही किए जावेंगे। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

म.प्र. माध्यम/113619/2024 R-49460/2024 परियोजना यंत्री

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)

5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, Bhopal M.P. – 462011

NOTICE INVITING TENDER FOR SQC CONSULTANCY (E-PROCUREMENT NOTICE)

No. 1978 /22/D-12/SQC /MPRRDA/2024 Bhopal, Dated : 06.02.2024

Online bids are invited from the consultants fulfilling the required qualification criteria for Supervision and Quality Control Consultancy of Rural Roads being constructed under PMGSY-III & Other Works for the following districts.

- **No. of Packages -** 12
  Name of Districts/PIU - Mandla, Anuppur, Balaghat-1 & 2, Dindori, Datia, Jabalpur-1 & 2, Harda, Narsinghpur, Shahdol, Shivpuri-1 & 2, Sidhi & Sheopur.
- Cost of Bid Document, Bid Security (EMD) and service charges as appearing on e-procurement portal are to be paid simultaneously through Debit Card/Credit Card/ Internet Banking or system generated challan. For detailed procedure of online payment of EMD and submission of affidavit please refer condition number 2 of detailed NIT.

1. RFP document may be seen, downloaded and purchased from our e-procurement website **https://mptenders.gov.in** from 17:30 hrs on **08.02.2024.**
2. Last date of Submission of bid is **date 26.02.2024 upto 17.00 hrs.**

Other details & conditions may be seen in the detailed NIT, Tender document for SQC of Roads and Bridge works August, 2020 (Updated upto 28.06.2021) on our Website **http://mptenders.gov.in.**

CHIEF GENERAL MANAGER

M.P. Madhyam/113637/2024 R-49463/2024 (TENDER)

जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था

35 श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

E-mail : tribho@nic.in, Ph. : 0755-2661126/2661375

पत्र क्रमांक/स्था./विज्ञप्ति क्र./1821 भोपाल, दिनांक : 09.02.2024

विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था, मध्यप्रदेश की जनजातियों पर मानवशास्त्रीय शोध कार्य, मूल्यांकन कार्य एवं जनजाति संस्कृति का संरक्षण तथा संवर्धन व विभिन्न विकास विभागों, राजस्व व पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण आदि प्रदान करने का कार्य करती है। इस संस्था में जनजातीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का छायांकन, डॉक्यूमेंटेशन, संग्रहालय का संरक्षण व संवर्धन किया जाता है, साथ ही जनजातीय बोली एवं भाषा का संरक्षण संवर्धन भी संस्था द्वारा किया जाता है।

वर्तमान में संस्था में अनुसंधान अधिकारी प्रथम श्रेणी, सहायक अनुसंधान अधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं अनुसंधान सहायक के निम्न अनुसार पद रिक्त हैं: -

1. **अनुसंधान अधिकारी** वेतनमान-15600-39100+6600 ग्रेड-पे (प्रथम श्रेणी)
2. **सहायक अनुसंधान अधिकारी** वेतनमान-15600-39100+5400 ग्रेड-पे (द्वितीय श्रेणी)
3. **अनुसंधान सहायक** वेतनमान- 9300-34800+2800 ग्रेड-पे (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक)

उपरोक्त पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार, पर शासन के विभिन्न विभागों से वांछनीय अर्हताधारी अधिकारियों एवं शासकीय सेवकों से भरे जाने हेतु एतद् द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र संस्था की वेबसाइट **tridi.mp.gov.in** अथवा कार्यालय से कार्यालयीन समय में आवेदन का प्रारूप प्राप्त कर उपलब्ध कराए गए प्रारूप अनुसार **प्रकाशन दिनांक से पन्द्रह दिवस के भीतर** तक आवश्यक सह-पत्रों एवं योग्यताओं तथा नियोक्ता की अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

म.प्र. माध्यम/113711/2024 R-49468/2024 अपर आयुक्त

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति के भौगोलिक विस्तार के विशेष संदर्भ में

1. प्रथम बार अनुसूचित जनजाति शब्द का उपयोग लिखित रूप में किस अधिनियम के तहत किया गया?
अ. 1935 अधिनियम
ब. 1919 अधिनियम
स. 1909 अधिनियम
द. 1947 अधिनियम
उत्तर- अ. 1935 अधिनियम

2. 2011 की कुल जनसंख्या के अनुसार मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है?
अ. 1,53,16,784
ब. 15,32,70, 000
स. 15,40,80,09
द. 15,42,80,12
उत्तर- अ. 1,53,16,784 जनसंख्या

3. मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या का जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत है?
अ. 21.01 प्रतिशत
ब. 21.08 प्रतिशत
स. 22 प्रतिशत
द. 25 प्रतिशत
उत्तर- अ. 21.01 प्रतिशत

4. मनसुखा लोकनाट्य संबंधित है?
अ. बघेलखण्ड
ब. बुंदेलखण्ड
स. निमाड़
द. मालवा
उत्तर- अ. बघेलखण्ड

5. मध्यप्रदेश में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला है?
अ. भिण्ड
ब. मुरैना
स. डिण्डोरी
द. टीकमगढ़
उत्तर- अ. भिण्ड

6. मध्यप्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत के आधार पर अधिकतम जनजाति वाला जिला है?
अ. शिवपुरी
ब. धार
स. अलीराजपुर
द. झाबुआ
उत्तर- स. अलीराजपुर

7. चांदी देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है?
अ. परधान
ब. पनिका
स. पारधी
द. बैगा
उत्तर- ब. पनिका

8. मध्यप्रदेश में कुल जनजाति समूह के प्रकार कितने हैं?
अ. 46
ब. 43
स. 40
द. 42
उत्तर- ब. 43

9. मध्यप्रदेश में सबसे बड़ा जनजाति समूह है?
अ. भील
ब. गोंड
स. बैगा
द. सहरिया
उत्तर- अ. भील

10. मध्यप्रदेश में सबसे छोटा जनजाति समूह है?
अ. भारिया
ब. सहरिया
स. बंजारा
द. कमार
उत्तर- द. कमार

11. मध्यप्रदेश की जनजाति में भील जनजाति का प्रतिशत कितना है?
अ. 80 प्रतिशत
ब. 60 प्रतिशत
स. 40.29 प्रतिशत
द. 37.7 प्रतिशत
उत्तर- द. 37.7 प्रतिशत

12. मध्यप्रदेश में सौर जनजाति पाई जाती है?
अ. सागर
ब. झाबुआ
स. बालाघाट
द. छिंदवाड़ा
उत्तर- अ. सागर

13. मध्यप्रदेश में पाओ जनजाति पाई जाती है?
अ. शहडोल
ब. अनुपपुर
स. बैतूल
द. अ तथा ब दोनों
उत्तर- द. अ तथा ब दोनों

14. मध्यप्रदेश में मवासी जनजाति कहां पाई जाती है?
अ. छिंदवाड़ा
ब. बैतूल
स. श्योपुर
द. अ तथा ब दोनों
उत्तर- द. अ तथा ब दोनों

15. 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में भील जनजाति की संख्या कुल कितनी है?
अ. 59,93,921
ब. 50,93,124
स. 40,10,028
द. 60,15,125
उत्तर- अ. 59,93,921

16. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में जनजाति की जनसंख्या देश की कुल जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है?
अ. 14.69 प्रतिशत
ब. 15.28 प्रतिशत
स. 18.21 प्रतिशत
द. 16.52 प्रतिशत
उत्तर- अ. 14.69 प्रतिशत

17. 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत की दृष्टि से मध्यप्रदेश देश में किस स्थान पर है?
अ. प्रथम स्थान
ब. तृतीय स्थान
स. 13वां स्थान
द. 5वां स्थान
उत्तर- स. 13वां स्थान

18. मध्यप्रदेश में कुल जनजाति जनसंख्या का कितने प्रतिशत गांवों में निवास करती है?
अ. 93.2 प्रतिशत
ब. 50 प्रतिशत
स. 60.24 प्रतिशत
द. 75.28 प्रतिशत
उत्तर- अ. 93.2 प्रतिशत

19. मध्यप्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति का लिंगानुपात है?
अ. 938
ब. 984
स. 975
द. 981
उत्तर- ब. 984

20. मुस्लिम धर्म अपनाने वाले भील जनजाति को कहते हैं?
अ. तड़वी
ब. पटीयता
स. दोनों
द. उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर- अ. तड़वी

21. मध्यप्रेदश में मांझी जनजाति कहां पाई पाती है?
अ. ग्वालियर
ब. जबलपुर
स. कटनी
द. उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर- अ. ग्वालियर

22. भीलों के देवता माने जाते हैं?
अ. राजपंथा
ब. बुठादेव
स. पीपल
द. बारादेव
उत्तर- अ. राजपंथा

23. भीलों के निवास स्थल को कहते हैं?
अ. फाल्या
ब. कु
स. कोडन
द. उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर- अ. फाल्या

24. भीलों का प्रणय पर्व है?
अ. भगोरिया
ब. गोल गधेड़ो
स. अ तथा ब दोनों
द. उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर- अ. भगोरिया

25. गोंड जनजाति की मुख्य भाषा कौनसी है?
अ. गोंडी
ब. डोरली
स. अ तथा ब दोनों
द. उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर- स. अ तथा ब दोनों

26. गोंड जनजाति के प्रमुख देवता हैं?
अ. दुल्हादेव
ब. नारायण देव
स. बाग देव
द. बारादेव
उत्तर- अ. दुल्हादेव

27. गोंड जनजाति की खेती पद्धति को कहते हैं?
अ. बारी
ब. बेवार
स. पोदो
द. चिमाता
उत्तर- अ. बारी

28. बैगा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है?
अ. पुरोहित
ब. वैध
स. समूह
द. उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर- अ. पुरोहित

29. बैगा जनजाति में मुखिया को क्या कहते हैं?
अ. पुरोहित
ब. पंच
स. मुखिया
द. मुकद्दम
उत्तर- द. मुकद्दम

30. 'भारिया' शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है?
अ. जंगलों का जंगली
ब. ज्ञान नहीं
स. मनुष्यों का समूह
द. पशुओं का समूह
उत्तर- ब. ज्ञान नहीं

31. परधान किस जनजाति की उप जनजाति है?
अ. बैगा
ब. सहरिया
स. भारिया
द. गोंड
उत्तर- द. गोंड

32. बुनकर जनजाति किसे कहते हैं?
अ. पनिका
ब. पारधी
स. भारिया
द. मेवाट
उत्तर- अ. पनिका

33. किस जनजाति समूह की स्त्रियां टोना टोटका करने में दक्ष होती है?
अ. पनिका
ब. खैरवार
स. बंजारा
द. भारिया
उत्तर- ब. खैरवार

34. अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता हैं?
अ. लौहासुर
ब. भस्मासुर
स. राजापंथा
द. बुठादेव
उत्तर- अ. लौहासुर

35. मध्यप्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी?
अ. 1956
ब. 1960
स. 1980
द. 1964
उत्तर- द. 1964

36. आदिम जाति कल्याण विभाग का नया नाम क्या है?
अ. जनजातीय कार्य विभाग
ब. जनजातीय कल्याण विभाग
स. जनजातीय विकास विभाग
द. उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर- अ. जनजातीय कार्य विभाग

37. अनुसुचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम कब पारित हुआ?
अ. 1989
ब. 1990
स. 1992
द. 1995
उत्तर- अ. 1989

38. अबुझमाड़िया जनजाति मध्यप्रदेश के किस जिले में पायी जाती है?
अ. खंडवा
ब. इन्दौर
स. रीवा
द. छिंदवाड़ा
उत्तर- द. छिंदवाड़ा

39. अनुसुचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 प्रवृत हुआ?
अ. 1 जनवरी, 1990
ब. 30 जनवरी, 1990
स. 11 सितंबर, 1989
द. 12 सितंबर, 1989
उत्तर- स. 11 सितंबर, 1989

40. भारिया जाति किस जिले में पाई जाती है?
अ. श्योपुर
ब. रतलाम
स. छिंदवाड़ा
द. बैतूल
उत्तर- स. छिंदवाड़ा

41. निम्न में से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है?
अ. खासी
ब. भिलाला
स. कोरकु
द. कोल
उत्तर- ब. भिलाला

42. भारत का सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है?
अ. मध्यप्रदेश
ब. उड़ीसा
स. उत्तरप्रदेश
द. बिहार
उत्तर- अ. मध्यप्रदेश

43. भगोरिया उत्सव मुख्य रूप से कहां मनाया जाता है?
अ. बुंदेलखण्ड
ब. पश्चिम निमाड़
स. बघेलखण्ड
द. मालवा
उत्तर- ब. पश्चिम निमाड़

44. लारुकाज पर्व किस जनजाति से संबंधित है?
अ. गोंड
ब. भारिया
स. बैगा
द. कोरकु
उत्तर- अ. गोंड

45. दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में सर्वाधिक पाई जाती है?
अ. गोंड
ब. बैगा
स. कोल
द. सहरिया
उत्तर- अ. गोंड

46. थापटी नृत्य संबंधित है?
अ. कोरकु
ब. भील
स. सौर
द. परधान
उत्तर- अ. कोरकु

47. परधौनी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है?
अ. बैगा
ब. भारिया
स. गोंड
द. कोरकु
उत्तर- अ. बैगा

- श्रद्धा सुमन
(लेखिका, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी विषयों पर लेखन करती हैं)

मध्यप्रदेश में रोज़गार और स्व-रोज़गार के लिए संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं

किसी भी देश की समृद्धि तभी संभव है जब वहाँ के लोग संपन्न बनें। इसके लिए जरूरी है लोगों को रोज़गार मिले और वे स्व-रोज़गार से जुड़ें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। उनका लक्ष्य है देश के प्रत्येक व्यक्ति को कार्य मिले। एक साथ सबका विकास हो, देशवासियों की आत्मनिर्भरता के लिए सरकार द्वारा रोज़गार और स्व-रोज़गार की विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। 'रोज़गार और निर्माण' के इस अंक में केन्द्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न रोज़गारमूलक योजनाओं को प्रकाशित किया जा रहा है :-

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (केंद्र सरकार)

उद्देश्य- केन्द्र सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत छोटे उद्योगों को लोन उपलब्ध कराया जाता है। जिससे आसानी से छोटे उद्योगों की शुरुआत हो सके और देश में रोज़गार के अवसर बढ़ें।

इस तरह से दिया जाता है मुद्रा लोन

शिशु - शिशु लोन के अंतर्गत 50 हजार तक का लोन दिया जाता है।

किशोर - किशोर लोन में 50 हजार से 5 लाख तक के लोन का प्रावधान है।

तरुण - तरुण लोन के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख तक लोन का प्रावधान है।

इन स्थानों से मिलता है मुद्रा लोन

- सरकारी बैंक
- प्राइवेट बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- छोटे फाइनेंस बैंक
- माइक्रो फाइनेंस इंस्टिट्यूशन
- एनबीएफसीज् (नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां)

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (केंद्र सरकार)

उद्देश्य- इस योजना में नये स्व-रोज़गार उद्यमों, परियोजनाओं एवं सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों के सृजन में प्रोत्साहन दिया जाता है। यह योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती है। जिला स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा किया जाता है।

परियोजना सीमा- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है।

शैक्षणिक योग्यता- विनिर्माण क्षेत्र के लिये 10 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये से अधिक की परियोजना लागत के लिए आवेदक न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है।

संपर्क :- योजना पूर्णत: ऑनलाइन प्रणाली पर आधारित है। इच्छुक आवेदक वेबसाइट www.kviconline.gov.in के PMEGP e-portal पर आवेदन कर सकते हैं।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (केंद्र सरकार)

उद्देश्य- केंद्र सरकार द्वारा संचालित इस योजना में हितग्राहियों को लघु उद्यमिता विकास, स्व-रोज़गार स्थापना हेतु वित्तीय पोषण, उद्यमिता आधारित सेवाएं, तकनीकी एवं बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जाता है।

पात्रता

- हितग्राही शहरी गरीब परिवार का सदस्य हो।
- न्यूनतम आयु 18 वर्ष।
- स्व-सहायता समूह बैंक लिंकेज हेतु समूह की 6 माह की अवधि पूर्ण होना अनिवार्य है। हितग्राही का स्व-सहायता समूह का सदस्य होना अनिवार्य है।

योजना के अंतर्गत लाभ

- व्यक्तिगत हितग्राहियों को अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ऋण।
- समूह ऋण के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण।
- समूह ऋण हेतु न्यूनतम 3 सदस्य।
- **स्व-सहायता समूह बैंक लिंकेज-** स्व-सहायता समूह की कुल बचत का चार गुना तक का ऋण।
- नियमित भुगतान पर महिला हितग्राही को 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान का प्रावधान।
- **अनुदान -** ऋण पर 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर का भुगतान अनुदान के रूप में।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (केंद्र सरकार)

उद्देश्य- केंद्र सरकार द्वारा संचालित आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके साथ ही गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना है। इस योजना का क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाता है।

योजना के अंतर्गत लाभ

- स्व-सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को ब्याज में रियायत के साथ ऋण उपलब्ध कराना तथा समूह के रूप में सभी सदस्यों के लिए आय के स्रोत सृजित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में आय को बढ़ाने हेतु उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध करना तथा प्रशिक्षण के द्वारा उनके व्यवसाय में सहायता प्रदान करना।

प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना (केंद्र सरकार)

उद्देश्य- केन्द्र सरकार द्वारा संचालित इस योजना में रेहड़ी, पटरी से जुड़े लोगों को आर्थिक मदद दी जाती है। आवेदक को क्रमशः 10 हजार, 20 हजार और 50 हजार रुपये तक कार्यशील पूंजी ऋण की सहायता उपलब्ध होती है। इस योजना का क्रियान्वयन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जाता है।

पात्रता

- 24 मार्च, 2020 को एवं इससे पूर्व शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग कर रहे सभी पथ विक्रेता।
- पथ विक्रेता जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग तथा पहचान पत्र है।
- पथ विक्रेता जिनके पास निकाय द्वारा जारी प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।

योजना के अंतर्गत लाभ

- पात्र पथ विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी ऋण 10 हजार, 20 हजार एवं 50 हजार रुपये।
- भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान सहायता 7 प्रतिशत।
- 7 प्रतिशत के अतिरिक्त शेष ब्याज अनुदान राज्य शासन द्वारा देय।
- डिजिटल पेमेन्ट पर कैशबैक का प्रावधान (प्रतिमाह 100 रुपये)

सावित्रीबाई फुले स्वयं सहायता समूह योजना (केंद्र सरकार)

उद्देश्य- इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति की महिलाओं के स्व-सहायता समूह गठित करना। इन समूहों को आय जनित योजनाओं में आवश्यक होने पर प्रशिक्षण देकर स्वरोज़गार के लिये बैंकों की सहायता से वित्तीय सहायता एवं मार्केट आदि की सुविधा उपलब्ध कराना है।

ऋण एवं अनुदान सहायता- इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं का चयन कर उनके स्व-सहायता समूह बनाये जाते हैं। इन समूहों को इस योजना के तहत बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराबाई जाती है। योजना में प्रति सदस्य अधिकतम राशि 2 लाख ऋण तथा 10 हजार रुपये अनुदान राशि उपलब्ध की जाती है।

पात्रता

- समूह की महिला सदस्य अनुसूचित जाति वर्ग से हो।
- सदस्य की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- समूह के सदस्य की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रुपये 55 हजार तथा ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 40 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रमाण-पत्रधारी योजना का लाभ लेने के लिये पात्र हैं।
- सदस्य मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- एक परिवार से एक ही सदस्य इस योजना का पात्र होगा।

आवेदन- योजना के अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति या संबंधित क्षेत्र के स्वयंसेवी संगठन संबंधित जिले में अनौपचारिक रूप से स्व-सहायता समूहों का गठन कर उनके मध्य आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तावित करवाते हैं। समूह की ओर से उनके अध्यक्ष एवं सचिव के माध्यम से तथा सदस्यों की सहमति से योजना के लिये निर्धारित प्रारूप में समस्त सहपत्रों एवं प्रमाण-पत्रों सहित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति (संबंधित जिला) को प्रस्तुत करते हैं।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (राज्य सरकार)

उद्देश्य- मध्यप्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वयं का स्व-रोज़गार स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत 10 जनवरी 2022 से हुई। इस योजना का क्रियान्वयन एमएसएमई विभाग द्वारा किया जाता है।

पात्रता

- आयु 18 से 45 वर्ष।
- न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण।
- परिवार की वार्षिक आय रुपये 12 लाख से अधिक न हो।
- आवेदक वर्तमान में किसी अन्य स्व-रोज़गार योजना का हितग्राही न हो और किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर भी नहीं होना चाहिए।

आवेदक को मिलने वाली आर्थिक मदद

- औद्योगिक विनिर्माण इकाई के लिए 50 हजार से 50 लाख रुपये तक।
- सेवा एवं खुदरा व्यवसाय के लिए 50 हजार से 25 लाख तक की आर्थिक मदद।

सहायता

- 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकत 7 वर्षों तक त्रैमासिक आधार पर।
- ऋण गारंटी शुल्क, प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्षों तक प्रतिपूर्ति।

सपंर्क- एमएसएमई विभाग SAMAST पोर्टल http://samast.mponline.gov.in

संत रविदास स्वरोज़गार योजना (राज्य सरकार)

उद्देश्य- प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोज़गार से जोड़ने के उद्देश्य से संत रविदास स्व-रोज़गार योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना का क्रियान्वयन म.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा किया जाता है।

पात्रता

- आयु 18 से 45 वर्ष।
- न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण।
- परिवार की वार्षिक आय रुपये 12 लाख से अधिक न हो।
- आवेदक वर्तमान में किसी अन्य स्व-रोज़गार योजना का हितग्राही न हो और किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर भी नहीं होना चाहिए।

आवेदक को मिलने वाली आर्थिक मदद

- औद्योगिक विनिर्माण इकाई के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपये तक।
- सेवा एवं खुदरा व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपये तक।

सहायता

- 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक त्रैमासिक आधार पर।
- ऋण गारंटी शुल्क, प्रचलित दर पर, अधिकतम 7 वर्षों तक प्रतिपूर्ति।

संपर्क :- म.प्र. अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम SAMAST पोर्टल (https://samast.mponline.gov.in)

डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना (राज्य सरकार)

उद्देश्य- मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्वरोज़गार से जोड़ने के उद्देश्य से डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना का क्रियान्वयन म.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा किया जाता है।

पात्रता

- आयु 18 से 55 वर्ष।
- आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो।
- आवेदक आयकरदाता न हो।
- आवेदक वर्तमान में किसी अन्य स्वरोज़गार योजना का हितग्राही न हो और किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर भी नहीं होना चाहिए।

आवेदक को मिलने वाली आर्थिक मदद

सभी प्रकार के स्व-रोज़गार हेतु रुपये 10 हजार से 1 लाख तक की परियोजनाएं।

सहायता

- 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक।
- त्रैमासिक आधार पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा ऋण गारंटी फीस।

संपर्क :- म.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम SAMAST पोर्टल (https://samast.mponline.gov.in)

भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोज़गार योजना (राज्य सरकार)

उद्देश्य- प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोज़गार से जोड़ने के उद्देश्य से भगवान बिरसा मुण्डा स्व-रोज़गार योजना प्रारंभ की गयी है। यह योजना म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित की जाती है।

पात्रता

- आयु 18 से 45 वर्ष।
- न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण।
- परिवार की वार्षिक आय रुपये 12 लाख से अधिक न हो।
- आवेदक वर्तमान में किसी अन्य स्वरोज़गार योजना का हितग्राही न हो और किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर भी नहीं होना चाहिए।

आवेदक को मिलने वाली आर्थिक मदद

- औद्योगिक विनिर्माण इकाई के लिये 1 लाख से 50 लाख रुपये तक की मदद।
- सेवा एवं खुदरा व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपये तक की मदद।

सहायता

- 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक त्रैमासिक आधार पर।
- ऋण गारंटी शुल्क, प्रचलित दर पर, अधिकतम 7 वर्षों तक प्रतिपूर्ति।

संपर्क :- म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम SAMAST पोर्टल (https://samast.mponline.gov.in)

टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना (राज्य सरकार)

उद्देश्य- प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोज़गार से जोड़ने के उद्देश्य से टंट्या मामा आर्थिक कल्याण

(शेष अगले पृष्ठ पर)

मध्यप्रदेश में रोज़गार दिवस : स्वरोज़गार और रोज़गार का उत्सव

मध्यप्रदेश में रोज़गार दिवस एक ऐसा आयोजन है जो रोज़गार का उत्सव बन गया है। यह आयोजन रोज़गार और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। इसमें लोगों तक रोज़गार पहुंचाया जाता है, उन्हें स्वरोज़गार से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा आयोजित यह दिवस एक छतरी की तरह है, जिसके नीचे लगभग 17 रोज़गार मूलक योजनाओं से हितग्राहियों को सीधे जोड़ा जाता है। मध्यप्रदेश सरकार की यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत निर्माण संकल्प की एक मजबूत कड़ी है।

प्रधानमंत्री का विज़न है वर्ष 2047 तक भारत को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ विकसित देश बनाना। उसी दिशा में आत्मनिर्भर भारत निर्माण और स्वावलम्बन के लिए कार्य किया जा रहा है। भारत स्वावलम्बी तभी बनेगा जब हर व्यक्ति स्वावलम्बी होगा, हरेक के हाथ में काम होगा।

मध्यप्रदेश में प्रदेशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोज़गार से जुड़ी लगभग 17 से अधिक प्रभावी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि आत्मनिर्भर विकसित मध्यप्रदेश का निर्माण हो सके। इन योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन के लिए नियमित रोज़गार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दिन विभिन्न विभागों द्वारा रोज़गार और स्व-रोज़गार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को एक अम्ब्रेला के नीचे हितग्राही तक पहुंचाया जाता है। रोज़गार दिवस आयोजन का मुख्य उद्देश्य शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ स्थानीय स्तर तक पहुंचाना और युवाओं को बैंक से मिलने वाले ऋण और अनुदान की कार्यवाही करना है।

रोज़गार दिवस में किन योजनाओं को शामिल किया जाता है

रोज़गार दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, संत रविदास स्वरोज़गार योजना, भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोज़गार योजना, डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना, सावित्री बाई फुले स्व-सहायता योजना, मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तू और अर्धघुमन्तू स्वरोज़गार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम, स्वरोज़गार योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि योजनाओं के हितग्राही सम्मिलित एवं लाभान्वित होते हैं।

12वां रोज़गार दिवस कार्यक्रम

विगत दिनों 1 फरवरी, 2024 को मुरैना जिले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में रोज़गार दिवस का आयोजन किया गया। इसी दिन प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय रोज़गार दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्तमान सरकार के आने के बाद लगभग 7 लाख से अधिक लोगों को लगभग 50 हजार करोड़ का ऋण विभिन्न बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के माध्यम से प्रदान किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री द्वारा मंच से कुछ चयनित हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किये गये तथा अन्य जिलों के हितग्राहियों से संवाद किया गया।

रोज़गार दिवस का महत्व

रोज़गार दिवस मुख्यतः युवाओं को रोज़गार प्राप्त करने का त्वरित और सक्रिय मंच है। नियमित रूप से आयोजित रोज़गार दिवस में जहां हितग्राहियों तक रोज़गार से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी पहुंचती है। वहीं लोग योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त कर अपना रोज़गार स्थापित कर सकते हैं। रोज़गार दिवस पर विभिन्न स्वरोज़गार योजनाओं में बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त कर रहे युवाओं को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाता है, उनसे संवाद किया जाता है। इससे वे प्रोत्साहित होते हैं तथा अन्य युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने की प्रेरणा मिलती है।

कब से शुरू हुआ रोज़गार दिवस कार्यक्रम

स्वामी विवेकानंद जयंती तथा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी, 2022 को पहली बार प्रदेश स्तर पर रोज़गार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद समय-समय पर रोज़गार दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन आयोजनों में अब तक 12 रोज़गार दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। जिसमें 65 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोज़गार के लिए लगभग 45 हजार करोड़ से अधिक का ऋण वितरित किया गया है।

तीन वर्षों में आयोजित रोज़गार दिवस कार्यक्रमों का विवरण

वर्ष 2021-22 में 12 जनवरी, 2022 को भोपाल, 25 फरवरी, 2022 को शहडोल, 30 मार्च, 2022 को रीवा में आयोजित रोज़गार दिवस कार्यक्रम में कुल 13 लाख 63 हजार 120 हितग्राहियों को 7698.87 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। वर्ष 2022-23 में 27 अगस्त, 2022 को इंदौर, 29 सितंबर, 2022 को सीहोर के बुधनी, 4 नवंबर, 2022 को धार जिले के पीथमपुर, 23 फरवरी, 2023 को उज्जैन जिले के महिदपुर और 24 मार्च, 2023 को नीमच में हुए रोज़गार दिवस कार्यक्रम में 30 लाख 64 हजार 235 हितग्राहियों को 22777.05 करोड़ रुपये की राशि का लाभ दिया गया। इसी क्रम में वर्ष 2023-24 में 24 मई, 2023 को उमरिया, 24 अगस्त, 2023 को छिंदवाड़ा, 22 सितंबर, 2023 को उज्जैन और 01 फरवरी, 2024 को मुरैना में आयोजित रोज़गार दिवस कार्यक्रम में 20 लाख 88 हजार 966 हितग्राहियों को 14647.10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

विगत एक वर्ष में विभिन्न स्वरोज़गार योजनाओं की स्थिति

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो समस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा चालाई जा रही है इसमें 2454343 लोगों को 1748456 लाख का ऋण प्रदान किया गया।

पंचायत एवं ग्रामीण विभाग द्वारा संचालित **मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना** में 3580 लोगों को 358.00 लाख का ऋण प्रदान किया गया तथा **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (समूह)** में 128858 लोगों को 237159 लाख का ऋण प्रदान किया गया। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित **प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना** में 399154 लोगों को 67128 लाख का ऋण प्रदान किया गया, **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (व्यक्तिगत)** में 4331 लोगों को 5958.92 लाख का ऋण प्रदान किया गया। **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (समूह)** में 239 लोगों को 577.52 लाख का ऋण प्रदान किया गया, **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (क्रेडिट लिंकेज)** में 3105 लोगों को 6935.63 लाख का ऋण प्रदान किया गया। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (भारत सरकार),एमएसएमई विभाग एवं कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित **प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम** में 3017 लोगों को 29420.01 लाख का ऋण प्रदान किया गया। एमएसएमई विभाग द्वारा संचालित **मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना** में 8992 लोगों को 59018.57 लाख का ऋण प्रदान किया गया। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित **संत रविदास स्वरोज़गार योजना** में 924 लोगों को 4031.99 लाख का ऋण प्रदान किया गया। **डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना** में 1005 लोगों को 363.60 लाख का ऋण प्रदान किया गया एवं **सावित्री बाई फुले स्व-सहायता योजना** में 1811 लोगों को 538.80 लाख का ऋण प्रदान किया गया।

अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित **भगवान बिरसा मुंडा स्वरोज़गार योजना में 544 लोगों को 2119.85 लाख** का ऋण प्रदान किया गया एवं **टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना** में 481 लोगों को 261.85 लाख का ऋण प्रदान किया गया। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित **मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना** में 315 लोगों को 1751.84 लाख का ऋण प्रदान किया गया एवं **मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोज़गार योजना** में 149 लोगों को 61.97 लाख का ऋण प्रदान किया गया। विमुक्त घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तु कल्याण विभाग द्वारा संचालित **मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तु स्वरोज़गार योजना** में 68 लोगों को 51.90 लाख का ऋण प्रदान किया गया है।

रोज़गार दिवस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को रोज़गार देने और प्रदेशवासियों को स्वावलंबी बनाने का अभूतपूर्व प्रयास किया जा रहा है। रोज़गार और स्व-रोज़गार योजनाओं का लाभ लेकर प्रदेशवासी स्वावलंबन के साथ आत्मनिर्भर हो रहे हैं। प्रदेश के लाखों युवा अब रोज़गार देने वाले बन गये हैं। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत निर्माण के स्वप्न को पूर्ण करने की दिशा में अभूतपूर्व कदम है।

- देवेन्द्र गोरे
(लेखक, सम-सामयिक विषयों पर लेखन करते हैं)

(पिछले पृष्ठ का शेष)

योजना प्रारंभ की गयी है। यह योजना मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा चलाई जाती है।

पात्रता

- आयु 18 से 55 वर्ष।
- आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य हो।
- आवेदक आयकरदाता न हो।
- आवेदक वर्तमान में किसी अन्य स्वरोज़गार योजना का हितग्राही न हो और किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर भी नहीं होना चाहिए।

आवेदक को मिलने वाली आर्थिक मदद

स्व-रोज़गार के लिए 10 हजार से 1 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद।

सहायता

- 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक, त्रैमासिक आधार पर

संपर्क :- म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम SAMAST पोर्टल (https://samast.mponline.gov.in)

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना (राज्य सरकार)

उद्देश्य- मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को स्वरोज़गार से जोड़ने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गयी है। यह योजना मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा चलाई जाती है।

पात्रता

- आयु 18 से 40 वर्ष।
- न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।
- परिवार की वार्षिक आय रुपये 12 लाख से अधिक न हो।
- आवेदक वर्तमान में किसी अन्य स्वरोज़गार योजना का हितग्राही न हो और किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर भी नहीं होना चाहिए।

आवेदक को मिलने वाली आर्थिक मदद

- औद्योगिक विनिर्माण इकाई के लिये 1 लाख से 50 लाख रुपये तक की मदद।
- सेवा एवं खुदरा व्यवसाय के लिये 1 लाख से 25 लाख रुपये तक की मदद।

सहायता

- 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक त्रैमासिक आधार पर।
- ऋण गारंटी शुल्क, प्रचलित दर पर, अधिकतम 7 वर्षों तक प्रतिपूर्ति।

संपर्क :- म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम SAMAST पोर्टल (https://samast.mponline.gov.in)

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोज़गार योजना (राज्य सरकार)

उद्देश्य- मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को स्वरोज़गार से जोड़ने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गयी है। यह योजना मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा चलाई जाती है।

पात्रता

- आयु 18 से 55 वर्ष।
- आवेदक पिछड़ा वर्ग अथवा अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य हो।
- आवेदक आयकरदाता न हो।
- आवेदक वर्तमान में किसी अन्य स्वरोज़गार योजना का हितग्राही न हो और किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर भी नहीं होना चाहिए।

आवेदक को मिलने वाली आर्थिक मदद

- स्व-रोज़गार के लिए 10 हजार से 1 लाख रुपये तक की योजनाओं में प्रोत्साहन।

सहायता

- 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक, त्रैमासिक आधार पर।

संपर्क :- म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम SAMAST पोर्टल (https://samast.mponline.gov.in)

मुख्यमंत्री विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु स्वरोज़गार योजना (राज्य सरकार)

उद्देश्य- प्रदेश के विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदाय के युवाओं को स्वरोज़गार से जोड़ने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना का संचालन मध्यप्रदेश विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण विभाग तथा अभिकरण द्वारा किया जाता है।

पात्रता

- आयु 18 से 55 वर्ष।
- आवेदक विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदाय का सदस्य हो। व्यक्तिगत तथा स्व-सहायता समूह के प्रकरण मान्य होंगे।
- शैक्षणिक योग्यता विभाग द्वारा संचालित योजना में कोई बंधन नहीं तथा अभिकरण द्वारा संचालित योजना में न्यूनतम आईटीआई पास।
- आवेदक आयकरदाता न हो।
- आवेदक वर्तमान में किसी अन्य स्वरोज़गार योजना का हितग्राही न हो और किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर भी नहीं होना चाहिए।

परियोजना का लाभ

- विभाग द्वारा क्रियान्वित योजना में व्यक्तिमूलक प्रकरण में अधिकतम परियोजना लागत 1 लाख तथा समूह के प्रकरण में अधिकतम परियोजना लागत 10 लाख।
- अभिकरण द्वारा संचालित योजना में व्यक्तिमूलक प्रकरण के लिये अधिकतम परियोजना लागत 2 लाख रुपये।

अनुदान सहायता

विभाग के माध्यम से संचालित योजना में

- प्रथम ऋण पर परियोजना लागत की 25 प्रतिशत अनुदान सहायता (व्यक्तिमूलक के लिए अधिकतम 20 हजार तथा समूह प्रकरण में अधिकतम 2 लाख)।
- द्वितीय ऋण पर परियोजना लागत की 20 प्रतिशत अनुदान सहायता (व्यक्तिमूलक के लिए अधिकतम 15 हजार एवं समूह प्रकरण में अधिकतम 1.5 लाख)।
- ब्याज दर पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलता है।

अभिकरण के माध्यम से संचालित योजना में

- प्रथम ऋण पर परियोजना लागत की 25 प्रतिशत अनुदान सहायता।
- द्वितीय ऋण पर परियोजना लागत की 20 प्रतिशत अनुदान सहायता।
- ब्याज दर पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान।

संपर्क :- म.प्र. विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण विभाग तथा अभिकरण, SAMAST पोर्टल (https://samast.mponline.gov.in)

- हितेश शर्मा
(लेखक, सम-सामयिक विषयों पर लेखन करते हैं।)

उड़े देश का आम नागरिक

समावेशिता, कनेक्टिविटी और असीमित संभावनाओं का प्रतीक है उड़ान योजना

किसी भी क्षेत्र का समग्र विकास तभी संभव है, जब वहां मूलभूत सुविधाएं और रोज़गार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों और वह देश के प्रमुख शहरों से बेहतर तरीके से जुड़ा हो। साथ ही वहां तेज, सुलभ और किफायती परिवहन व्यवस्था मौजूद हो। आजादी के वर्षों बाद तक इन चीजों पर आवश्यकता अनुसार ध्यान नहीं दिया गया। इसके चलते देश के कई क्षेत्र विकास में पीछे रह गए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता में आते ही क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया। प्रधानमंत्री ने छोटे शहरों से हवाई जहाज उड़ाने और हवाई चप्पल पहनने वाले यानी गरीब, किसान, मजदूर आदि को हवाई जहाज में यात्रा करवाने का लक्ष्य तय किया। इसके लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) शुरू की गई।

130 लाख से अधिक लोगों ने उठाया लाभ

करीब आठ साल पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जो सपना देखा था, वो आज पूरा होता दिख रहा है। उड़ान योजना के तहत पहली फ्लाइट 27 अप्रैल, 2017 को शिमला से नई दिल्ली के लिए रवाना की गई थी। तब से लेकर अब तक 130 लाख से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। इस योजना का उद्देश्य हवाई यात्रा को किफायती और सुलभ बनाना तथा दूर-दराज के क्षेत्रों को जोड़ना है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना - उड़ान को 2016 में राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के तहत लॉन्च किया गया था। यह योजना टियर-2, टियर-3 शहरों में हवाई अड्डों का विकास करके और दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़कर एक मजबूत नेटवर्क तैयार कर रही है। योजना के तहत हवाई अड्डों के विकास के लिए 4500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इनमें से योजना के आरंभ से अब तक 3751 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है। इसके तहत सरकार ने योजना के दौरान 1000 उड़ान मार्गों को चालू करने और उड़ानों के संचालन के लिए 2024 तक देश में 100 अपर्युक्त और कम सेवा वाले हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, जल हवाई अड्डों को कार्यशील और विकसित करने का लक्ष्य रखा है। 517 क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना मार्गों में अब तक 76 हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए परिचालन शुरू कर दिया गया है। जिसमें 9 हेलीपोर्ट और 2 जल हवाई अड्डे शामिल हैं।

किसानों के लिए शुरू की गई कृषि उड़ान योजना

आजादी के वर्षों बाद भी किसान हाशिए पर रहा। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज किसान मुख्यधारा से जुड़ रहा है। खेती लाभ का व्यवसाय बन रही है। किसानों को खेती से और अधिक लाभ दिलाने के लिए अगस्त 2020 में कृषि उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता करना और किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना है। वहीं पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के लिए 27 अक्टूबर, 2021 को कृषि उड़ान योजना 2.0 की घोषणा की गई। इसमें मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तर-पूर्वी राज्यों और जनजातीय क्षेत्रों के जल्द खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के परिवहन पर ध्यान दिया गया। इस योजना में मुख्य रूप से उत्तर-पूर्व, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में 25 हवाई अड्डे और अन्य क्षेत्रों और प्रदेशों में 33 हवाई अड्डे और कुल मिलाकर 58 हवाई अड्डे शामिल किए जा चुके हैं। इस योजना में हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों के आवागमन को सुविधाजनक बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत चयनित हवाई अड्डों पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय मालवाहकों को लैंडिंग शुल्क, पार्किंग शुल्क आदि में छूट प्रदान की जाती है।

उड़ान योजना को मिला प्रधानमंत्री पुरस्कार

नागरिक विमानन मंत्रालय की क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) को नवाचार (सामान्य) श्रेणी के तहत वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया था। यह पुरस्कार लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया गया था। भारत सरकार ने जिलों और संगठनों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को स्वीकार करने, उन्हें पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए इस पुरस्कार को शुरू किया है। पुरस्कार में एक ट्रॉफी, पट्टिका और 10 लाख रुपये दिए जाते हैं। वहीं नागरिक विमानन मंत्रालय की झांकी को 2022 के गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय मंत्रालय की झांकी के रूप में नामित किया गया था। इस झांकी का मुख्य विषय उड़ान योजना थी।

समग्र विकास ने भरी 'उड़ान'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़ संकल्प के चलते देश के दूर-दराज के क्षेत्र आज समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उड़ान योजना के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ी और परिवहन के समय में कमी आई है। इससे दूर दराज के क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। कनेक्टिविटी बढ़ने से निवेश और पर्यटन को बढ़ावा मिला है। कनेक्टिविटी बढ़ने से स्थानीय व्यवसाय, पर्यटन-संबंधी उद्योग और कृषि को लाभ पहुंचा है। उड़ान योजना के कारण ही विमानन क्षेत्र में पायलट, केबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, आतिथ्य, परिवहन और पर्यटन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर बढ़े हैं। बेहतर कनेक्टिविटी का सुदूर क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हवाई परिवहन की उपलब्धता से आपात स्थितियों में बेहतर और तेजी से स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना आसान हो गया है। उड़ान योजना ने दूरदराज के स्थानों को आसानी से सुलभ बनाकर उनकी पर्यटन क्षमता को बढ़ावा दिया है। इससे न केवल इन स्थानों में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है, बल्कि स्थानीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण में भी मदद मिलती है। इस योजना ने शैक्षिक पहुंच को बेहतर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूरदराज के इलाकों के छात्रों को अब बड़े शहरों के शैक्षणिक संस्थानों से बेहतर कनेक्टिविटी मिल गई है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में भौगोलिक बाधा कम हो गई है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान का आदान-प्रदान आसान हुआ है। दूर-दराज के क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराकर यह योजना सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देती है। यह शहरी और ग्रामीण विभाजन को पाटने, संसाधनों और अवसरों के अधिक न्यायसंगत वितरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं बेहतर कनेक्टिविटी वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाती है। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसाय अब बड़े शहरों के बाजारों से आसानी से जुड़ सकते हैं और स्थानीय एवं राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर आर्थिक विकास में योगदान दे सकते हैं।

परिवर्तनकारी पहल

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उड़ान योजना भारत के विमानन क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरी है। इसने हवाई यात्रा की पहुंच और सामर्थ्य को एक नए सिरे से परिभाषित किया है। इसके बहुमुखी लाभ, आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन से लेकर बेहतर स्वास्थ्य सेवा और बेहतर शिक्षा तक पहुंच, समग्र विकास को बढ़ावा देने में इसके महत्व को रेखांकित करते हैं। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की पूरी क्षमता का उपयोग करके भारत खुद को ऐसे भविष्य की ओर ले जा सकता है, जहां प्रत्येक नागरिक, उनकी भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना, देश की प्रगति में निर्बाध रूप से हिस्सा ले सकता है। उड़ान सिर्फ एक योजना नहीं है, यह समावेशिता, कनेक्टिविटी और असीमित संभावनाओं का प्रतीक है।

- निशा त्यागी

(लेखिका, प्रतियोगी परीक्षाओं और समसामयिक मुद्दों पर लेखन करती हैं।)

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये सामान्य ज्ञान - खेल

1. वर्ष 2023 में कौन-सी टीम महिला बिग बैश लीग की चैम्पियन बनी है?
(अ) ब्रिस्बेन हीट्स
(ब) सिडनी सिक्सर्स
(स) एडिलेड स्ट्राइकर्स
(द) पर्थ स्कॉचर्स

2. इनमें से किस देश ने एफआईएच पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्डकप-2023 जीता है?
(अ) नीदरलैंड (ब) जर्मनी
(स) स्पेन (द) ऑस्ट्रेलिया

3. भारत के स्टार खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं?
(अ) टेनिस (ब) एथेलेटिक्स
(स) बिलियर्ड्स (द) हॉकी

4. इनमें से किस खिलाड़ी को आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप-2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था?
(अ) ट्रेविस हेड
(ब) विराट कोहली
(स) मोहम्मद शमी
(द) ग्लैन मैक्सवेल

5. टोक्यो ओलिंपिक में तीरंदाजी में महिला एकल वर्ग में चैम्पियन बनी थीं?
(अ) अन सान
(ब) लूसिला बोआरी
(स) ज्योति सुरेखा वेन्नाम
(द) इनमें से कोई नहीं

6. फीफा फुटबॉल वर्ल्डकप-2022 में किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा गोल किए थे?
(अ) लियोनल मेसी
(ब) रॉबर्ट लेवानडोवस्की
(स) ओलिवियर गिरोड
(द) किलियन एम्बाप्पे

7. आईसीसी ने किस महिला क्रिकेटर को वर्ष 2023 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है?
(अ) एलिस पेरी
(ब) दीप्ति शर्मा
(स) नेट साइवर ब्रंट
(द) एश्ले गार्डनर

8. इनमें से किस रेसर ने अब तक फॉर्मूला-वन चैम्पियनशिप नहीं जीती है?
(अ) लुईस हैमिल्टन
(ब) निको रोसबर्ग
(स) सबेस्टियन वेटल
(द) सर्जियो पेरेज

9. इनमें से किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में दो तिहरे शतक बनाये हैं?
(अ) वीरेंद्र सहवाग
(ब) माइकल क्लार्क
(स) अजहर अली
(द) डेविड वॉर्नर

10. वर्ष 2021 में किस स्पेनिश क्लब ने ला लिगा खिताब जीता है?
(अ) बार्सिलोना
(ब) एटलेटिको मैड्रिड
(स) रियल मैड्रिड
(द) इनमें से कोई नहीं

11. बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं?
(अ) पांच (ब) छह
(स) सात (द) आठ

12. अर्जेंटीना के गोलकीपर इमिलियानो मार्टिनेज किस क्लब के लिए खेलते हैं?
(अ) बायर्न म्युनिख
(ब) एस्टन विला
(स) रियल मैड्रिड
(द) चेल्सी

13. वर्ष 2022 में किस देश ने एटीपी कप टेनिस टूर्नामेंट जीता था?
(अ) सर्बिया (ब) अमेरिका
(स) कनाडा (द) स्विट्जरलैंड

14. वर्ष 2023 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
(अ) 20 (ब) 21
(स) 24 (द) 26

15. किस देश के नाम सबसे ज्यादा बार एफआईएच हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड है?
(अ) ऑस्ट्रेलिया (ब) भारत
(स) नीदरलैंड (द) जर्मनी

16. ओलिंपिक चैम्पियन एथलीट मार्सेल जैकब्स किस देश के धावक हैं?
(अ) अमेरिका (ब) जमैका
(स) इथोपिया (द) इटली

17. वर्ष 2023 में किस खिलाड़ी ने ब्रिटिश ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप जीती थी?
(अ) जॉन रेहम (ब) जेसन डे
(स) ब्रायन हार्मन
(द) इनमें से कोई नहीं

18. इनमें से किस देश ने टी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है?
(अ) नेपाल (ब) अफगानिस्तान
(स) ऑस्ट्रेलिया (द) मलेशिया

19. टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं?
(अ) सी के नायडू
(ब) लाला अमरनाथ
(स) वीनू मांकड़
(द) कपिल देव

20. आईपीएल में शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं?
(अ) सचिन तेंदुलकर
(ब) रोहित शर्मा
(स) मनीष पांडे
(द) गौतम गंभीर

21. एनेट कोंटावेट किस देश की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी हैं?
(अ) फ्रांस (ब) सर्बिया
(स) क्रोएशिया (द) एस्टोनिया

22. इनमें से किस देश में वर्ष 2019 में फीफा महिला वर्ल्डकप आयोजित किया गया था?
(अ) फ्रांस (ब) बेल्जियम
(स) जर्मनी (द) स्पेन

23. वर्ष 2023 में किस खिलाड़ी को डब्ल्यूटीए प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है?
(अ) जेलेना ओस्तोपेंको
(ब) ईगा स्वितेक
(स) आर्यना सबालेंका
(द) इनमें से कोई नहीं

24. इस वर्ष किस देश में विंटर यूथ ओलिंपिक गेम्स आयोजित किए गए हैं?
(अ) कनाडा (ब) स्विटजरलैंड
(स) द. कोरिया (द) डेनमार्क

25. मैनचेस्टर सिटी ने कितनी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है?
(अ) दो बार (ब) चार बार
(स) पांच बार (द) सात बार

उत्तर

1. (स), 2. (ब), 3. (अ), 4. (ब), 5. (अ), 6. (द), 7. (स), 8. (द), 9. (अ), 10. (ब), 11. (अ), 12. (ब), 13. (स), 14. (द), 15. (अ), 16. (द), 17. (स), 18. (अ), 19. (ब), 20. (स), 21. (द), 22. (अ), 23. (ब), 24. (स), 25. (द)

- पुष्पेंद्र कुमार सविता

(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाले विषयों पर लेखन करते हैं।)

पंजाब नेशनल बैंक

पद का नाम – ऑफिसर क्रेडिट, मैनेजर फॉरेक्स, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी
पदों की संख्या - 1025
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 25 फरवरी 2024
वेबसाइट – https://www.pnbindia.in/

नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पद का नाम – जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर, प्रधान निजी सचिव, पर्सनल असिस्टेंट
पदों की संख्या - 136
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 26 फरवरी 2024
वेबसाइट – https://nhidcl.com/

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पद का नाम - अप्रेंटिस (मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक और अन्य ट्रेड्स)
पदों की संख्या - 120
योग्यता - संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास होना चाहिए।
अंतिम तिथि - 22 से 26 फरवरी 2024 तक वॉक इन इंटरव्यू
वेबसाइट - https://www.nmdc.co.in/

राजस्थान लोक सेवा आयोग

पद का नाम – वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान)
पदों की संख्या - 347
योग्यता - संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा। समकक्ष योग्यता के साथ ही डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन प्राप्त किया हो। फाइनल ईयर की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
अंतिम तिथि - 06 मार्च 2024
वेबसाइट - https://rpsc.rajasthan.gov.in/

दक्षिण रेलवे

पद का नाम – अप्रेंटिस
पदों की संख्या - 2860
योग्यता - पदानुसार। आयु 15 वर्ष से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
अंतिम तिथि - 28 फरवरी 2024
वेबसाइट – https://iroams.com/RRCSRApprentice24/recruitmentIndex

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग

पद का नाम – पुलिस सब इंस्पेक्टर, फायर स्टेशन ऑफिसर और प्लाटून कमांडर
पदों की संख्या - 222
योग्यता - किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री। प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा कर चुके और एनसीसी का कम से कम बी सर्टिफिकेट प्राप्त उम्मीदवारों को वरीयता। अनारक्षित पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 167.7 सेमी और महिलाओं की 152 सेमी होनी चाहिए। सीने की माप पुरुष उम्मीदवारों के लिए 78.8 सेमी और महिलाओं के लिए कम से कम 83.8 सेमी है।
अंतिम तिथि - 20 फरवरी 2024
वेबसाइट – https://psc.uk.gov.in/

रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड

पद का नाम – सहायक लोको पायलट
पदों की संख्या - 5696
योग्यता - पदानुसार, उम्मीदवारों की आयु 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
अंतिम तिथि - 19 फरवरी 2024
वेबसाइट – https://rrbcdg.gov.in/

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, भोपाल

पद का नाम - पीजीटी (हिंदी, भूगोल, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, कंप्यूटर साइंस, टीजीटी (अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत एवं सामाजिक अध्ययन) आदि पद।
पदों की संख्या - उल्लेखित नहीं
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 20 फरवरी 2024
वेबसाइट - https://no1bhopal.kvs.ac.in/

पशुपालन प्रबंधन संस्थान, राजस्थान

पद का नाम - केंद्र प्रबंधन अधिकारी, कौशल प्रबंधन अधिकारी, केंद्र प्रबंधन सहायक, कौशल प्रबंधन सहायक, कौशल प्रेरक
पदों की संख्या - 3090
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 17 फरवरी 2024
वेबसाइट - https://pashupalanprabandhan.com

उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन

पद का नाम - असिस्टेंट अकाउंटेंट
पदों की संख्या - 1828
योग्यता – किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री। UPSSSC PET 2023 पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उम्र 21 साल से ज्यादा और 40 साल से कम हो।
अंतिम तिथि - 11 मार्च 2024
वेबसाइट – https://upsssc.gov.in/

एडमिशन अलर्ट

नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरू

पाठ्यक्रम का नाम - 3 वर्षीय एलएलबी (ऑनर्स), पब्लिक पॉलिसी में दो वर्षीय मास्टर प्रोग्राम, लॉ में पीएचडी
योग्यता - पाठ्यक्रमानुसार
अंतिम तिथि - 24 फरवरी 2024
बेवसाइट - https://www.nls.ac.in/admissions/

स्कॉलरशिप अलर्ट

द योविल लिटरेरी प्राइज

किनके लिए - लेखकों के लिए
योग्यता - इसमें 16 वर्ष से अधिक उम्र के लेखक हिस्सा ले सकते हैं।
क्या मिलेगा - पांच कैटेगरी में 1250 यूरो से 250 यूरो तक की राशि दी जाएगी।
अंतिम तिथि - 31 मई 2024
वेबसाइट - www.yeovilprize.co.uk/cometition.html

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित)

प्रशासन में नैतिक तत्व : सत्यनिष्ठा का महत्व और उपयोगिता

प्रशासन शासकीय नीतियों का क्रियान्वयन मात्र नहीं है और न ही केवल लोक सेवकों की आजीविका का साधन है। प्रशासन वास्तव में एक नैतिक कार्य है, जो लोक सेवकों के लिये नैतिकता पर आधारित जनसेवा करने का एक सुअवसर प्रदान करता है।

वर्तमान लोक कल्याणकारी राज्य में प्रशासन मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को स्पर्श करता है। प्रशासन ही वही उपक्रम है, जो जन साधारण के साथ प्रत्यक्ष संवाद कर उनकी समस्याओं और परेशानियों का निराकरण करता है। प्रशासन ही वह कार्य है, जिसके माध्यम से प्रजातांत्रिक मूल्यों को जमीनी स्तर पर मूर्तरूप प्रदान किया जाता है। इसलिये वर्तमान जन कल्याणकारी राज्य में प्रशासन का महत्व अत्याधिक बढ़ गया है। चूंकि लोकतांत्रिक मूल्यों में नैतिकता का होना एक आवश्यक और अनिवार्य गुण है, अत: यह आवश्यक है कि प्रशासन नैतिक तत्वों से परिपूर्ण रहे है।

नैतिक दार्शनिकों एवं प्रशासनिक चिंतकों ने प्रशासन में अनेक प्रकार के नैतिक तत्वों का होना अपरिहार्य बतलाया हैं। सत्यनिष्ठा (Integrity), दयालुता (Kindness), आत्म नियंत्रण (Self Control), धैर्य (Fertitude), समानुभूति (Empathy), परहितवाद (Altruism), सत्यवादिता (Truthfulness), ईमानदारी (Honesty), विश्वास भंग से बचना (Avoiding Breach of Trust), विवेक, आत्मसंयम (Temperance), विनयशीलता (Humility), उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता (Accountability & Transparency), नैतिक तर्क एवं नैतिक दुविधा (Ethical Reasoning & Moral Dilemmas) तथा नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अन्तरात्मा प्रमुख है।

सत्यनिष्ठा

सत्यनिष्ठा प्रशासन का अनिवार्य और आवश्यक नैतिक तत्व है। इसे प्रशासन का बुनियादी मूल्य या सर्वोच्च नैतिक आदर्श माना जा सकता है। सत्यनिष्ठा या सच्चरित्रता को मानव चरित्र की वह नैतिक सदाचारिता कहा जाता है, जहां व्यक्ति स्वयं अपने विवेक से काम करता है।

सत्यनिष्ठा का अंग्रेजी पर्याय Integrity लैटिन शब्द Integer से बना है, जिसका अर्थ होता है- 'सम्पूर्ण' (Complete & Perfect Condition) चैम्बर्स शब्दकोश में इसे अक्षत स्थिति (Unimpaired State) नैतिक स्वच्छता (Righteous Purity) और ईमानदारी (Honesty) के रूप में परिभाषित किया गया है। फादर बुल्के अपने हिन्दी कोश में इसके लिये सत्यनिष्ठा, अक्षतता और सुस्वस्थता शब्दों का प्रयोग करते हैं। हिन्दी भाषा में सत्यनिष्ठा शब्द का प्रयोग निष्कपटता (Sincerity) या धोखेबाजी अथवा असत्य से दूर रहने के रूप में किया गया है।

वस्तुत: सत्यनिष्ठा एक एकीकरण है, जिसमें मन, शरीर और बोलने की प्रक्रिया के साथ-साथ संकल्पों, मानकों, विश्वासों और व्यवहार का मर्म समाहित होता है। अपने व्यापक भावों में सत्यनिष्ठा का अर्थ मुख्यत: ईमानदारी होता है। यह लोकसेवा का एक अतिमहत्वपूर्ण नैतिक तत्व एवं आधारभूत सद्गुण है। एक प्रशासक में सत्यनिष्ठा के नैतिक तत्व का समावेश तभी हो सकता है, जब वह स्वयं झूठ, पूर्वाग्रहों और पारम्परिक आस्था विश्वासों से ऊपर उठकर देखने का प्रयास करे।

प्रशासन में एक नैतिक तत्व के रूप में सत्यनिष्ठा का अर्थ अत्यंत व्यापक है। इसमें दूसरों के साथ व्यवहार में खुलापन व ईमानदारी बरतना, प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना, हित संघर्ष से बचना, संचार प्रक्रिया में ईमानदारी व पारदर्शिता बनाए रखना, स्पष्ट व ईमानदार सुझाव देना तथा नियमों व विनियमों का अनुपालन करना सम्मिलित है। सत्यनिष्ठा लोक सेवकों का प्रथम बुनियादी मूल्य है। सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा लोक सेवक या प्रशासक अपने प्रशासनिक और व्यक्तिगत चरित्र को सत्य में समेट कर सत्य के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी अपनी नैतिकता को नहीं ढूंढ़ता है। एक सत्यनिष्ठ या सच्चरित्र लोकसेवक अपने सार्वजनिक कार्यों का निष्पादन विधि सम्मत और ईमानदारी के साथ करता है और किसी भी परिस्थिति में अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये अपने सार्वजनिक पद का दुरुपयोग नहीं करता है।

प्रशासन में सत्यनिष्ठा की आवश्यकता

जैसा कि हम जानते हैं कि प्रशासन एक नैतिक कार्य है और नैतिक तत्व के रूप में सत्यनिष्ठा प्रशासन का अनिवार्य और प्रथम सद्गुण है। सत्यनिष्ठा अपने आप में एक विशाल महासागर की तरह है, जिसमें प्रशासन के सभी नैतिक, सकारात्मक और अनिवार्य सद्गुण समाहित हैं। लोक सेवकों में सत्यनिष्ठा का होना ही यह प्रदर्शित करता है कि उनमें नैतिक अवगुण नहीं हैं। इस प्रकार सत्यनिष्ठा को प्रशासन के लिये आवश्यक सभी नैतिक सद्गुणों में शीर्ष सद्गुण माना जा सकता है।

सत्यनिष्ठा से लोक सेवकों में आत्म-उत्तरदायित्व व नैतिक स्वायत्तता के साथ नैतिक चरित्र का भी विकास होता है। सत्यनिष्ठा ही वह नैतिक तत्व है, जो लोक सेवकों को नैतिक मान्यताओं का स्वविश्लेषण करने की आवश्यक कुशलता प्रदान करता है। ऐसी कुशलताओं के प्रयोग से ही लोकसेवक अपने आचरण में नैतिक मापदण्डों का प्रयोग करने के लिये प्रतिबद्ध होंगे।

प्रशासन में सत्यनिष्ठा का नैतिक तत्व होने से प्रशासनिक कार्य कुशलता एवं दक्षता में वृद्धि होगी, प्रशासनिक कार्य विधि सम्मत ढंग से संचालित होंगे, भ्रष्टाचार जैसे अनैतिक कार्यों पर विराम लगेगा, लोक सेवक जनता के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य करेंगे, प्रशासनिक नीतियों का क्रियान्वयन यथारूप सुचारु ढंग से किया जा सकेगा, शासन-प्रशासन पर जन साधारण का विश्वास बढ़ेगा और सच्चे अर्थों में लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा का स्वप्न साकार हो सकेगा।

प्रशासन में सत्यनिष्ठा के पतन के कारण

जैसा कि हम जानते हैं कि सत्यनिष्ठा प्रशासन का अनिवार्य नैतिक तत्व है, किन्तु प्रशासनिक तंत्र में इसका निरन्तर पतन हो रहा है, जिसके कारण प्रशासन में अनैतिकता और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। प्रशासन में सत्यनिष्ठा के पतन के प्रमुख कारण इस प्रकार माने जा सकते हैं :-

1. राज्य का बढ़ता आकार :

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक समस्याओं के निवारण, लोककल्याण और विकास के लिये राज्य का विस्तार हुआ। राज्य के बढ़े हुए दायित्वों को वहन करने के लिये प्रशासन के विभिन्न स्तर पर कार्यपालिका एवं प्रशासनिक अधिकारियों को सत्ता एवं स्वविवेकी अधिकार प्रदान किये गये। इन स्वविवेकी शक्तियों ने सत्ता के दुरुपयोग के लिये अनुकूल वातावरण प्रदान किया। जैसा कि लॉर्ड एक्टिन कहते हैं- 'सत्ता भ्रष्ट बनाती है और अत्यधिक सत्ता अत्याधिक भ्रष्ट बनाती है।' इस प्रकार राज्य के बढ़ते आकार तथा सत्ता के दुरुपयोग ने प्रशासन में भ्रष्टाचार जैसे अनैतिक तत्वों को बढ़ावा दिया। वस्तुत: यह प्रशासन में सत्यनिष्ठा के पतन का एक कारण बना।

2. प्रशासनिक कारण :-

प्रशासन में सत्यनिष्ठा के पतन के लिये अनेक प्रशासनिक कारण भी उत्तरदायी हैं, इनमें अवैधानिक भर्ती प्रक्रिया, प्रशासनिक कार्य पद्धति की जटिलता, प्रशासन में खुलेपन एवं पारदर्शिता का अभाव, लालफीताशाही, उत्तरदायित्व की भावना का अभाव एवं लोकसेवाओं को कानून द्वारा प्राप्त संरक्षण आदि प्रमुख हैं।

3. आर्थिक कारण :-

लोक सेवकों के लिये प्राप्त होने वाले अपर्याप्त वेतनमान एवं सुख सुविधाएं, औद्योगिक व्यवस्था एवं जीवन में बढ़ते हुए भौतिकवादी दृष्टिकोण ने भी प्रशासनिक तंत्र में सत्यनिष्ठा के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

4. सामाजिक कारण :-

प्रशासन में सत्यनिष्ठा के पतन के लिये कई सामाजिक कारण जैसे- सामाजिक बंधनों का शिथिल होना, धार्मिक एवं नैतिक आदर्शों एवं विश्वासों का क्षरण, सादा जीवन उच्च विचार के आदर्श का त्याग, भाई-भतीजावाद, अनैतिक सामाजिक एवं पारिवारिक दबाव तथा भ्रष्टाचार की सामाजिक स्वीकार्यता आदि।

5. मनोवैज्ञानिक कारण :-

यह सर्व स्वीकृत तथ्य है कि मानव स्वभाव मूलत: स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति का होता है। यह मानवीय स्वभाव ही लोक सेवकों में धन संग्रहण और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर अनैतिकता को जन्म देता है। फलस्वरूप सत्यनिष्ठा का पतन होता है।

निष्कर्ष :

लोक सेवा या प्रशासन में सत्यनिष्ठा की गहरी आवश्यकता है। सत्यनिष्ठा के अभाव में प्रशासनिक तंत्र द्वारा अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन किया जाना संभव नहीं है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार लोक सेवकों को अपने आधिकारिक निर्णय करने में मात्र सार्वजनिक हित द्वारा मार्गदर्शित होना चाहिये न कि अपने-अपने स्वयं के परिवार अथवा अपने मित्र के संबंध में किसी वित्तीय या किसी अन्य आधार पर।

यह सत्य है कि प्रशासन में अनैतिक साधनों के प्रयोग, व्याप्त बेईमानी, भाई-भतीजावाद, लालफीताशाही, रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार इत्यादि से प्रशासन में सत्यनिष्ठा या सद्चरित्रता का पतन हुआ है तथापि समाज में प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिये प्रशासन में सत्यनिष्ठा की उन्नति के आवश्यक उपक्रम किया जाना नितांत आवश्यक है। प्रशासन में सत्यनिष्ठा सर्वोपरी नैतिक तत्व है, जिसका कोई विकल्प नहीं है, शायद इसीलिये स्वामी विवेकानंद ने कहा था 'सत्य के लिये हर वस्तु की बलि दी जा सकती है, किन्तु सत्य की बलि किसी भी वस्तु के लिये नहीं दी जा सकती है।'

- डॉ. जीवन एस. रजक
(लेखक, संयुक्त कलेक्टर एवं दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन पुस्तक के लेखक हैं।)

सरकार ने भारतीय पैरालिंपिक समिति को किया निलंबित

नई दिल्ली, भारत सरकार ने भारतीय पैरालिंपिक समिति को निलंबित करने का निर्णय लिया है। खेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय पैरालिंपिक समिति को समय पर चुनाव नहीं कराने के कारण निलंबित किया गया है। इस निर्णय की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय पैरालिंपिक समिति को दे दी गई है। खेल मंत्रालय ने कहा कि पैरा एथलीटों को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और समिति के दैनिक कार्य सुचारु चलें इसके लिए एक तदर्थ समिति गठित की जाएगी, जिसके लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय पैरालिंपिक समिति का कार्यकाल जनवरी 2024 में समाप्त हो गया है, जबकि नई कार्यकारी समिति का चुनाव अभी तक नहीं हो सका है।

भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज

भारत ने 106 रनों से जीता दूसरा टेस्ट मैच

विशाखापट्टनम, भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार वापसी की है। भारतीय टीम ने विशाखापट्टनम में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 106 रनों से हराया। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है।

मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने भारत को बढ़िया शुरुआत दिलाई। यशस्वी एक छोर पर टिके रहे, लेकिन दूसरे छोर पर कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। यशस्वी ने 290 गेंदों में 209 रन बनाये। भारतीय टीम ने पहली पारी में 396 रन बनाये।

इंग्लैंड को पहली पारी में बेन डकेट और जैक क्राउली ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 59 रन जोड़े। डकेट ने 21 रन बनाये, जबकि क्राउली ने 76 रन की पारी खेली। क्राउली के आउट होने के बाद भारतीय गेंदबाज लय में आ गए और इंग्लिश बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया। इंग्लैंड की टीम 55.5 ओवरों में 253 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 6, कुलदीप यादव ने 3 और अक्षर पटेल ने एक विकेट लिया।

- यशस्वी जायसवाल ने अपने टेस्ट कॅरियर का पहला दोहरा शतक बनाया।
- यशस्वी टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले तीसरे सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।
- जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गये हैं।
- बुमराह टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज हैं।

दूसरी पारी में भी भारतीय बल्लेबाजों ने ठीक-ठाक प्रदर्शन किया। सलामी बल्लेबाजों के जल्द आउट होने के बाद शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला और 104 रनों की शतकीय पारी खेली। श्रेयस अय्यर (29), अक्षर पटेल (45) और रविचंद्रन अश्विन (29) ने भी उपयोगी पारियां खेलीं, जिसकी बदौलत भारत ने दूसरी पारी में 255 रन बनाये। जीत के लिए मिले 399 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लिश टीम ने आक्रामक शुरुआत की, लेकिन वे भारतीय गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सके। जैक क्राउली (73) के अलावा अन्य कोई इंग्लिश बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। इंग्लैंड की टीम 292 रन बनाकर ऑल आउट हो गई।

अदिति को मिला ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ द ईयर अवॉर्ड

नई दिल्ली, भारत की युवा तीरंदाज अदिति गोपीचंद स्वामी को विश्व तीरंदाजी संघ द्वारा ब्रेकथ्रू आर्चर ऑफ द ईयर-2023 का अवॉर्ड दिया गया है। अदिति ने वर्ष 2023 में आयरलैंड के लिमरिक में आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रचा था। अदिति इस चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की तीरंदाज हैं। इसके अलावा अदिति ने पिछले वर्ष एशियाई खेलों में महिला व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक और टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है।

राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में विनेश ने जीता स्वर्ण पदक

जयपुर, भारत की अनुभवी महिला पहलवान विनेश फोगाट ने जयपुर में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैम्पियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। लगभग 16 महीने बाद मैट पर वापसी कर रहीं विनेश ने महिलाओं की 55 किलोग्राम भारवर्ग स्पर्धा के फाइनल में मध्यप्रदेश की ज्योति को 4-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। उल्लेखनीय है कि विनेश वर्ष 2018 में आयोजित एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। इसके अलावा विनेश ने तीन बार राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीते हैं।

भारत ने नौवीं बार अंडर-19 विश्वकप के फाइनल में बनाई जगह

बेनोनी, भारत की युवा क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आईसीसी अंडर-19 विश्वकप में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने विश्वकप के सेमीफाइनल में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 2 विकेट से हराया। इस जीत के साथ भारतीय टीम रिकॉर्ड नौवीं बार आईसीसी अंडर-19 विश्वकप के फाइनल में पहुंची है।

सेमीफाइनल मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय गेंदबाज राज लिंबानी ने बढ़िया गेंदबाजी करते हुए 46 के स्कोर पर 2 बल्लेबाजों को आउट कर दक्षिण अफ्रीका को दबाव में ला दिया। इसके बाद एलहुआन ड्रे प्रिटोरियस (76) और रिचर्ड सेल्ट्सवाने (64) ने पारी को संभाला और तीसरे विकेट के लिए 72 रन जोड़े। इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेट खोकर 244 रन बना सकी।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही। पारी की पहली ही गेंद पर सलामी बल्लेबाज आदर्श सिंह आउट हो गए। भारतीय टीम एक समय 32 रन के स्कोर पर 4 विकेट गवांकर संकट में आ गई थी, इसके बाद कप्तान उदय सहारन और सचिन दास ने पारी को संभाला और पांचवें विकेट के लिए 171 रनों की साझेदारी की। उदय ने 81 रन बनाये, वहीं सचिन ने 96 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम ने 48.5 ओवरों में 8 विकेट खोकर 248 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

न्यूजर्सी में खेला जाएगा फीफा विश्वकप-2026 का फाइनल

न्यूयॉर्क, फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने वर्ष 2026 में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में खेले जाने वाले फीफा फुटबॉल विश्वकप का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस विश्वकप का ओपनिंग मैच 11 जून को मैक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित एज्टेका स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि फाइनल मैच न्यूजर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। इस विश्वकप के सेमीफाइनल मुकाबले टेक्सास और अटलांटा में आयोजित किए जाएंगे।

स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड से जुड़ेंगे किलियन एम्बाप्पे

पेरिस, फ्रांस के फुटबॉलर किलियन एम्बाप्पे अब स्पेनिश क्लब के लिए खेलते हुए नजर आयेंगे। फुटबॉल जगत में खिलाड़ियों के ट्रांसफर की विंडो खुल गई है। इस ट्रांसफर विंडो में सबसे बड़ा दांव एम्बाप्पे पर लगने जा रहा है। पेरिस सेंट जर्मेन क्लब के लिए खेलने वाले एम्बाप्पे का क्लब के साथ करार जून 2024 में पूरा होने जा रहा है। इसके बाद एम्बाप्पे अगले सीजन में रियल मैड्रिड के लिए खेलेंगे।

टेस्ट शतक के मामले में कोहली और रूट से आगे निकले विलियमसन

माउंट मोंगनुई, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट और भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से शतकों के मामले में आगे निकल गए हैं। विलियमसन के टेस्ट क्रिकेट में अब 31 शतक हो गए हैं, वहीं जो रूट ने 30 और विराट कोहली ने 29 टेस्ट शतक बनाये हैं।

विलियमसन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच की दोनों पारियों में शतक जमाकर रूट और विराट को पछाड़ा।

न्यूजीलैंड ने जीता पहला टेस्ट मैच

विलियमसन और युवा बल्लेबाज रचिन रवींद्र की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को पहले टेस्ट मैच में 281 रनों से हराया। मैच में न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 511 और दूसरी पारी में 179 रन बनाये। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम पहली पारी में 162 और दूसरी पारी में 247 रन बनाकर ऑलआउट हो गई।

जिम्बाब्वे में पांच मैचों की ट्वेंटी-20 सीरीज खेलेगा भारत

हरारे, भारतीय क्रिकेट टीम जुलाई माह में जिम्बाब्वे का दौरा करेगी। यह दौरा आईसीसी ट्वेंटी-20 विश्वकप के बाद आयोजित होगा। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने यह जानकारी दी। इस दौरे पर भारतीय टीम जिम्बाब्वे के साथ पांच मैचों की ट्वेंटी-20 सीरीज खेलेगी। सीरीज के सभी मैच हरारे में 6, 7, 10, 13 और 14 जुलाई को खेले जाएंगे। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम के प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है।

डेविस कप

भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया

इस्लामाबाद, भारतीय टेनिस टीम ने डेविस कप के विश्व ग्रुप-1 प्लेऑफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 4-0 से हराया है। इस जीत के साथ भारत ने डेविस कप के विश्व ग्रुप-1 में प्रवेश कर लिया है। भारतीय टेनिस टीम ने लगभग 60 वर्ष बाद पाकिस्तान का दौरा किया था।

भारत ने डेविस कप विश्व ग्रुप-1 प्ले ऑफ में पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआत से दबदबा बनाया। मुकाबले का पहला एकल मैच बेहद रोमांचक रहा। पहले मुकाबले में भारत के रामकुमार रामनाथन ने पाकिस्तान के अनुभवी खिलाड़ी ऐसाम उल हक कुरैशी को 6-7 (3-7), 7-6 (7-4), 6-0 से हराया। मैच का पहला और दूसरा सेट बेहद रोमांचक रहा। दोनों सेट टाई ब्रेकर में गए, लेकिन तीसरे सेट में रामकुमार ने ऐसाम को 6-0 से करारी मात दी। दूसरा एकल मुकाबला भी भारत के पक्ष में रहा। भारत के श्रीराम बालाजी ने दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान के अकील खान को सीधे सेटों में 7-5, 6-3 से हराया।

- डेविस कप में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ लगातार आठवीं जीत है।
- भारतीय टेनिस टीम डेविस कप में पाकिस्तान के खिलाफ कभी नहीं हारी है।
- भारत अब सितंबर में डेविस कप के विश्व ग्रुप-1 में खेलेगा।

इसके बाद खेले गए युगल मुकाबले में साकेत मायनेनी और युकी भांबरी की जोड़ी ने अकील खान और मुजम्मिल मुर्ताजा की जोड़ी को 6-2, 7-6 (7-5) से हराकर भारत को 3-0 की बढ़त दिलाई। युगल मैच में भारतीय जोड़ी के सामने पाकिस्तान की जोड़ी संघर्ष करते हुए नजर आयी। साकेत और युकी की जोड़ी ने आसान जीत दर्ज की। इसके बाद पहले रिवर्स एकल मुकाबले में भारत के निकी पूनाचा ने पाकिस्तान के शोएब खान को सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से हराया। इस जीत के साथ भारत की बढ़त 4-0 हो गई और दूसरे रिवर्स एकल मुकाबले की जरूरत नहीं बची। भारत ने यह मुकाबला 4-0 से अपने नाम किया।

थाईलैंड मास्टर्स

चोउ टिएन चेन बने चैम्पियन

बैंकॉक, चीनी ताइपे के अनुभवी शटलर चोउ टिएन चेन ने थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया है। चेन ने पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में सिंगापुर के दिग्गज खिलाड़ी लोह कीन येव को कड़े मुकाबले में 21-16, 6-21, 21-16 से हराया।

फाइनल मुकाबले में लोह कीन येव को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन चोउ टिएन चेन ने पहले गेम में बेहतरीन खेल दिखाकर येव को दबाव में ला दिया। चेन ने पहला गेम 21-16 से जीता। इसके बाद दूसरे गेम में लोह कीन येव ने जबरदस्त वापसी की और एकतरफा अंदाज में चेन को 21-6 से मात देकर मैच में 1-1 की बराबरी हासिल की। इसके बाद तीसरा गेम निर्णायक हो गया। तीसरे गेम में येव ने चेन को कड़ी टक्कर दी, लेकिन चेन ने यह गेम 21-16 से अपने नाम कर खिताब पर कब्जा किया। थाईलैंड मास्टर्स में महिला एकल वर्ग का खिताब जापान की आया ओहोरी ने जीता। ओहोरी ने थाईलैंड की सुपानिदा केटथोंग को 18-21, 21-17, 21-13 से हराया।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

सामयिकी

बढ़ते दबाव के बाद अपनी नीतियां बदलने को तैयार नहीं हैं जिनपिंग

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्यकाल के पहले दस साल में चीन की राजनीति पर उनका दबदबा ऐसा रहा जिसे कोई चुनौती नहीं दे पाया। अभी चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। साथ ही चीन कई आर्थिक परेशानियों से भी जूझ रहा है, इसके बावजूद शी जिनपिंग अभी भी अपनी नीतियों से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका के थिंकटैंक जेम्सटाउन फाउंडेशन के सीनियर फेलो विली वो लैप लाम ने एक किताब लिखी है, जिसका शीर्षक शी जिनपिंगः द हिडन एजेंडाज ऑफ चाइना रूलर फॉर लाइफ है। लाम का कहना है कि शी जिनपिंग अपने आप को चीन के इतिहास का पहला नहीं तो दूसरा सबसे अहम नेता मानते हैं। उनका मानना है कि वे देंग जियाओपिंग से आगे निकल चुके हैं और खुद को 21वीं सदी का माओ जेदोंग मानते हैं। लाम ने अनुमान जताया कि शी जिनपिंग अधिकतम चार या पांच साल और शीर्ष पद पर रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वे सत्ता के केंद्र में रहेंगे और कई अहम सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अध्यक्ष बने रह सकते हैं।

सीनेट ने दी अमेरिका के इजराइल-यूक्रेन को मदद प्रस्ताव पर सहमति

अमेरिकी संसद के उच्च सदन (सीनेट) ने युद्ध में घिरे इजराइल और यूक्रेन को मदद मुहैया कराने के लिए 9.7 लाख करोड़ रुपये (118.2 अरब डॉलर) के पैकेज पर मुहर लगा दी। सीनेट में इस पैकेज को डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के सांसदों का समर्थन मिला। सीनेट में पास होने के बाद अब रूस से युद्ध में घिरे यूक्रेन और गाजा पट्टी में हमास के साथ संघर्ष कर रहे इजराइल को आर्थिक और रक्षा सामग्री में मदद मिलने का रास्ता साफ हो गया है। संसद में पास हुए प्रस्ताव के तहत अमेरिका द्वारा कुल राशि में से लगभग आधी यानी 60.1 अरब डॉलर (करीब 4 लाख 98 हजार करोड़ रुपये) की राशि यूक्रेन की मदद के लिए तय की गई है। वहीं, इजराइल की मदद के लिए 14.1 अरब डॉलर (करीब 1.1 लाख करोड़ रुपये) तय किए गए हैं। अमेरिका ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 20.2 अरब डॉलर (करीब 1.67 लाख करोड़ रुपये) की राशि आवंटित की है। अमेरिकी संसद ने इन खर्चों के अलावा लाल सागर और ताइवान जैसे क्षेत्रों में रक्षा अभियानों के लिए भी पैकेज से ही छोटे-छोटे फंड्स तय किए हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इससे पहले अक्टूबर में 105 अरब डॉलर का पैकेज तय किया था।

प्रधानमंत्री ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का किया शुभारंभ

भारत विश्व के साथ और विश्व के लिए भावना को प्रतिबिंबित करता है - श्री मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 को संबोधित करते हुए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 देश की सर्वोच्च और एकमात्र विशिष्ट ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन है। यह भारत के ऊर्जा पारगमन लक्ष्यों को प्रेरित करने के लिए संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला को एक मंच प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री ने वैश्विक तेल एवं गैस मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ एक बैठक भी की। प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण में सभी का स्वागत किया। ऊर्जावान गोवा राज्य में हो रहे इस कार्यक्रम पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आयोजन आतिथ्य की भावना के लिए जाना जाता है। इस स्थान का प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति वैश्विक पर्यटकों पर गहन प्रभाव छोड़ती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि गोवा विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यह चिरस्थाई भविष्य और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता पर चर्चा के लिए आदर्श स्थाल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 के आयोजन में गोवा में एकत्र हुए विदेशी मेहमान गोवा की यादें अपने साथ ले जाएंगे और ये यादें जीवनपर्यंत उनके साथ रहेंगी।

ऊर्जा क्षेत्र का दायरा व्यापक हो रहा

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड में रहा है। इस वित्तीय वर्ष के पहले छह महीनों में भारत की जीडीपी दर 7.5 प्रतिशत से अधिक हो गई थी। यह विकास दर वैश्विक विकास अनुमान से अधिक है, आज भारत, विश्व में सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने बताया कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भविष्यवाणी की है कि हम ऐसे ही तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि आज दुनियाभर के आर्थिक विशेषज्ञों का विश्वास है कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

वैश्विक विकास की दिशा निर्धारित

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा, तेल और एलपीजी उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि भारत चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार होने के साथ-साथ चौथा सबसे बड़ा तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयातक और रिफाइनर है। उन्होंने देश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की बढ़ती मांग को भी रेखांकित किया और 2045 तक देश की ऊर्जा मांग दोगुनी होने के अनुमान के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत की योजना के बारे में विस्तार से बताया। किफायती ईंधन सुनिश्चित करने के प्रयासों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिकूल वैश्विक कारकों के बावजूद, भारत उन कुछ देशों में से है जहां पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं और करोड़ों घरों को विद्युतीकृत करके शत-प्रतिशत बिजली पहुंचाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है बल्कि वैश्विक विकास की दिशा भी निर्धारित कर रहा है।

राष्ट्रपति ने 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन करती हुईं

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने हरियाणा के सूरजकुंड में 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हमारी सांस्कृतिक विविधता का उत्सव है। यह मेला हमारी परंपरा के साथ-साथ रचनात्मकता का भी उत्सव है। यह हमारे शिल्पकारों को कला प्रेमियों से जोड़ने का एक प्रभावी मंच है। यह मेला एक कला प्रदर्शनी और व्यापार केंद्र दोनों है। राष्ट्रपति ने कहा कि कला और शिल्प सीमाओं के बंधन को तोड़ते हैं तथा आपसी समझदारी के सेतु बनाते हैं। कलाकार और शिल्पकार मानवता के रचनात्मक राजदूत हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के मेले के भागीदार राज्य गुजरात में कला की बेहद ही समृद्ध परंपरा है। उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम इस वर्ष के सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में सांस्कृतिक भागीदार है।

अनमोल विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं

राष्ट्रपति ने हमारे देश की कलात्मक विरासत को संरक्षित करने के लिए कारीगरों की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिल्पकार एवं मूर्तिकार मिट्टी व पत्थर में जान डाल देते हैं। चित्रकार रंगों के माध्यम से चित्र बनाते हैं, जो जीवंत दिखाई देते हैं। शिल्पकार विभिन्न धातुओं और लकड़ी जैसी ठोस सामग्रियों से अविश्वसनीय आकृति और रूप का निर्माण करते हैं। कल्पनाशील बुनकर वस्त्रों और परिधानों में अद्भुत सौंदर्य रचते हैं। ऐसे शिल्पकार भारत की सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माता और संरक्षक, दोनों रहे हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि कारीगर भाई-बहन हमारी सभ्यता और संस्कृति की अनमोल विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति ने जनरल जालुजनई को पद से हटाया

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के साथ चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेनी सेना में बड़ा बदलाव किया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सेना प्रमुख जनरल वालेरी जालुजनई को पद से हटा दिया। पिछले कुछ हफ्तों से जालुजनई (50) के खिलाफ कार्रवाई की अटकलें थीं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने फेसबुक पोस्ट में बताया कि आज यूक्रेन के सशस्त्र बलों के नेतृत्व को बदलने का निर्णय लिया गया। युद्ध की स्थिति एक जैसी नहीं रहती। युद्ध बदलता है और इसके लिए बदलाव की जरूरत होती है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सेना प्रमुख को बदलने का फैसला ऐसे समय पर लिया है, जब रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को कई संकटों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां रूसी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं, वहीं अमेरिका की तरफ से कीव को सहायता मिलने पर अनिश्चितता के साथ यूक्रेन में नागरिक और सैन्य नेतृत्व के बीच तनाव देखने को मिल रहा है।

भारत में बिताए पलों को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने किया साझा

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने एक वीडियो साझा किया है। जिसमें उनके हालिया भारत दौरे की झलकियां दिखाई गई हैं। इस वीडियो के साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका देश भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश करना चाहता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर नई दिल्ली आए थे और वह 26 जनवरी को 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। मैक्रों ने कहा कि विश्व में बदलाव की पहली पंक्ति में भारत आने वाला है। उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, भारत जैसे देश के पास लोकतांत्रिक शक्ति, जनसांख्यिकी, आर्थिक और तकनीकी शक्ति है, जिससे वह दुनिया में बदलाव की पहली पंक्ति में होगा।

यह हमेशा हमारी यादों में रहेगा

मैक्रों ने लिखा भारत के असाधारण दौरे पर एक नजर। चाय पीना हमारे लिए एक आदत है। उन्होंने कहा कि वह नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनकर बेहद सम्मानित महसूस कर रहे थे। मैं इस तरह के एक महत्वपूर्ण और अनोखे दिन का हिस्सा बनने पर बेहद सम्मानित महसूस कर रहा था। यह हमेशा हमारी यादों में रहेगा। दोनों देशों के बीच संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। दोनों देश मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं।

हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं

मैंक्रो ने कहा बीते कुछ वर्षों के दौरान हमने आपके देश के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और साझेदारियों को बढ़ाया है। हम निश्चित रूप से भारत में अधिक से अधिक निवेश करना चाहते हैं। भले ही हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अब तक सब कुछ अच्छा है। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि 2030 तक फ्रांस में तीस हजार छात्र भारत से आएं।

अर्थव्यवस्था की समीक्षा

आईएमएफ ने कहा मालदीव को तत्काल बदलनी होगी नीतियां

चीन और मालदीव की बढ़ती निकटता के बीच अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने मुइज्जू प्रशासन को 'ऋण संकट' के प्रति आगाह किया है। चीन से अरबों डॉलर का कर्ज लेने वाले मालदीव को आगाह करते हुए आईएमएफ ने कहा है कि मालदीव को तत्काल अपनी नीति बदलने की जरूरत है।

आईएमएफ ने कहा है कि भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के बीच मालदीव ने चीन से अरबों रुपये उधार लिए हैं। ऐसे में हिंद महासागर में रणनीतिक अहमियत वाले इस देश को तत्काल अपनी नीतियों पर दोबारा विचार करना चाहिए।

आईएमएफ ने मालदीव की अर्थव्यवस्था की समीक्षा के बाद कहा, अगर मालदीव महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव नहीं करता है तो देश का कुल राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण अधिक बने रहने का अनुमान है। गौरतलब है कि मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है। देश के राजस्व का लगभग एक तिहाई हिस्सा दूसरे देशों से आने वाले पर्यटकों से आता है। कोरोना महामारी के बाद देश की इकोनॉमी काफी हद तक उबरी है लेकिन इसके बावजूद उसे चीन से अरबों डॉलर का कर्ज लेना पड़ा है।

मालदीव का बयान

आईएमएफ ने कहा कि योजनाबद्ध तरीकों से एयरपोर्ट विस्तार और होटलों की संख्या में वृद्धि से मालदीव का आर्थिक विकास तेज हो सकता है। आईएमएफ ने कहा कि मालदीव पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ने का खतरा है। विश्व बैंक के मुताबिक मालदीव के वित्त मंत्रालय ने 2021 में स्वीकार किया था कि उसके पास तीन बिलियन डॉलर से अधिक विदेशी ऋण है। इसका 42 फीसदी हिस्सा चीन का है।

स्वामी- मध्यप्रदेश माध्यम, प्रकाशक - संदीप यादव, मुद्रक - संदीप यादव द्वारा मेसर्स डी.बी. कॉर्प लिमिटेड, 10-11, सेक्टर-B, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल से मुद्रित एवं मध्यप्रदेश माध्यम 40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011 (म.प्र.) से प्रकाशित। सम्पादक- रंजना चितले।